महानगर नई दिल्ली सोमवार 16 मार्च, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षेस में रखा कोरोना आपात कोष का सुझाव

74 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पेशकश से शुरुआत कर सकता है भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना विषाणु के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति अपनाने की वकालत करते हुए रविवार को दक्षेस में कोविड-19 आपात कोष सृजित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि भारत इस कोष के लिए एक करोड़ डॉलर (लगभग 74 करोड़ रुपए) की प्रारंभिक पेशकश से शुरूआत कर सकता है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोरोना विषाणु से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दक्षेस मंत्रिस्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम साथ मिलकर इससे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं, दूर जाकर नहीं।

वहीं दक्षेस देशों के साथ कोरोना विषाणु पर संवाद के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना विषाणु के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदियों को हटा लेना चाहिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कोरोना विषाणु से निपटने के लिए चीन बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान का बेसुरा राग

दक्षेस देशों के साथ कोरोना के खतरे पर संवाद के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना विषाणु के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदियों को हटा लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा

150 मामले आए हैं दक्षेस क्षेत्र में कोरोना विषाणु से संक्रमण के

कोरोना पर दक्षेस देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सौ पार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कोरोना विषाणु (कोविड-19) के 23 नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को बढ़कर 107 हो गई। इन 23 नए मामलों में से 17 सिर्फ महाराष्ट्र से हैं।

23 नए मामले सामने आए शनिवार से रविवार के बीच संक्रमण के

31 हुई महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या

नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या देश में सबसे अधिक 31 हो गई है। इसके अलावा केरल से तीन, तेलंगाना से दो और राजस्थान से एक व्यक्ति है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इनमें वे दो लोग भी शामिल हैं जिनकी दिल्ली और कर्नाटक में मौत हो चुकी है। स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्री समूह की सोमवार को बैठक होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सचिव और विशेष सचिव के अलावा आइसीएमआर बाकी पेज 8 पर

करतारपुर साहिब की यात्रा रोकी गई

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु के प्रकोप के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की धार्मिक यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यात्रा के लिए पंजीकरण रविवार को आधी रात से निलंबित कर दिया जाएगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया भी रविवार मध्य रात्रि से निलंबित

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने रविवार की रात 12 बजे से अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए पाकिस्तान से सभी तरह के यात्रियों के आगमन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तहत 16 मार्च 2020 (रविवार) रात 12 बजे से श्री करतारपुर साहिब की यात्रा और उसके लिए पंजीकरण को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया बाकी पेज 8 पर

इटली व ईरान से स्वदेश लाए गए 450 से ज्यादा भारतीय

दिल्ली/जैसलमेर, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना के कहर से बुरी तरह प्रभावित ईरान और इटली में फंसे हुए 450 से अधिक भारतीयों को रविवार को दो विमानों से वापस लाया गया और उन्हें पृथक इकाइयों में रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय बाकी पेज 8 पर

भारत-बांग्लादेश रेल सेवा स्थगित

कोलकाता, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु के खतरे के मद्देनजर कोलकाता और बांग्लादेश के शहरों के बीच भारत-बांग्लादेश यात्री रेल सेवा को रविवार को स्थगित कर दिया गया। पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मैत्री और बंधन एक्सप्रेस 15 मार्च से 15 अप्रैल या अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

मध्य प्रदेश : आज तय होगी कमल की किस्मत

भोपाल, 15 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक छह मत्रियों सहित 22 विधायकों के कांग्रेस से बगावत के बाद जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के निर्देश दिए हैं।

इस पत्र में राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में टंडन ने निर्देश दिए, 'मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही हर हाल में 16 मार्च 2020 को प्रारंभ होगी और यह स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं की जाएगी।' राजभवन के सूत्रों ने बताया कि शनिवार आधी रात के आसपास राज्यपाल द्वारा यह पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को रविवार को पत्र लिखकर सोमवार को सदन में सरकार के विश्वास मत पर विधायकों के हाथ उठाकर मत विभाजन कराने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री को शनिवार देर रात को लिखे पहले पत्र में राज्यपाल टंडन ने निर्देश दिया था कि विश्वासमत पर मत विभाजन बटन दबाकर ही होगा और अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। इसके बाद रविवार को भाजपा नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर शक्ति परीक्षण पर मत विभाजन विधायकों का हाथ बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस के विधायक रविवार सुबह भोपाल पहुंचे।

गुजरात के 24 विधायकों को जयपुर भेजा कांग्रेस ने

अमदाबाद, 15 मार्च (भाषा)।

गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों पर 26 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में चार विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने रविवार को अपने 24 विधायकों को जयपुर भेज दिया। पार्टी ने इससे पहले शनिवार को ही अपने 14 विधायकों को जयपुर भेज दिया था। इससे पहले कांग्रेस बाकी पेज 8 पर

राज्यसभा चुनाव से ऐन पहले चार विधायकों के इस्तीफे के बाद उठाया कदम

शनिवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखी चिट्ठी में दिया निर्देश

कांग्रेस के विधायक भोपाल पहुंचे, पार्टी ने कहा आसानी से हासिल कर लेंगे विश्वास मत

भाजपा ने विधायकों को व्हिप जारी किया, कहा बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार

कांग्रेस ने दावा किया है कि विश्वास मत में उसकी जीत तय है और भाजपा के छह-सात विधायक भी उसे समर्थन देंगे।

राज्यपाल की चिट्ठी

मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही हर हाल में 16 मार्च 2020 को प्रारंभ होगी और यह स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं की जाएगी।

लश्कर व हिज्बुल के चार आतंकी ढेर

श्रीनगर, 15 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में रविवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैय्यबा और हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकवादी मारे गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वतारीगाम इलाके के डार मोहल्ला में तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में बाकी पेज 8 पर

मरने वालों में तीन लश्कर के और एक हिज्बुल आतंकी, चारों आतंकी कुलगाम के निवासी

अनंतनाग में मुठभेड़

अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबल।

युवकों का सहारा ले रहे आतंकी : अधिकारी

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

पिछले वर्ष हुए पुलवामा हमले की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने खुलासा किया है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों सहित अन्य सामग्री ऑनलाइन खरीदने के लिए कश्मीर में युवकों का सहारा ले रहे हैं। पुलवामा आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जांच के बाद हाल ही में 19 वर्षीय वजीर सहित दो लोगों बाकी पेज 8 पर

रसायनों की ऑनलाइन खरीदारी

'गृह मंत्री ने दिया राजनीतिक बंदियों की रिहाई का भरोसा'

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने रविवार को यहां कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर में शेष राजनीतिक बंदियों को 'बहुत जल्द' ही रिहा किया जाएगा।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा कि पाबंदियों पर प्रतिनिधिमंडल की आशंकाएं दूर करते हुए शाह ने भरोसा दिया कि पाबंदियों में छूट के संबंध में सभी फैसले जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित हैं, न कि किसी दबाव में लिए गए हैं। हिरासत से लोगों की रिहाई, इंटरनेट बहाल किए जाने, कर्फ्यू में छूट जैसे कदमों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'यहां तक कि आने वाले समय में राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान, *नवगठित* जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने शाह से मुलाकात के बाद कही यही बात

बंदियों की रिहाई के लिए सभी दल साथ आएं : फारूक

श्रीनगर, 15 मार्च (भाषा)।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी दलों से केंद्रशासित प्रदेश के बाहर जेलों में रखे गए सभी लोगों को मानवीय आधार पर वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से एकजुट होकर अपील करने को कहा।

शुक्रवार को रिहा होने के बाद अपने पहले बयान में वर्तमान लोकसभा सांसद अब्दुल्ला ने कहा कि रिहाई के बाद से ही वह राजनीतिक बयान देने से बचते रहे हैं।

अब्दुल्ला को शुरू में ऐहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया बाकी पेज 8 पर

दरअसल

781 एमसीएम पानी का होगा भंडारण | **विकास में तेजी** | कठुआ जिले में कार्यान्वित होगी योजना

उज्ह नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की कवायद

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रावी की सहायक 'उज्ह नदी' का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए तैयार बहुउद्देशीय योजना का तेजी से कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है। जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया, 'जम्मू कश्मीर में रावी की सहायक उज्ह नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बनाई गई बहुउद्देशीय योजना के तेजी से कार्यान्वयन के इरादे से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई।' उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न इस बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

अधिकारी ने बताया, 'योजना कठुआ जिले में कार्यान्वित होगी और इसके तहत 781 एमसीएम पानी का भंडारण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत के हिस्से के पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा।' उन्होंने बताया कि परियोजना के डीपीआर को जुलाई 2017 में तकनीकी मंजूरी दी जा चुकी है और इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि 5850 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से उज्ह नदी पर 781 एमसीएम जल का भंडारण किया जा सकेगा जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा। इस पानी से जम्मू-कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांबा जिलों में 31,380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे केंद्र की ओर से 4892.47 करोड़ रुपए की बाकी पेज 8 पर

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत इस नदी को सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण के तहत सतलुज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां और झेलम, चेनाब व सिंधु पश्चिमी नदियां हैं। समझौते के मुताबिक, कुछ अपवाद छोड़ कर भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है।

781 एमसीएम जल का भंडारण किया जा सकेगा 5850 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से उज्ह नदी पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Reminder W/o Shri Gurdial Singh Sethi R/o B-27 Ranjit Avenue Amritsar-1 Amritsar Punjab-143001, have changed my name to Reminder Sethi. 0040535631-2

I, Kumari Neelima Singh Chauhan W/o Sidhendra Pundhir R/o-24-B, Pocket-C, SFS Flats,New Kondli,Mayur Vihar,Phase-III,Delhi-110096,have changed my name to Neelima Pundhir for all future Purposes. 0040535639-2

I Alia Khalid W/O, Khalid Ahmed R/o 70,phears Lane Kolkata 700073 have changed my name to Aliya Khlaid for all purposes. 0040535633-1

I Geeta Rani W/O Sh.Sanjeev Soni R/O-3a, Wh/87-Nit, Faridabad-Haryana.Have Changed My Name,From Geeta Rani To Geeta Soni. 0040535631-1

I Prateek Aggrawal S/O Shree Niwas Aggrawal R/O of A102, Mayurdhawaj Apartments, IP Extn, Patparganj Delhi 110092 have changed my name to Prateek Aggarwal. 50163826-1

सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए : राणा

श्रीनगर, 15 मार्च (भाषा)।

जम्मू से नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसके प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में रविवार को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की जिन्हें सात महीने तक हिरासत में रखे जाने के बाद रिहा किया गया है।

नेकां के एक नेता ने बताया कि जम्मू से नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं ने अब्दुल्ला से यहां उनके आवास पर मुलाकात की और बैठक करीब आधे घंटे तक चली।

COURT NOTICE
(U/o Rule 20 CPC)
In the court of Sh. Ravi Gulati, PCS, Civil Judge senior division, Shri Muktsar Sahib
CNR NO. PBSM02-000210-2019
NEXT DATE: 15-04-2020
Punjab National Bank
V/s
Manjit Singh Through Lrs.
Mortgaged suit for the recovery of Rs 914644/- in KCC and term loan account, all the charges calculated up to 11-03-2019
Publication Issued To: Manjit Singh Now Deceased Son Of Joginder Singh Son Of Virsa Singh Through His Lrs No. (3) Karandeep Singh Son Of Manjit Singh And (4) Amandeep Kaur Daughter Of Manjit Singh, All Resident Of Village Chak Atiari Sadar Wala,(dhani Wale Rah Te) tehsil And Destrict Sri Muktar Sahib.
In above titled case, the Defendant(s) /respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 15-04-2020 at 10.00 a.m. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Muktsar
Civil Judge Senior Division

तेल की कीमत घटाने के बजाए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया सरकार ने : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क वृद्धि को लेकर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया।

सरकार ने शनिवार को ही पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इसके एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने मोदी पर तंज कसते हुए यह बात कही। गांधी ने ट्वीट कर कहा–तीन दिन पहले ही मैंने पीएमओ से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को देने का आग्रह किया। मैंने प्रधानमंत्री से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने को कहा था। मेरी इस सलाह पर ध्यान देने के बजाय हमारे समझदार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी डाला है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सवाल का जवाब देने से बचती दिख रही हैं कि सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ लोगों को क्यों नहीं दिया।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त हैं। ऐसे में इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की ओर उनका ध्यान नहीं गया है। पीएमओइंडिया, जब आप एक चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे उस समय आप वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई 35 प्रतिशत की गिरावट को नहीं देख पाए। उस समय अपने ट्वीट में गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि वे पेट्रोल के दाम घटाकर 60 रुपए प्रति लीटर से कम पर लाएं। इससे सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि असल में सरकार पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त कमाना चाहती है जबकि उसने पहले ही 3, 40000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उन्होंने यह भी एलान किया कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले का संसद के बाहर और भीतर हर जगह पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाने के हर तरीके अपनाए जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके।

आयकर विभाग तलब कर सकता है कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों को

छत्तीसगढ़ में छापे

रायपुर/नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

आयकर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों को जल्द तलब किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उनके परिसरों पर छापा मारा गया था और दावा किया गया था कि हर महीने लोक सेवकों को बेहिसाब नकदी का भुगतान किया जा रहा था। व्यवसायी बलदेव सिंह भाटिया उर्फ पप्पू भाटिया ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह 'यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि उनके प्रतिष्ठानों या उनके रिश्तेदारों या उनके द्वारा संचालित किसी भी व्यवसाय के प्रतिष्ठानों पर कोई आयकर छापा मारा गया था।'

रायपुर में पुलिस अधिकारियों ने इससे पूर्व बताया था कि 27 फरवरी को की गई कार्रवाई के तहत पप्पू भाटिया से जुड़े परिसर शामिल थे।

हालांकि यह अमोलख भाटिया का निकला। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को जल्द ही तलब करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तलाशी अभियान के बाद एक बयान में कहा था कि राज्य की राजधानी रायपुर में व्यक्तियों के एक समूह, हवाला डीलरों और व्यवसायियों के खिलाफ छापे की कार्रवाई के दौरान 150 करोड़ रुपए से अधिक के 'बेहिसाब लेनदेन' का खुलासा हुआ था।

आडिटरों को सरकार की चेतावनी

कंपनियों को देश के नियमन दायरे में रहकर ही काम करना होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने आडिट उद्योग के मामले में कहा कि हितों के टकराव की आशंका को दूर करने की जरूरत है और जो भी देश में लेखा परीक्षा का काम कर रहे हैं, उन्हें देश के नियमन दायरे में रहकर ही काम करना होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जहां नेटवर्क कंपनियों को भी आइसीएआइ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान) के पास पंजीकरण कराना होगा। विदेशी कंपनियों के देश के कानूनी प्रावधानों से बचने का रास्ता निकाल लेने को लेकर जारी चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही।

श्रीनिवास ने कहा- आज आइसीएआइ व्यक्तिगत सदस्यों का पंजीकरण कर रहा है लेकिन वह फर्मों का पंजीकरण नहीं कर रहा। इसीलिए कुछ कमी है और उसे दूर किए जाने की जरूरत है। आइसीएआइ चार्टर्ड एकाउंटेंट का शीर्ष निकाय है।

विदेशी इकाइयां देश में नेटवर्क फर्म मॉडल के जरिए काम करती हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय आडिट उद्योग के लिए नियामकीय रूपरेखा मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। कंपनियों में गड़बड़ी को लेकर हाल में कई आडिट कंपनियां और आडिटर नियामकीय जांच के घेरे में आए हैं। इसको देखते हुए मंत्रालय का कदम महत्वपूर्ण है। सचिव ने कहा- पूरा विवाद चार या छह बड़ी विदेशी आडिट कंपनियों को लेकर है। उन पर यह आरोप है कि वे हमारे कानूनी प्रावधानों से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं और यहां आडिट सेवाएं देते हैं।

COURT NOTICE
In the court of Ms. Rajbinder Kaur Judicial magistrate1st class, Bathinda
CNR NO:PBBT03-010200-2016
NEXT DATE: 12-05-2020
M/s New Age Manufacturing Co. Pvt Ltd
V/s
M/s Manju Shree Products
2nd Address: Sh. Subhash Lalwani Sole Prop Of M/s Manju Shree Products, Jain Chowk, Near Majisa Temple, Nokha, Dist. Bikaner, Rajasthan,334803
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 12-05-2020 at 10.00 a.m. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Bathinda
JMIC BATHINDA

येस बैंक ने कहा, 2020-21 में कायम रहेगी डूबे कर्ज की समस्या

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

संकट में फंसे निजी क्षेत्र के येस बैंक का मानना है कि अगले वित्त वर्ष 2020-21 में भी उसकी गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या कायम रहेगी। हालांकि, बैंक के नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रशांत कुमार को भरोसा है कि 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के बाद बैंक फिर से खड़ा हो सकेगा।

डूबे कर्ज के दबाव की वजह से येस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 18,654 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह निजी क्षेत्र के किसी बैंक का अब तक का सबसे ऊंचा घाटा है। बैंक से पिछले छह माह के दौरान 72,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई और यह आंकड़ा 1.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुमार का मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और 1,000 से अधिक शाखाओं और मजबूत उपभोक्ता आधार के चलते येस बैंक 'चलती हालत' में बना रहेगा। बैंक ने कुमार के आकलन का उल्लेख करते हुए कहा, 'प्रस्तावित पूंजी निवेश और बैंक के ग्राहकों की अच्छी संख्या और शाखाओं के नेटवर्क के जरिए बैंक का कारोबार बना रहेगा। सामान्य कामकाज में बैंक न केवल अपनी संपत्तियां वसूल सकेगा बल्कि देनदारियों का भुगतान भी कर सकेगा।' कुमार को रिजर्व बैंक ने यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। वह बैंक पर लगाई गई रोक समाप्त होने के बाद बुधवार शाम से सीईओ का पद संभालेंगे। निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण में बैंक ने कहा कि उसके द्वारा कॉरपोरेट जगत को दिया गया एक-तिहाई कर्ज डूबे कर्ज की श्रेणी में आ गया है। इस वजह से कुमार की अगुआई वाला नया प्रबंधन आगे चलकर खुदरा और छोटे कारोबारी ऋण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी बिक्री सूचना
श्री ओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः श्री ब्रिजेन्दर सिंह देसवाल (आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021)
ईमेलः liquidation.shreeomwires@gmail.com; brijender@deswal.com फोन नं.: 9811414181
नीलामी की तिथि एवं समयः मंगलवार, 7 अप्रैल, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II ने आदेश तिथि 11 जुलाई, 2019 (परिसमापक द्वारा आदेश 20 जुलाई, 2019 जो परिसमापन के आरंभ होने की तिथि प्रतीत होता है, को वेबसाईट पर जब और जैसे ही अपलोड की गई प्राप्त की गई) के माध्यम से मै. श्री ओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है, संहिताकी धारा 33 के अंतर्गत। यह सूचना आदेश तिथि 11 जुलाई, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापन द्वारा परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली मै. श्री ओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (CINU28939DL2011PTC214742) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री के संदर्भ में है।

एतद्द्वारा निम्न विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है आधार" पर परिसमापक के कब्जे में निम्न परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए 4 अप्रैल, 2020 के 5.00 बजे अप. तक इच्छुक व्यक्तियों/ भागीदारों से ऑन लाइन प्रस्ताव आमंत्रित है जो ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन जमा की जाएगी।

अनुसूची

लॉट नं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ईएमडी)	बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	ईएमडी जा करने की अंतिम तिथि
1.	सम्पत्ति सं. एच-1/702, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, कुरुक्षेत्र, भिवाडी, जिला अलवर (राजस्थान) माप 929 वर्ग मी.	रु. 15453000	रु. 15.5 लाख	रु. 2 लाख	7 अप्रैल, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	4 अप्रैल, 2020 के 5.00 बजे अप. तक

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैंः
1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. परिम्पत्तियों के विवरणों, ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईटः https://ncltauction.auctiontiger.net. पर उपलब्ध है। सम्पर्क करेंः श्री राम प्रसाद शर्मा, 079-61200559, 61200531, 61200544,61200594 61200554/ ईमेल आईडीः ramprasad@auctiontiger.net / pushpit@auctiontiger.net / tilak@auctiontiger.net /support@auctiontiger.net (लिंक https://.auctiontiger.net पर जाकर बोलीदाता को अधोलिखित में से किसी एक i) कम्पनी का नाम (श्री ओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड), अथवा ii) (राज्य एवं सम्पत्ति का प्रकार का उपयोग कर वर्णित कम्पनी को सर्च करना होगा। यह बिक्री नीलामी एजेन्सी की वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में शामिल नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर सम्पत्ति के टाइटल, यदि कोई हो, स्थानीय करों के बकायों, बिजली एवं पानी के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, आदि परिसम्पत्तियों से संबंधित अपना स्वतंत्र जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री ब्रिजेन्दर सिंह देसवाल +91-9811414181 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को "श्री ओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड- परिसमापन में", खाता नं. 13590500128, आईसीआईसीआई बैंक, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, आईएफएससी कोडः ICICI0001359 के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) आईबीसी (7) की धारा 29ए के अंतर्गत योग्यता से संबंधित शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) बोली आवेदन प्रपत्र तथा पंजीकरण प्रपत्र। 8) बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा, इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है, की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। ये सभी दस्तावेज 4 अप्रैल, 2020 के 5.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इच्छुक बोलीदाता को 4 अप्रैल, 2020 को 5.00 बजे अप. से पूर्व https://ncltauction.auctiontiger.net पर ईएमडी जमा करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।
6. पोर्टल (https://ncltauction.auctiontiger.net पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (Auction tiger) योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
7. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी। परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी। चूंकि क्रय मूल्य 50.00 लाख से अधिक है, नीलामी के सफल क्रेता को आय कर नियमों के अनुसार नीलामी क्रय मूल्य के 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा।
9. सफल बोलीदाता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी स्थानीय करों, शुल्कों, रैट्स, गणना चार्जेज, नीलामी की संपत्ति से संबंधित शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
10. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों का विवरण अधोहस्ताक्षरी की जानकारी एवं ज्ञान में सत्य हैं किन्तु उक्त विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि एवं खामियों के लिए [illegible]

तिथि: 16 मार्च, 2020
स्थान: दिल्ली

हस्ता./-
श्रीओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
ब्रिजेन्दर सिंह देसवाल
श्रीओम बायर्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक
आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021
सी-122, न्यू राजेन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 फोन: 9811414181,
ईमेल: liquidation.shreeomwires@gmail.com, brijender@deswal.com

वाणिज्यिक भवनों में बिजली बचत के नियम अनिवार्य कर चुके हैं 15 राज्य : बीईई महानिदेशक

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

वाणिज्यिक इमारतों को कम बिजली खपत वाला और ऊर्जा दक्ष बनाने की योजना ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अब तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 15 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अनिवार्य कर चुके हैं तथा दस राज्य इसे अधिसूचित करने की तैयारी हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) राज्यों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन कर रह रहा है। इसके तहत इमारतों के डिजाइन और निर्माण इस रूप में किया जाता है जिससे बिजली की खपत कम-से-कम हो। बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा कि लगभग सभी राज्य ईसीबीसी लागू करने के पक्ष में हैं। इसका कारण इससे होना वाला लाभ है। अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ईसीबीसी योजना को अनिवार्य बनाया है जबकि बिहार, मध्य प्रदेश जैसे 10 राज्य इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करने के अंतिम चरण में हैं। जिन राज्यों ने ईसीबीसी को अनिवार्य बनाया है, वे उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडीशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी हैं। वहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और गोवा इस योजना को अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना जारी करने के अंतिम चरण में हैं।

एनसीएलटी अब चेन्नई में भी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की एक पीठ का गठन चेन्नई में किया जा रहा है।

यह पीठ दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगी। सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है। यह 18 मार्च से काम करने लगेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

खबर कोना

कर्नाटक में सातवीं से नवीं तक की कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित

बेंगलुरु, 15 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर सातवीं से नौवीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित करने का एलान किया है। राज्य में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि पांच लोग संक्रमित हैं।

शिक्षा विभाग के एक परिपत्र के अनुसार परीक्षाओं की संशोधित तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी, तब तक स्कूल बंद रहेंगे। जन निर्देश निदेशक ने शनिवार को एक परिपत्र में कहा था, कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर एहतियाती तौर पर सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित की जाती हैं। परिपत्र में कहा गया है कि यह आदेश निजी और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों समेत सभी स्कूलों पर लागू होता है।

तमिलनाडु में 31 मार्च तक केजी, प्राइमरी स्कूल बंद

चेन्नई, 15 मार्च (भाषा)।

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती कदम उठाते हुए सभी किंडरगार्डन (बालवाड़ी) और प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का रविवार को निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने पड़ोसी केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमाओं से लगते 16 जिलों में तालुकों में इस महीने के अंत तक सिनेमाघरों और मॉल को बंद रखने का भी आदेश दिया है जहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। अभी तक राज्य में संक्रमण का एक मामला सामने आया है। कांचीपुरम जिले के 45 वर्षीय इंजीनियर को आने वाले दिनों में छुट्टी मिलने वाली है क्योंकि उसकी तबीयत सही हो गयी है। उसमें कोविड-19 का संक्रमण नहीं पाया गया। एक विस्तृत बयान में पलानीस्वामी ने कहा कि चेन्नई, मदुरै, कोयबंटूर और तिरूचिरापल्ली हवाई अड्डों पर पहुंच रहे यात्रियों में यदि इस विषाणु के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें पृथक रखा जाए। उन्होंने कहा, 'यदि जरूरी हुआ तो यात्रियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार इन हवाई अड्डों में पृथक सुविधा केंद्रों में 14 दिनों के लिए भेजा जाए।' उन्होंने राजस्व, पुलिस और परिवहन विभागों को पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में एहतियात के तौर पर युद्ध स्तर पर संयुक्त रूप से चेक पोस्ट स्थापित करने की सलाह दी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई निर्देश दिए हैं।

असम ने स्कूल बंद किए, 29 मार्च तक परीक्षाएं रद्द

गुवाहाटी, 15 मार्च (भाषा)।

असम सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों, जिमखानों, स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों को तत्काल प्रभाव से 29 मार्च तक बंद करने का रविवार को आदेश दिया। असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'राज्य में अभी तक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आने के बावजूद हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं।' उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर 29 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 'सरकारी सभागारों में होने वाले सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि निजी सभागार भी ऐसा ही करेंगे।' मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में लोगों को एकत्रित न होने के लिए कहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी से उत्पन्न किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फिल्मों की शूटिंग पर 19 मार्च से रोक

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के मद्देनजर विभिन्न फिल्म संगठनों ने 19 मार्च से 31 मार्च तक फिल्म, टीवी शो और वेब सीरिज की शूटिंग रोकने का रविवार को फैसला किया। हालात पर चर्चा एवं फैसला लेने के लिए हुई बैठक में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आइएमपीपीए), वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल (आइएफटीपीसी) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

सिग्नेट इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
207, दूसरा तल, चाणक्या कॉम्प्लैक्स, बी-10, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, भारत
हिते एवं कृते आवेदक,
सिग्नेट इंफोटैक प्राईवेट लिमिटेड
ह./- दीपा मोहन्ती
(निदेशक)
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 16 मार्च, 2020
DIN: 08060667

सार्वजनिक सूचना
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नोएडा के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 (2013 के 18)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के मामले में
तथा
पर्टेक्स एयरोमैरिन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 33, एम/एस के नं. 14/1, सेक-23, द्वारका, ईडीएफसी कॉम्प्लैक्स के निकट, नई दिल्ली-110077 में है, के मामले में
आवेदक
कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग,2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः
पर्टेक्स एयरोमैरिन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./- विशाल
(DIN: 06862887)
निदेशक
सी-409, ड्रीम्स अपार्ट. प्लॉट 14, सेक. 22 द्वारका, नई दिल्ली-110075
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 16.03.2020

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
अयान टैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U17200DL2013PTC257910)
जिसका पंजीकृत कार्यालय - ई-120, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली -110048
...आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
कृते अयान टैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
धन राज
(निदेशक)
डीआईएन: 01327082
दिनांक: 16 मार्च 2020
स्थान: पंचकूला

www.readwhere.com

कोरोना के लिए एम्स ने जारी की 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन

न हों परेशान, डॉक्टर करेंगे समाधान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मदद को डॉक्टर आगे आए हैं। इसके मद्देनजर एम्स दिल्ली ने कोरोना को लेकर चौबीसों घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अब कोरोना से संक्रमित या संदिग्ध लोग या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति फोन नंबर 9971876591 पर इससे जुड़ी जानकारी व मदद ले सकते हैं।

कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या फिर संदिग्ध लोग किसी भी समय फोन करके ले सकते हैं जानकारी

इसी तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने दो हेल्पलाइन नंबर चालू किया है। इन पर भी 24 घंटे डॉक्टरों से कोरोना से संबंधित जानकारी व मदद ले सकते हैं। चिकित्सक एम्स की ओर से शुरू की गई हेल्पलाइन पर जानकारी देंगे। चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी में सबसे जरूरी है कि जिसे भी यह संक्रमण होने की आशंका हो वे डरने की बजाय खुद को दूसरों से एक सुरक्षित दूरी पर रखें। घबरा कर भीड़ भरी ओपीडी में जाने की बजाय ऑनलाइन जानकारी लेकर चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से निर्धारित केंद्र पर पहुंचे। जहां निश्चित तौर पर बीमारी के उबरने के इंतजाम मिलेंगे। आइएमए के महासचिव डॉ आरवी असोकन ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर घबराने की जररूत नहीं है बल्कि इसे लेकर एहतियात बरतने की दरकार है।

डॉ असोकन ने कहा कि आइएमए लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे दो हेल्पलाइन नंबर 9999672238, 9999672239 हैं। आइएमए अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा ने बताया कि इन दो नंबरों पर सोमवार सुबह दस बजे से जानकारी दी जाएगी। यह दोनों लाइनें सुबह से शुरू हो जाएंगी और 24 घंटे काम करेंगी। लोग मदद ले सकते हैं।

हेल्पलाइन

एम्स
971876591
आइएमए
9999672238
9999672239

हाथ धोने का भी तरीका सीखें

एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ उमा कुमार कहा कहना है कि लोग हाथ धोने या सैनिटाइजर के उपयोग की बात करने लगे हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन हाथ कैसे धोना है कितनी देर धोना है या कैसा सैनिटाइजर लगाना है यह जानना भी अहम है। साबुन और पानी से हाथ धोना बेहतर है। केवल पानी से धोना संक्रमण की संभावना को कम करता है लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं हटाता है। साबुन इतना सक्षम है कि इससे हाथ धोने पर किटाणु पूरी तरह हट जाते हैं। डॉ उमा बताती हैं कि हर बार कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। सैनिटाइजर में कम से कम 60 फीसद अल्कोहल होना चाहिए। हाथों के सभी हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथ ज्यादा गंदे हैं तो यह बहुत प्रभावी नहीं है। इसे साबुनसे धोना ही बेहतर है।

'मरीज जल्द स्वास्थ्य तंत्र को सूचना दे'

नई दिल्ली। कोरोना से पीड़ित मरीजों व संदिग्ध व्यक्तियों को विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वे बीमारी को छुपाने की बजाय इस बीमारी की सूचना समय से अस्पताल प्रबंधन या स्वास्थ्य अधिकारियों को दें। ऐसा करना मरीज के लिहाज से तो जरूरी है ही साथ ही तभी बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली में हुई एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद यह कहा है। उच्चस्तरीय सूत्रों ने बताया कि जिस महिला की मौत हुई है उनका बेटा 23 फरवरी को इटली से वापस भारत आ गया था। उसके संपर्क में आने के कारण ही महिला को कोरोना संक्रमण हुआ था।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ–226013 (उ0प्र0)
द्वारा नामांकन आमंत्रण
कार्यकारी अधिकारी हेतु 20वीं एक वर्षीय अंशकालिक सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम 2020–21
(240 घंटों का शिक्षण, प्रत्येक 9 दिनों के 4 ''परिसर स्थित मॉड्यूल'' के साथ)
जीएमपीई कार्यक्रम को कार्यरत कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आगामी करियर परिवर्तन की तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम वास्तविक विश्व व्यापारिक प्रचलनों के साथ उन्नत प्रबंधन सिद्धांत, व्यावहारिक कौशल और मात्रात्मक उपायों को जोड़ने का कार्य करेगा।
आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी द्वारा रु.2,000/– (गैर–वापसी योग्य) के साथ उचित रूप से भरा गया आवेदन फॉर्म "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एमडीपी), भारतीय प्रबन्ध संस्थान, प्रबंध नगर, आईआईएम रोड, लखनऊ–226013" के पते पर अंतिम तिथि: 10 अप्रैल, 2020 तक पहुंच जाना चाहिए।
आवेदन पत्र लिंक: http://www.iiml.ac.in/executive-education/long-duration-programmes/gmpe से डाउनलोड किया जा सकता है।
विवरण हेतु संपर्क करें: फोन नं. (0522) 6696287/6696288/6696283/6696282,
ईमेल: gmpe20@iiml.ac.in, वेबसाइट: http://www-iiml-ac-in/

ट्रेनों में अब नहीं मिलेगा कंबल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने अपने वातानुकूलित कोच में यात्रियों को कंबल न देने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे ने अपने जारी बयान में कहा है कि ट्रेनों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आम जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि एहतियात के तौर पर कोरोना के खतरे को देखते हुए रेलवे ने अगले आदेश तक एसी कोच में कंबल के वितरण को अस्थाई रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। एसी कोचों में तापमान उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा।

कोच में 23 से 25 डिग्री तापमान रखा जाएगा। चूंकि ट्रेनों के कंबलों की धुलाई रोज संभव नहीं होती वह महीने में एक बार ही धुले जाते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को अगर संक्रमण है तो उसका उपयोग किया हुआ कंबल दूसरे को भी संक्रमण कर सकता है। लिहाजा ट्रेनों में कंबल न देना बचाव के लिहाज से अहम कदम है। चादरों की रोज धुलाई होती है इसलिए चादर व तकिए का कवर जैसे दिया जाता है वैसे ही दिया जाएगा। इसके अलावा इन कोच के पर्दे भी हटाने की योजना है ताकि रोज न धुले जा सकने वाले परदे से संक्रमण न होने पाए। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि ट्रेनों में सीटों के हैडल वगैरह पर कीट नाशकों से सफाई की जा रही है। सीटों पर भी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साफ सफाई की नियमित निगरानी की जा रही है।

कोरोना पीड़ित की हालत में सुधार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कोरोना वायरस से संक्रमित मृत महिला के बेटे की हालत में अब सुधार है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) से बाहर लाया गया है। अब उनका इलाज पृथक कमरें में किया जा रहा है। उन्हें आरएमएल अस्पताल से सफदरजंग स्थानांतरित किया गया था।

पश्चिमी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित इस मरीज की हालत स्थिर बताई गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पश्चिमी दिल्ली की जिस 68 वर्षीय महिला की मौत हुई थी उनके बेटे की हालत अब स्थिर है। सफदरजंग के उच्चस्तरीय सूत्रों ने बताया कि जनकपुरी निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को ही उनकी मां की मौत के बाद ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल से सफदरजंग स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शनिवार को सेहत में सुधार होने पर उन्हें आइसीयू से पृथक वार्ड में कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि निगम बोध घाट पर चिकित्सकों की निगरानी में उसकी मां का अंतिम संस्कार हुआ जिसमें वह शामिल नहीं हो सके। सूत्रों ने बताया कि व्यक्ति ने पांच से 22 फरवरी के बीच स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा कर 23 फरवरी को भारत लौटे थे।

शुरुआत में उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए थे लेकिन कुछ दिन बाद बुखार और खांसी की शिकायत हुई। सात मार्च को राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इसकी सूचना दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके पूरे परिवार की जांच की गई। और उसे व उनकी मां को बुखार और खांसी की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–।।, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179574
ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 20.04.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार (बी) / गारंटर (रों) (जी) / कार्पोरेट गारंटर (रों) (सीजी) / का नाम पता / पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख तक कुल बकाया राशि भविष्य का ब्याज, खर्चे, लागत और अन्य प्रभार इत्यादि छोडकर (रु.)	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1	मैसर्स जय पॉलीकेम इंडिया लि. पता : डी–143, डिफैन्स् कॉलोनी नई दिल्ली–24 और : ए–101, लाजपत नगर–।, नई दिल्ली–24 1. श्री संदीप सिंह मधोक, डी–97, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 2. श्री सतिन्दर सिंह मधोक, डी–97, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 3. श्रीमती सुमोहिता कौर, डी–97, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 4. श्रीमती हरनीत कौर, डी–97, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 5. श्रीमती प्रकाश कौर, डी–97, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 कॉर्पोरेट गारंटर : 1. मैसर्स जसपार्क स्पैशिएलिटी कैमिकल्स् प्रा. लि., ए–101, लाजपत नगर,–।, नई दिल्ली–110024	1) सम्पत्ति खसरा नं. 38/8(1-3), 38/13/2(0-10), 38/14 (0-10) गाँव मुण्डका, दिल्ली में स्थित, भूमि का क्षेत्रफल 2318.40 वर्ग गज, एक भूतल क्षेत्रफल 287.22 वर्ग गज के साथ, यह सम्पत्ति श्री जसवंत सिंह और श्रीमती प्रकाश कौर के नाम पर है। 2) रिहायशी सम्पत्ति ए–1 / 101, लाजपत नगर–।, नई दिल्ली में स्थित, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज और बेसमेंट पर बिल्डिंग, भूतल और 3 तल, क्षेत्रफल 360 वर्ग गज, यह सम्पत्ति जसवंत सिंह के नाम पर है। 3) सम्पत्ति डी–143, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 325.00 वर्ग गज, साथ में बेसमेंट और 3 तल, क्षेत्रफल 8776 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती हरनीत कौर और श्रीमती सुमोहिता कौर के नाम पर है।	₹ 316.00 लाख ₹ 31.60 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 382.00 लाख ₹ 38.20 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 2158.00 लाख ₹ 215.80 लाख ₹ 1.00 लाख	(1) भारतीय स्टेट बैंक, 20.10.2015, रु. 477,56,96,681.46 (2) पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 24.06.2015, रु. 77,07,64,525.28 (3) बैंक ऑफ बड़ौदा, 09.12.2015, रु. 58,66,09,196.00 (4) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 24.11.2015, रु. 150,67,50,995.00 (5) आंध्रा बैंक, 07.03.2016, रु. 75,70,25,408.00 (6) बैंक ऑफ इंडिया, 04.07.2015, रु. 210,75,93,399.00 (7) इलाहाबाद बैंक, 07.10.2015, रु. 172,98,47,608.93 (8) कार्पोरेशन बैंक, 22.04.2016, रु. 150,25,20,000.00 (9) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 29.03.2016, रु. 130,34,11,686.00 (10) द फैडरल बैंक लि., 17.11.2015, रु. 45,27,44,785.81 (11) केनरा बैंक, 20.01.2016, रु. 123,69,68,471.48 (12) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 10.02.2015, रु. 81,66,19,723.65 (13) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 23.03.2016, रु. 90,68,43,654.59 कुल : 1845,33,96,135.20	(1) सम्पत्ति क्र.सं. 1 हेतु : दिनांक 08.04.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक (2) सम्पत्ति क्र.सं. 2 हेतु : दिनांक 09.04.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक (3) सम्पत्ति क्र.सं. 3 हेतु : दिनांक 09.04.2020 को अर्पाह्न 03.00 बजे से अर्पाह्न 05.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : श्री जोगिन्दर पाल सिंह, मुख्य प्रबंधक, मो. नं. 9872466408

ई–नीलामी की तिथि व समय : 20.04.2020 समय 60 मिनट, दोपहर 12.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 तक, प्रत्येक 5 मिनट के आसीमित विस्तार
अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय
दिनांक 16-04-2020 अर्पाह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले (हार्ड कॉपी) व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT
भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट / आर टी जी एस / एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या 65156762491,
भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–।।, नई दिल्ली, आई एफ एस सी कोड़ SBIN0017891 में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो ''भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–।।, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें:–
1. ई–नीलामी ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जैसा है जो भी है'' के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/S C-1 India Pvt. Ltd., हेल्पलाईन नं. 0124-4302020 to 24 के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।
4. ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। https://www.sbi.co.in/portal/web/home and https://www.bankeauctions.com
तिथि : 16.03.2020, स्थान : नई दिल्ली
हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

बिहार से इलाज करवाने आए युवक की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

सफदरजंग एन्क्लेव थाना क्षेत्र में बिहार से इलाज करवाने आए एक शख्स की हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी शनिवार रात को पुलिस को मिली थी। युवक की पहचान सुमन कुमार (24) के तौर पर हुई है। वह बीते 13 फरवरी को दिल्ली आए थे। सुमन का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था।

वह अस्पताल के पास ही एक धर्मशाला में किराए के कमरे में अपने गांव से साथ आए भाई आलोक सिंह के साथ रुके हुए थे। पुलिस ने बताया कि सुमन की हत्या चाकू से वार कर की गई है। पुलिस को उनके कमरे से शराब की बोतलें भी मिली हैं। इसके आधार पर माना जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों ने शराब पी होगी। पुलिस ने बताया कि धर्मशाला के प्रबंधक ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि आलोक उनका रिश्ते का भाई है और सुमन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रबंधक ने बताया कि दोनों शराब पीने के बाद अक्सर लड़ाई भी करते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवा दिया है और अलोक सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, सुमन कुमार बिहार के रहने वाले थे। बीती 13 फरवरी को दिल्ली आए थे। सफदरजंग में इलाज करवाने के बाद पास के ही एक धर्मशाला में 10 दिन के लिए 700 रुपए के किराए पर रहने लगे। पर इलाज लंबा चलने की वजह से वह दिन आगे बढ़ाते रहे। धर्मशाला के प्रबंधक विकास चंद्र सिंह ने बताया कि वह अक्सर शाम के वक्त शराब पीने के बाद लड़ाई–झगड़ा करते थे।

पुलिस बूथ में घुसकर आत्महत्या करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने लोगों की पिटाई से बचने के डर से जमकर बवाल किया। बदमाश ने अपने आप को पुलिस बूथ में आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। पर समय रहते पुलिसकर्मियों ने उसे बूथ से बाहर निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की पहचान संजय (24) के तौर पर हुई है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन और एक वाहन जब्त किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है।

कांशीराम की जयंती पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का बड़ा कदम

आजाद समाज पार्टी के गठन का एलान

सेक्टर-70 में संविधान की शपथ लेकर बनाई आजाद समाज पार्टी

बगैर अनुमति के जनसभा आयोजित करने पर पुलिस ने नोटिस किया जारी

2022 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनने की है संभावना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 15 मार्च।

भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने संविधान की शपथ लेते हुए रविवार को नोएडा में नए राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी का एलान कर दिया। सेक्टर-70 स्थित बसई गांव में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा कि आज हमारे रहबर (कांशीराम) का जन्मदिन है। इसी ऐतिहासिक दिन पर आजाद समाज पार्टी की घोषणा की गई है। यह एक राजनैतिक दल नहीं बल्कि एक मिशन है। मैं अपने महापुरुषों के मिशन को पूरा करना चाहता हूं। ना बिकने वाला नेता और ना बिकने वाला समाज तैयार करना है। राजनैतिक जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर का यह कदम 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की राजनाति में नया समीकरण बना सकता है।

बसई गांव में कांशीराम की जयंती मनाने का कार्यक्रम था लेकिन इसे जनसभा में तब्दील कर दिया गया। चंद्रशेखर ने लोगों से कहा कि मुझे आपका समर्थन चाहिए। इस लड़ाई में तमाम तरह के आरोप लगेंगे लेकिन इनसे डरना नहीं लड़ना है। तमाम मुसीबतों के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। मां-बहनों ने मुझे पैगाम भेजा है कि तुम पर

उम्मीद है, तुम धोखा मत देना। हम किसी एजंडे पर काम नहीं करेंगे। हम मनुवादी एजंडे को नहीं मानते और केवल संविधान को मानते हैं। पार्टी का एकमात्र लक्ष्य बाबा के संविधान को पूरी तरह से लागू करवाना है। हमें संसद या विधानसभा में नहीं बल्कि सड़कों पर मजबूत बनना है। हम परिवर्तन लेकर आएंगे और इसके लिए अब यात्रा निकाली जाएगी और देश को कमजोर नहीं होने देगे। सभी पार्टियां पूंजीपतियों की हैं, जबकि यहां का नेतृत्व युवाओं के हाथों में होगा। सभी को बागडोर संभालनी होगी और संघर्ष ही हमारा मकसद है।

कांशीराम जयंती मनाने के बजाए कार्यक्रम के जनसभा में तब्दील हो जाने से समर्थकों व कार्यकर्ताओं की संख्या करीब 1500 तक पहुंच गई। जिससे सड़क पर भयंकर जाम लग गया और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि कोरोना रोकथाम के कारण प्रशासन ने जनसभा की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने फार्म हाउस के बाहर नोटिस तक चस्पा कर फॉर्म हाउस के हॉल में ताला लगा दिया। लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए ताला खोल दिया गया। कार्यकर्ता अंदर घुस गए और कार्यक्रम शुरू कर दिया। एहतियातन मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। डीसीपी सेंट्रल जोन हरीश चंदर के मुताबिक अनुमति के बगैर आयोजन हुआ है। लोगों ने जबरन गेट का ताला खोलकर आयोजन शुरू किया है। आयोजक और शामिल होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी कर दिया गया है।

अंतरराज्यीय गिरोह की दो महिलाएं गिरफ्तार

- पलक झपकते ही पीड़िता के बैग से चोरी कर लिए थे पांच लाख रुपए
- गूगल मैप, सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस की मदद से की गईं गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने पीड़ित के बैग से पलक झपकते पांच लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया था। इनकी पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला निवासी नरगिस (35) और अंजली (23) के तौर पर हुई है। इन महिलाओं ने एक ऑटो चालक प्रमोद पोद्दार को भी अपने गिरोह में शामिल किया हुआ था, जो उन्हें बड़े मॉल्स, सिनेमा घर, भीड़भाड़ वाले बाजारों में लेकर जाता था, जहां महिलाएं चोरी की घटना को अंजाम देकर उसके ऑटो से वहां से फरार हो जाती थीं। पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। टैगोर गार्डन निवासी शिकायतकर्ता गरिमा के बयान पर पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को दबोचने के लिए गूगल मैप, जीपीएस और सीसीटीवी फुटेज के अलावा फेशियल रिकॉग्नेशन मैथड का इस्तेमाल किया था।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित ने बताया कि छात्रा गरिमा ने पुलिस को दिए गए अपनी शिकायत में बताया कि वह इन दिनों गेट परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसने टैगोर गार्डन स्थित बाजार से एक बैंक से पांच लाख रुपए निकाले थे। वह बैंक से जब बाहर निकली तो दो महिलाएं उसके पीछे पढ़ गईं। वह एक दुकान पर कुछ दस्तावेज का फोटो कॉपी करवाने के लिए गई थी। इसी बीच किसी ने उसके बैग से पांच लाख रुपए निकाल लिए। उसे शक है कि जो महिलाएं बैंक से ही उसके पीछे पढ़ गईं थीं। उन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की तो पता चला कि एक महिला अपने बैग में रुपए से बना पैकेज डालती है। चंद मिनटों में दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस टीम ने इनकी तलाश शुरू कर दी।

उपायुक्त ने बताया कि गूगल मैप की मदद से करीब तीन किलोमीटर के आसपास के इलाकों में जीपीएस की मदद से उन दोनों की तलाश की गई। बाद में फेशियल रिकॉग्नेशन मैथड की मदद से दोनों के बारे में जानकारी जुटाई गई।

आपकी शिकायतें

अव्यवस्थित यातायात से यात्री परेशान

नोएडा रजनीगंधा से सेक्टर बारह-बाइस की तरफ जाने पर तीसरी लाल बत्ती यानी सेक्टर-दस नोएडा चौक पर यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। जैब्रा-क्रासिंग न होने की वजह से पैदल यात्री सड़क के बीचोंबीच से सड़क पार करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। यातायात पुलिस अक्सर यहां नहीं होती। अगर यातायातकर्मी उपलब्ध भी होता है तो बैटरी रिक्शा वाले उसकी परवाह नहीं करते और लाल बत्ती पर लगातार चलते रहते हैं। दूसरे बैटरी रिक्शा वाले अपनी बैटरी बचाने के लिए शाम के वक्त हेडलाइट भी नहीं जलाते जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संबंधित अधिकारी ध्यान दें।

-चंद्र प्रकाश अरोड़ा, रोहणी, नई दिल्ली।

डीटीसी की बसें नहीं चलने से दिक्कत में लोग

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें पहले मेडिकल अस्पताल से गुरुग्राम और गाजियाबाद के बीच बराबर चलती थीं। पर काफी समय से अब ये बसें नहीं चल रही हैं। जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले हजारों की संख्या में बीमार और उनके तिमारदार काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन आने वाले नौकरी-पेशा लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है। संबंधित उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानों पहले की तरह नियमित बसें चलाने का आदेश देने का कष्ट करें ताकि हम जैसे लोग आराम से बस का लाभ उठा सकें।

-आशानंद, महरौली, दिल्ली।

जलभराव ने ग्रामीणों की बढ़ाई परेशानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

फतेहपुरी बेरी गांव में खाली पड़े भूमि पर जलभराव से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से खेतों में गंदा पानी जमा होने की वजह से अब पानी का रिसाव घरों के अंदर भी होने लगा है। एक ओर जहां ग्रामीणों को जलजनित बीमारियों से दो-चार होना पड़ रहा है। वहीं, भूमिगत जल प्रदूषित होने की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामिणों ने बताया कि इस स्थान पर बीते 20-25 सालों से पानी जमा हो रहा है। इससे पहले लोग खेती करते थे, लेकिन रीज से बरसात के दिनों में बह कर आने वाला पानी जमा होता गया और आज तलाब के तौर पर तब्दील हो गया है। फतेहपुर बेरी निवासी ऋषिपाल महाशय ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी को पत्र लिख चुके हैं। सांसद और विधायक को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। पर सभी ने उन्हें केवल आश्वासन ही दिए हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद पानी का स्तर बढ़ गया और कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। ऋषिपाल ने बताया कि पहले जल निकासी की व्यवस्था थी। गर्मियों के मौसम में काफी हद तक पानी कम हो जाता था। बाद में बारिश में फिर से जलभराव हो जाता था। पर बीते कुछ समय से फार्म हाउस के मालिकों ने जल निकासी को बाधित कर दिया है।

दिल्ली मेरी दिल्ली

असफल पार्किंग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जिन भूमिगत और बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया, उन्हें सफल बनाने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों ने उसके आसपास के इलाके में सड़क किनारे पार्किंग के ठेके निरस्त कर दिए। इस आदेश को इसलिए लागू किया गया है ताकि सड़क पर पार्किंग की जगह नहीं मिलने से मजबूरी में लोग भूमिगत या बहुमंजिला पार्किंग का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही पार्किंग पर व्यय होने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली सुनिश्चित हो सके, जबकि कई साल पहले शहर के मिनी कनॉट प्लेस के रूप में प्रख्यात सेक्टर-18 में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बहुमंजिला पार्किंग आज तक सफल नहीं हो पाई है। समूचे सेक्टर-18 की सड़कों पर वैध व अवैध पार्किंग की भरमार है। पार्किंग माफिया के आगे पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी बेबस हैं। वहीं, सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन बरसों से सेक्टर-18 की ज्यादातर सड़कों से पार्किंग हटाने की मांग कर रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर पुरानी योजना को लागू कर सेक्टर-18 की सड़कों से पार्किंग बंद कर दी जाती, तो सेक्टर-18 की बहुमंजिला पार्किंग पूरी तरह से गुलजार होकर कई फायदे देती। जिससे सेक्टर-18 की आबोहवा स्वच्छ रहती, व्यापारियों और शोरूमों तक लोगों को पहुंचने में आसानी होती और बहुमंजिला पार्किंग के बेहतर उपयोग से प्राधिकरण को अच्छा राजस्व मिलता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका है।

भगवान की कृपा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी कोरोना विषाणु को देश में फैलने से रोकने के उपाय करने में दिन रात लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति एक या दो हफ्ते की होती है लेकिन यहां तो दो महीने से आपातकाल लगा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अरब 30 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले हमारे देश में सब कुछ सही रहे। भगवान की कृपा से अभी तक तो सब कुछ ठीक है लेनिक अगर हमारे देश में यह विषाणु तेजी से फैलता है तो हमें तो सिर्फ भगवान ही बचा पाएंगे।

पूर्वांचल का अपमान

आखिरकार कुछ दिनों के इंतजार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में तरह-तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही पूर्वांचल से जुड़े लोगों का कहना है कि एक बार फिर से पार्टी ने पूर्वांचलियों को कोई मौका नहीं दिया है। इस बात को लेकर दबी जुबान में पूर्वांचली नेता कह रहे हैं कि पार्टी का यह निर्णय पूर्वांचलियों का अपमान है। दिल्ली में कई सीटों पर पूर्वांचली निर्णायक भूमिका में हैं। बावजूद इसके इस तबके को नजरअंदाज किया जाना पार्टी के लिए आगामी दिनों में नुकसानदायक हो सकता है। वहीं, कुछ कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि इस बार भी पार्टी में काफी हद तक अपनों पर भरोसा किया गया है। फिलहाल दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। पर निगम चुनाव होने हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शून्य पर निपटने वाली को नए अध्यक्ष किस मुकाम पर पहुंचाते हैं।

जेब में जेल

दिल्ली नगर निगम में जहां कोरोना के भय से दफ्तर खाली पड़े दिख रहे हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस के फील्ड में तैनात कर्मचारी अपनी जेब में सेनेटाइजर जैल लेकर बचाव करते नजर आ रहे हैं। रिंग रोड, सराय काले खां के पास शनिवार को लाल बत्ती पार करने के बाद गाड़ियों को रोककर चालाना काटने के बाद पुलिस वाले जेब से सेनेटाइजर निकालकर हाथ साफ करते पाए गए। बेदिल ने जब पूछा कि पूरे दिन में इसे कितनी बार लगाएंगे तो जवाब मिला कि हम लोग तो सालों भर कोरोना से पीड़ित और प्रभावित लोगों के साथ होते हैं। मसलन हमें पता नहीं होता कि जिस गाड़ी को हम जांच के लिए रोकते हैं उसमें बैठे लोग किस बीमारी से परेशान हैं। बावजूद इसके इस समय हमें विभाग से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है लिहाजा हम इसका ख्याल रख रहे हैं।

-बेदिल

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय: साधना हाउस, 2 रा तल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400018
टेली.: 22 66523500, फैक्स : +91 22 24972741, CIN: U6592MH2007PLC169791
अंचल कार्यालय का पता: एलडीए कॉलोनी, बी2/बी70, कानपुर रोड, फीनिक्स मॉल के निकट, लखनऊ-226005

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत/ अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम के अंतर्गत महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं जारी कर निम्न ऋणधारकों (उक्त ऋणधारकों) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना, जिसका विषय-वस्तु नीचे दिया गया है, में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था:

क्रम सं.	ऋणधारक (कों) गारन्टर (रों) का नाम	ऋणधारक (कों) गारन्टरों का पता	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1.	506378 राहुल जोशी, विवेक जोशी (मेरठ शाखा)	1484, ब्रह्मपुरी, भागवत आटा चक्की के निकट, मेरठ, मेरठ (एम. कॉर्प.) बिलसंडा, उत्तर प्रदेश- 250002	01.11.2019 रु. 2401954	1572, ब्रह्मपुरी, भागवत आटा चक्की के निकट, मेरठ 250002 उत्तर प्रदेश- 250002 का सभी भाग तथा हिस्सा।
2.	1033751 विष्णो सिंह, कृष्णा, विनोद कुमार परमार (आगरा शाखा)	एच.नं. 26, नीरज विहार, देहतोरा मोड़, बोडला, आगरा, आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007	30.10.2019 रु. 797765	सम्पत्ति सं. 26, खसरा नं. 519 एवं 520, शारदा विहार कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007 का भाग की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
3.	703151 जय किशोर शाक्या, किरण, बंगाली शाक्या (आगरा शाखा)	एच.नं. 233, पंचायती पंजया, कमला नगर, सैन्टा पैलेस के निकट, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश- 282005	30.10.2019 रु. 797765	प्लॉट / खसरा नं.- 1231, बघेल नगर कॉलोनी, गढ़ी, जीवनपुरम, मौजा नराईच, तहसील एतमादपुर- आगरा, उत्तर प्रदेश- 282006 का सभी भाग तथा हिस्सा।
4.	743839 रहीस, खटुना बेगम, हरि किशन (आगरा शाखा)	जे के नगर हथरस रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282006	30.10.2019 रु. 856699	खसरा नं. 1829, मौजा पोइया, विहार कॉम्प्लैक्स, जे.के. नगर, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश- 283202 का सभी भाग तथा हिस्सा।
5.	573229 विपिन त्यागी, कल्पना त्यागी, मिथिलेश, संतोष, भूपेन्द्र कुमार (गाजियाबाद) (आगरा शाखा)	एल-720 संजय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद, संजय नगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002	23.8.2019 रु. 833835	प्लॉट नं. 15, गार्डन न्यू एन्क्लेव खसरा नं.- 245, मैनपुरी, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002 का सभी भाग तथा हिस्सा।

उपरोक्त के अनुपालन में एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त ऋणधारक (कों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये के भुगतान एवं/ अथवा वसूली की तिथि तक ऊपर वर्णित तिथि से 2% प्रति माह की दर से आगे के ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड को भुगतान करें।

उपरोक्त ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त रूप में कम्पनी को भुगतान करें अन्यथा कम्पनी लागतों तथा परिणामों के लिये पूरी तरह से उक्त ऋणधारकों की जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई करेगी।

स्थान: दिल्ली/ एनसीआर
तिथि: 16.3.2020

प्राधिकृत अधिकारी
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लि.

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय: साधना हाउस, 2 रा तल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400018
टेली.: 22 66523500, फैक्स : +91 22 24972741, CIN: U6592MH2007PLC169791
अंचल कार्यालय का पता: एलडीए कॉलोनी, बी2/बी70, कानपुर रोड, फीनिक्स मॉल के निकट, लखनऊ-226005

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत/ अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम के अंतर्गत महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं जारी कर निम्न ऋणधारकों (''उक्त ऋणधारकों'') को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना, जिसका विषय-वस्तु नीचे दिया गया है, में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था:

क्रम सं.	ऋणधारक (कों) गारन्टर (रों) का नाम	ऋणधारक (कों) गारन्टरों का पता	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1.	440575 राहुल रामू सिंह, रामू लाल बहादुर सिंह (लखनऊ शाखा)	29, नेहरू रोड, दिलकशा लखनऊ 226002, लखनऊ (सीबी), विलसंडा, उत्तर प्रदेश- 226008	01.11.2019 रु. 2401954	खसरा नं. 87, एसए केए मिन, खरिका, बिजनोर, लखनऊ- 226008, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226008 पर प्लॉट का सभी भाग तथा हिस्सा।
2.	465383 कफील अहमद, अर्फा बेगम, कैफ बाबू (कानपुर शाखा)	144 ए, बी नगर, निकट जामा मस्जिद उन्नाव, उन्नाव (एनपीपी), विलसंडा, उत्तर प्रदेश-2090801	25.10.2019 रु. 1568553	एच.नं. 144, मोहल्ला ए.बी. नगर, जिला उन्नाव- 209080- 209801 उन्नाव का सभी भाग तथा हिस्सा।
3.	497093 सफीर अहमद खान फहमिदा खानम, इमरान खान (कानपुर शाखा)	फ्लैट नं. 6, 3रा तल, गोकुल धाम एचआईजी 360, रतनलाल नगर, कानपुर, कानपुर (एम. कॉर्प.), उत्तर प्रदेश- 208022	25.10.2019 रु. 1568553	एचनं. 340, एचआईजी, गोकुल धाम अपार्टमेन्ट, रतनलाल नगर जिला- कानपुर नगर-208022 के तीसरे तल पर फ्लैट नं. 6-बी का सभी भाग तथा हिस्सा।
4.	592797 मोहम्मद राशिद, तनवीर जहां (लखनऊ शाखा)	123, मूर्तिपुरम, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ- एलकेओ- इन्दिरा नगर एन उत्तर प्रदेश- 226016	29.11.2018 रु. 2244253	प्लॉट नं. 41, खसरा नं. 205, टकरोही, इन्दिरा नगर, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ-एलकेओ- आईएनडीआईआरएएन, उत्तर प्रदेश- 226016 का सभी भाग तथा हिस्सा।
5.	603821 राज कुमारी, शिव नारयाण कुशवाहा (कानपुर शाखा)	एच.नं. 509, अर्रा, नौबस्ता, कानपुर- 208021	29.11.2018 रु. 449285	अर्जी नं. 509, बीए पार्ट, ग्राम अर्रा, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021 के भाग में प्लॉट का सभी भाग तथा हिस्सा।
6.	614456 मोहम्मद राशि, मोबिन बेगम, (लखनऊ शाखा)	175/163, पीर जलील, गोगागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226018	01.11.2019 रु. 1725806	फ्लैट नं. एफ, 1ला तल, खसरा नं. 163, पीर जलील, साउथ वार्ड पीर जलील, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226018 का सभी भाग तथा हिस्सा।
7.	708942 विमल कुमार, कान्ती देवी, अजय कुमार शुक्ला (कानपुर, एलसीके लखनऊ शाखा)	ग्राम देवी पुर्वा गधोलामऊ गर होलामऊ, मूसा नगर, कानपुर- 209208	25.10.2019 रु. 779357	अरजी नं. 948, गधोलामऊ ब्लॉक घटमपुर- 209808- कानपुर में स्थित सम्पत्ति
8.	762380 मानसिंह, सुष्मिता सिंह, ज्ञान सिंह, रवि सिंह (कानपुर, एलसीके शाखा)	एच.नं. 285, कल्याणी देवी, उन्नाव, उन्नाव-209801	25.10.2019 रु. 1402879	एच.नं. 285, अर्जी नं. 4818 का भाग, कल्याणी देवी रोड, लैंडमार्क- कल्याणी देवी-209801- कानपुर का सभी भाग तथा हिस्सा।
9.	623105 मधु पाण्डेय, सोनेलाल पाण्डेय (लखनऊ शाखा)	नया तिवारीपुर, तिवारीपुर, कमलाबाद, बरहौली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 227202	28.8.2019 रु. 591040	प्लॉट नं. 41, खसरा नं. 720, नवी कोट, नंदाना, परगणा- महोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 227202 का सभी भाग तथा हिस्सा।

उपरोक्त के अनुपालन में एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त ऋणधारक (कों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये के भुगतान एवं/ अथवा वसूली की तिथि तक ऊपर वर्णित तिथि से 2% प्रति माह की दर से आगे के ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड को भुगतान करें।

उपरोक्त ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त रूप में कम्पनी को भुगतान करें अन्यथा कम्पनी लागतों तथा परिणामों के लिये पूरी तरह से उक्त ऋणधारकों की जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई करेगी।

स्थान: उत्तर प्रदेश
तिथि: 16.3.2020

प्राधिकृत अधिकारी
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लि.

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Website:www.tinna.in, **email**:investor@tinna.in, **Telephone No.**:011-49518530 **Fax no.**:011-26807073
CIN:L51909DL1987PLC027186

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2019

(Rs In lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Nine Month Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Month Ended		Year Ended
		31-Dec-19 Unudited	31-Dec-18 Unudited	31-Dec-19 Unudited	31-Dec-18 Unudited	31-Mar-19 Audited	31-Dec-19 Unudited	31-Dec-18 Unudited	31-Dec-19 Unudited	31-Dec-18 Unudited	31-Mar-19 Audited
1	Total Income from Operations	3,340.49	3,847.69	9,591.59	9,852.44	12,970.99	3,340.49	3,847.69	9,591.59	9,852.44	12,970.99
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(110.34)	32.55	(328.35)	(235.49)	34.60	(110.34)	32.55	(383.41)	(235.49)	34.60
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(110.34)	32.55	(328.35)	(235.49)	34.60	(110.34)	32.55	(383.41)	(235.49)	34.60
4	Net Profit/(loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(82.01)	21.44	(244.16)	(215.12)	(15.35)	(82.01)	36.51	(299.22)	(227.17)	(3.72)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(81.11)	25.28	(242.36)	(201.01)	(13.76)	(117.98)	40.17	(297.97)	(193.24)	(2.86)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48
7	Other Equity					6,390.07					6,272.23
8	Earning Per Share (face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)										
	(a) Basic	(0.96)	0.25	(2.85)	(2.51)	(0.18)	(1.39)	0.43	(3.49)	(2.41)	(0.04)
	(b) Diluted	(0.96)	0.25	(2.85)	(2.51)	(0.18)	(1.39)	0.43	(3.49)	(2.41)	(0.04)

Note:-

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Nine Month Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Month Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinna.in

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee on 14th March, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th March,2020.

3 The Statutory Auditors have given a modified opinion on deferment of marketing, promotion and other expenses of Rs.80.43 lakhs. The company is part of circular economy where Old Tyre (Waste) is converted into reusable Crumb Rubber and value added products (Wealth). Company has first time participated in 2018-19 as sponsor in exhibitions in India and abroad to meet reputed customers at one platform and incurred expenses on lab test of product to make it of acceptable standards and other marketing and promotion expenses of these product. Benefits of these expenses would realize in next years as well. Hence company had carried forward Rs.53.62 lakhs as on 31.03.2019 to be amortised in next two years 2019-20 & 2020-21,Out of this Rs.6.70 lakhs has been amortised during the quarter & Rs.33.51 lakhs is carried forward and to be amortised in next 1 year and 1 quarter.

4 There was a delay in submission of quaterly result of 31st Dec 2019, due to migration of data from existing software to new ERP, and initial technical glitches familiarization and finalization of standalone and consolidated financial results due to this.

5 The figures in the consolidated financial results for the quarter and Nine Month Ended ended 31st December,2018 have been approved by the Company's Board of Directors, but have not been subject to audit or review.

FOR **TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED**
Sd/-
Bhupinder Kumar Sekhri
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 14th March, 2020

www.readwhere.com

जबलपुर में रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में मास्क बनाते कैदी।

जबलपुर की जेल में मास्क बना रहे हैं कैदी

भोपाल, 15 मार्च (भाषा)।

जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के कैदियों द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए मुंह और नाक ढंक कर संक्रमण से बचाने में उपयोग किए जाने वाले मास्कों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे 2000 मास्क की आपूर्ति प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को जल्द की जाएगी। जेल विभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) गोपाल ताम्रकर ने बताया कि कैदियों द्वारा 2000 मास्क का निर्माण किया जा रहा है। इन मास्क की आपूर्ति 16 मार्च को की जाएगी। कैदियों द्वारा बनाए गए एक मास्क की कीमत 7 रुपए है। उन्होंने बताया कि मास्क के निर्माण में उपयोग होने वाला सूती कपड़ा भी जेल में स्थापित पावरलूम में बनाया जाता है।

देश का वर्तमान स्वास्थ्य ढांचा वास्तविकता का पता लगाने में विफल : संसदीय समिति

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

स्वास्थ्य देखरेख की वास्तविकता का पता लगाने व उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग करने में देश के वर्तमान स्वास्थ्य ढांचे को विफल बताते हुए संसद की एक स्थाई समिति ने चिकित्सा पेशे को उत्तम बनाने के लिए उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग करने व सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है ताकि गुणवत्ता बेहतर की जा सके।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संबंधी स्थाई समिति ने सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति या व्यवसाय विधेयक पर विचार विमर्श के दौरान यह टिप्पणी की । विधेयक फिजियोथेरापी, आप्टोमैट्री, न्यूट्रिशनलिस्ट, चिकित्सा प्रयोगशाला, विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकी सहित चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े 53 से अधिक ऐसे व्यवसायों को मान्यता प्रदान करने का उपबंध करता है जिनके पास समग्र विनियामक तंत्र नहीं है। इसमें ऐसे व्यवसायियों के संबंध में एक केंद्रीय रजिस्टर बनाने का उपबंध भी किया गया है। संसद में हाल ही में पेश समिति की रिपोर्ट में स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक विनियामक प्रणाली की वकालत करते हुए कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की वास्तविकता का पता लगाने व उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग करने में देश का वर्तमान स्वास्थ्य ढांचा विफल रहा है ।

समिति का मानना है कि स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में व्यापक विनियामक प्रणाली से बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करने में मदद मिलेगी। चिकित्सा क्षेत्र में प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने पर जोर देते हुए समिति ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारण, व्यावहारिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन का मानकीकरण किया जाना चाहिए । इसमें उसे भी शामिल किया जाना चाहिए जो पढ़ाई के दौरान सीखा गया है।

चिकित्सा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले पाठ्यक्रम की वकालत करते हुए समिति ने कहा कि उत्कृष्ट व्यवहार वाले अस्पतालों के साथ साथ उत्कृष्टता केंद्र व विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें प्रशिक्षण स्थल बनाया जा सके। पाठ्यक्रम संचालित करने या प्रशिक्षण स्थल बनने के इच्छुक संस्थानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की सिफारिश भी समिति ने की है।

समिति ने जोर दिया कि चिकित्सा पेशे को उत्तम बनाने के लिए उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग व सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करके गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है और केंद्र और राज्य स्तरों पर विकसित मानकों का एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से समन्वय होना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्र, राज्य या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि द्वारा नियमित अंतराल पर प्रदान की जाने वाली धन राशि पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिसका उपयोग केंद्रों पर अनुसंधान के विकास के लिए किया जा सकता है ।

ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास निर्माण पर रोक की नीति की समीक्षा होगी

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि सरकार केंद्रीय तौर पर संरक्षित स्मारकों को उनके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए उस नीति की समीक्षा करेगी जो ऐसे स्मारकों के आसपास निर्माण को नियंत्रित करती है।

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार, केंद्रीय तौर पर संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक है जबकि 100-200 मीटर के दायरे के तहत निर्माण नियमित है। बीते कई सालों में, इस कानून ने इन क्षेत्रों के आसपास विकास कार्य को काफी बाधित किया है। इस वजह से सरकार ने ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए संसद के पिछले सत्र में संशोधन लाने का फैसला किया था।

पटेल ने कहा, ' हम सभी स्मारकों के ऐतिहासिक महत्व के आधार पर उनका पुनः वर्गीकरण करने की योजना बना रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से इसके लिए रूपरेखा देने को कहा गया है।' उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि ताज महल के आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यह कोई मजार या कोई समाधि हो तो यही तर्क लागू नहीं किया जा सकता। मंत्री ने कहा, 'मजार और समाधि के आसपास 300 मीटर के दायरे में कुछ नहीं बनाया जा सकता है।

आइआइएफसीएल के प्रबंध निदेशक पद के लिए आर जयशंकर के नाम की सिफारिश

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

बैंक बोर्ड ब्यूरो ने आखिरकार करीब तीन साल बाद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के नेतृत्व के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर ली है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव बीपी शर्मा की अध्यक्षता वाले ब्यूरो ने आइआइएफसीएल के प्रबंध निदेशक पद पर पीआर जयशंकर के नाम की सिफारिश की है। वे फिलहाल राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। यह पद 13 जून, 2017 से खाली पड़ा था। ब्यूरो के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के शीर्ष पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार तलाशने की जिम्मेदारी है। ब्यूरो के चेयरमैन और सदस्यों ने 14 मार्च 2020 को विभिन्न उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और उसके बाद आइआइएफसीएल के प्रबंध निदेशक पद के लिए जयशंकर के नाम का सुझाव दिया। ब्यूरो ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बैंक ब्यूरो तीन प्रयासों के बाद आइआइएफसीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार तलाश कर सका है। सूत्रों के अनुसार जयशंकर 2017 से साक्षात्कार दे रहे हैं। उस समय सरकार ने पहली बार उक्त पद के लिए आवेदन मंगाए थे। उस समय वे आइआइएफसीएल में महाप्रबंधक थे। लेकिन उस समय आवेदकों की सूची में किसी को उपयुक्त नहीं पाया। उसके बाद 2018 में आवेदन मंगाया गया और सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने मार्च 2019 में पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया लेकिन कोई योग्य उम्मीदवार तलाश नहीं किया जा सका। उसके बाद सरकार ने तीसरी बार पिछले साल मई में आवेदन मंगाया जो अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा।

Standard Chartered

STANDARD CHARTERED PLC

Standard Chartered PLC (the "**Company**") was incorporated in England and Wales on November 18, 1969 and registered as a public limited company under company number 00966425.
Registered Office and Principal Place of Business in the UK: 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
Tel: +44 (0)20 7885 8888; **Fax**: +44 (0)20 7885 7337; **Website**: www.sc.com; **Email**: group-corporate.secretariat@sc.com
Compliance Officer for IDRs: Ekta Lalwani; **Tel**: +91 22 6115 7853; **Fax**: +91 22 2675 7733; **Email**: ekta.lalwani@sc.com

ANNOUNCEMENT OF THE TERMINATION PROCESS FOR THE OUTSTANDING INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS (THE "IDRs")

The Company issued 240,000,000 IDRs with every 10 IDRs representing one ordinary share of US$ 0.50 nominal value (the "**Shares**") of the Company, in June 2010 (the "**IDR Programme**").

In accordance with the Deposit Agreement dated May 8, 2010 entered into between the Company and Standard Chartered Bank, Mumbai (the "**Domestic Depository**") and as amended from time to time (the "**Deposit Agreement**") and, the terms and conditions of the IDRs, as disclosed in the Prospectus issued by the Company on May 31, 2010, the Company has now decided to terminate the IDR Programme, consequently delist the outstanding IDRs from BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited (the "**Indian Stock Exchanges**").

The Company has issued a termination notice of ninety (90) days', on March 12, 2020, to the Domestic Depository and the Overseas Custodian, intimating them of its decision of terminating the Deposit Agreement and the IDR Programme, with such ninety (90) days' period commencing from March 18, 2020 and ending on June 15, 2020 (the "**Notice Period**").

Separately, the Company has, on February 28, 2020, announced that it would commence a share buy-back from March 2, 2020, pursuant to which the Company would repurchase up to a maximum aggregate value of USD 500 million of its Shares (the "**Buy-back**"). In this respect, the Company has entered into irrevocable, non-discretionary agreement with J.P. Morgan Securities plc ("**JPMS**") to enable the purchase of Shares on UK recognised investment exchanges (the "**UK RIEs**"), including the London Stock Exchange (the "**LSE**") and/or CBOE Europe Equities, by it, acting as principal. The Buy-back will continue (while regulatory approval remains in place) until the earlier of (i) May 14, 2020; or (ii) the date on which Shares worth the maximum consideration of USD 500 million have been purchased. The Company is providing the option to the holders of outstanding IDRs (the "**IDR Holders**") to participate in the Buy-back process, as part of this termination process.

The Company has formulated a set of detailed guidelines setting out the termination process and the mechanisms for participation by the IDR Holders in the same (the "**Termination Operating Guidelines**"). The Company has submitted the Termination Operating Guidelines to the Indian Stock Exchanges. A copy of the Termination Operating Guidelines is also available at the locations detailed at the end of this announcement.

During the Notice Period, the IDR Holders can exercise the Conversion Option, the Cash-out Option or a combination of both the options, by submitting a withdrawal order (form of which would be provided to the IDR Holders) (the "**Withdrawal Order**"). Under the *Conversion Option*, IDR Holders will be entitled to receive Shares underlying the IDRs submitted under this option. Under the *Cash-out Option*, the IDR Holders are entitled to surrender some or all of their IDRs for cash proceeds (after deducting applicable taxes and brokerage fee) from the sale of underlying Shares on the LSE. Please see the table below for details.

If there are outstanding IDRs post the completion of the Notice Period, including for which (a) no Withdrawal Order is submitted during the Notice Period; or (b) an invalid Withdrawal Order has been submitted during the Notice Period; or (c) a Withdrawal Order is submitted after May 29, 2020, to the extent of IDRs surrendered under the Cash-out Option; or (d) for which a Withdrawal Order is submitted selecting the Cash-out Option, but the Shares (all or part) underlying the IDRs could not be sold on the LSE (prior to the end of the Notice Period)- to the extent of IDRs representing such unsold Shares (all such outstanding IDRs referred hereinafter as the "**Sale IDRs**"), the Domestic Depository shall arrange for sale the Shares representing such Sale IDRs (without any instructions from the IDR Holders), on the LSE, as soon as reasonably practicable, at the prevailing market price, and arrange for the net proceeds of such sale to be distributed to the IDR Holders in proportion to the number of Sale IDRs held by each IDR Holder, post deduction of brokerage expenses incurred by the Domestic Depository and applicable taxes.

A letter intimating about the right of the IDR Holders to participate in the termination process and the mechanism for doing so (the "**Letter**") will be dispatched, to all IDR Holders appearing in the register of 'IDR Holders' maintained pursuant to the Depost Agreement (the "**Register**") as on March 6, 2020, by Registered A/D post at their Indian address only, along with an email to those IDR Holders who had registered their email address with the Registrar for receiving Company related communication *via* email. The Domestic Depository will also enclose a copy of the Withdrawal Order, the Termination Operating Guidelines and the Frequently Asked Questions on termination process, to the Letter.

The Withdrawal Order should be submitted, during the Notice Period, at the locations mentioned below.

The table below provides a brief summary of the key information for participation by the IDR Holders in the termination process:

Particulars	Information
Applicability of this Termination Programme	All outstanding IDRs (80,26,730 IDRs, as on March 6, 2020).
Notice Period during which Withdrawal Order may be submitted by the IDR Holders	Commencing from March 18, 2020 until June 15, 2020. All Withdrawal Orders must be submitted so as to be received by no later than 5.00 p.m. (Mumbai time) on June 15, 2020. Submission of Withdrawal Order is voluntary and the IDR Holders are not obliged to provide instructions for the Conversion Option and/or the Cash-out Option. Provided however, the Domestic Depository shall sell the Shares underlying the Sale IDRs after the delisting, on the LSE at the prevailing market price, and arrange for the net proceeds of such sale to be distributed to the IDR Holders.
Options during the Notice Period	During the Notice Period, an IDR Holder may submit the Withdrawal Order(s), setting out one of the following options: (a) Conversion Option; OR (b) Cash-out Option; OR (c) a combination of both (a) and (b) above, provided in case of (c), each such option is exercised for a separate set of IDRs.
Conversion Option	Under this option, the IDR Holders are entitled to receive the Shares underlying the IDRs offered under this option. IDR Holders will only be entitled to receive Shares to the extent permitted by all applicable laws. Such Shares shall be issued in dematerialised form in the respective CREST account of the IDR Holder. Indian IDR Holders should carefully note that: (a) in terms of the circular dated July 22, 2009 notified by the Reserve Bank of India, listed Indian companies and Indian mutual funds registered with SEBI may either sell or continue to hold Shares (upon redemption of IDRs) subject to the terms and conditions of Regulation 6B and 7 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004, as amended, and (b) in terms of the approval received by the Company from the Reserve Bank of India, on December 11, 2019, other persons resident in India (i.e. resident persons other than listed Indian companies and Indian mutual funds), including resident individuals, are allowed to continue to hold the Shares (pursuant to redemption of IDRs under the termination process) for any period (and not limited to only thirty (30) days). Provided, upon sale of such Shares, the proceeds of the sale have to be repatriated to India immediately on receipt thereof, and in any case no later than sixty (60) days from the date of sale of the Shares.
Cash-out Option	Under this option, during the Notice Period, the IDR Holders are entitled to surrender some or all of their IDRs for cash proceeds from the sale of underlying Shares on the LSE. The Shares corresponding to the IDRs surrendered under the Cash-out option, by the IDR Holders would be offered for sale on the LSE in the open market, and such Shares may be purchased by JPMS under the Buy-back process or any third party outside the Buy-back process. The proceeds (post deduction of applicable taxes and brokerage expenses incurred by the Domestic Depository) of sale of the Shares shall be distributed to the IDR Holders by the Domestic Depository. JPMS may, under the Buy-back process, acquire Shares until the completion of the Buy-back headroom of USD 500 million (the "**Buy-back Headroom**") or until May 14, 2020, whichever is earlier. Such Buy-back Headroom is not limited to the Shares underlying the IDRs and extends to all outstanding Shares of the Company. The Buy-back Headroom is applicable only with respect to Shares that can be purchased by JPMS on the UK RIEs as part of the Buy-back process. Please note that such Buy-back Headroom is not applicable with respect to purchase of Shares by any third party (other than if JPMS is purchasing under the Buy-back process). Since JPMS may purchase the Shares offered on the LSE only until the earlier of the date on which the Buy-back Headroom (i.e. USD 500 million) is reached or until May 14, 2020, the Shares offered on the LSE post such date shall not be purchased by JPMS under the Buy-back process, but can be purchased by any third party. **Please note that the IDRs surrendered under the Cash-out Option, vide, Withdrawal Order submitted after May 29, 2020, shall be considered as 'Sale IDRs' and the Shares underlying such IDRs will be sold on the LSE alongside the Shares underlying any other outstanding IDRs, after completion of the Notice Period.**
Minimum number of IDRs which should be tendered, pursuant to the Withdrawal Order	*Conversion Option* - 10 IDRs and multiples thereof. *Cash-out Option* - 10 IDRs and multiples thereof.
Availability of Withdrawal Orders	The Domestic Depository shall enclose a copy of the Withdrawal Order, pursuant to which IDR Holders shall provide the chosen option and the relevant details, with the Letters to be sent to the IDR Holders appearing in the Register as on March 6, 2020. Also, a copy of the Withdrawal Order may be obtained in the following manner and from the following locations: *Physical copy (on request) between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. on a Business Day:* Company – 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, UK Domestic Depository – Standard Chartered Bank, 23/25 MG Road, 3rd Floor, Fort, Mumbai – 400 001 Overseas Custodian – The Bank of New York Mellon, One Piccadilly Gardens, Manchester, M1 1RN, UK Registrar – KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 *Electronic copy:* An electronic copy of the Withdrawal Order may also be downloaded from https://www.sc.com/en/investors/shareholder-information/indian-depository-receipts/idr-indian-depository-receipts/
Submission of Withdrawal Orders	IDR Holders may submit duly filled, and signed Withdrawal Orders along with the relevant enclosures, in the following manner and at the following locations: *By hand delivery between 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on a Business Day (Monday to Friday):* • At the centres designated by the Registrar as specified in **Annexure A**; or • At the office of the Registrar at KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. *By registered post or courier:* • At the office of the Registrar **only** at KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. **Withdrawal Orders must be received by no later than 5:00 p.m. (Mumbai time) on June 15, 2020. Any Withdrawal Orders/ instructions received after that point will not be processed.** **Withdrawal Orders submitted at times or locations or by modes other than those specified herein above shall be liable to be rejected.** **IDR Holders need not pay any stamp duty on the Withdrawal Orders submitted by them, irrespective of the option selected.**
Requirement for an active Crest Account in UK	(a) *Receiving Shares under the Conversion Option - yes* (b) *Receiving cash proceeds under the Cash-out Option - No* (c) *Receiving cash proceeds for sale of Shares underlying the Sale IDRs - No*
Delisting of IDRs and Freezing ISIN	As part of the termination process, the Company will apply to the Indian Stock Exchanges for delisting of the IDRs immediately after the Notice Period. The IDRs shall stand delisted after the Notice Period upon approval of the Indian Stock Exchanges. Any trading in the Sale IDRs upon receipt of approval of the Indian Stock Exchanges for delisting of the IDRs shall cease and no transfer of IDRs after such date shall be registered. The third Business Day after the date of receipt of approval from the Indian Stock Exchanges for delisting of IDRs, shall be considered 'record date' for identification of IDR holders of Sale IDRs (the "**Sale Record Date**"). The NSDL and the CDSL shall freeze the ISINs of the Sale IDRs which are in dematerialised form, (one) 1 Business Day after such record date.
Mandatory sale of Sale IDRs	The Domestic Depository shall arrange for sale of the Shares underlying the Sale IDRs (i.e. outstanding IDRs after the Notice Period, including for which (a) no Withdrawal Order is submitted during the Notice Period; or (b) an invalid Withdrawal Order has been submitted during the Notice Period; or (c) a Withdrawal Order is submitted after May 29, 2020, to the extent of IDRs surrendered under the Cash-out option; or (d) for which a Withdrawal Order is submitted selecting for the Cash-out Option, but the Shares (all or part) underlying the IDRs could not be sold on the LSE (prior to the end of the Notice Period)- to the extent of IDRs representing such unsold Shares) after the delisting, on the LSE, at the prevailing market price, and arrange for the net proceeds (post deduction of applicable taxes and brokerage expenses incurred by the Domestic Depository) of such sale to be distributed to the IDR Holders in proportion to the number of Sale IDRs held by each IDR Holder as on the Sale Record Date. Such proceeds shall be distributed by the Domestic Depository to the IDR Holders (as per the list provided by the securities depositories and the Registrar on the Sale Record Date) by transfer of proportionate net proceeds to their respective bank account/ issuance of a demand draft, as per the details available with the Domestic Depository and/ or the Registrar. Provided however, the net proceeds (without any interest, whatsoever) with respect to the Encumbered IDRs shall be distributed upon release/ enforcement of the encumbrance. The Company or the Domestic Depository shall not require any instruction from the IDR Holders for such sale of the Shares underlying the Sale IDRs.
Unclaimed Proceeds	If there are any unclaimed proceeds lying with the Domestic Depository from the sale of Shares underlying the Sale IDRs, the Domestic Depository shall hold these in trust for twelve (12) years (from the date it has received such proceeds for distribution) to the relevant IDR Holder(s). After completion of a period of twelve (12) years, the Domestic Depository shall transfer an amount equal to that unclaimed distribution to the "Investor Protection and Education Fund" established pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 (as amended/substituted from time to time).
Brokerage Fees	Please note that the proceeds of the sale of the Shares underlying the IDRs (as part of the Cash-out Option) and the Sale IDRs, on the LSE would be distributed to the IDR Holders net of the brokerage fee (tentatively 20 bps per Share).
Status of Encumbered IDRs	IDR Holders must ensure that the IDRs held by them are free of any encumbrance, prior to submitting a Withdrawal Order. Even if the IDR Holders are not submitting a Withdrawal Order, for the purpose of distribution of the net cash proceeds after sale of the Shares underlying the Sale IDRs, the IDR Holders must ensure that encumbrance, if any, over the IDRs held by them is released during the Notice Period. The net proceeds with respect to Shares underlying the Encumbered IDRs shall be distributed upon release/ enforcement of such encumbrance, as per the communication received by the Domestic Depository from the Registrar/ Security Depository.

FOR FURTHER DETAILS IN RELATION TO THE TERMINATION PROCESS, PLEASE READ THE TERMINATION OPERATING GUIDELINES, AVAILABLE, ON REQUEST, AT THE OFFICE OF THE COMPANY AT 1 BASINGHALL AVENUE, LONDON, EC2V 5DD, UK, THE DOMESTIC DEPOSITORY AT STANDARD CHARTERED BANK, 23/25 MG ROAD, 3RD FLOOR, FORT, MUMBAI - 400 001, THE OVERSEAS CUSTODIAN AT THE BANK OF NEW YORK MELLON, ONE PICCADILLY GARDENS, MANCHESTER, M1 1RN, UK, AND THE REGISTRAR AT KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED SELENIUM TOWER B, PLOT NOS. 31 & 32, FINANCIAL DISTRICT NANAKRAMGUDA, SERILINGAMPALLY MANDAL, HYDERABAD - 500 032, AS WELL AS ON THE COMPANY'S WEBSITE AT HTTPS://WWW.SC.COM/EN/INVESTORS/SHAREHOLDER-INFORMATION/INDIAN-DEPOSITORY-RECEIPTS/IDR-INDIAN-DEPOSITORY-RECEIPTS/. TO ASSIST THE IDR HOLDERS, THE COMPANY HAS UPLOADED SOME LIKELY QUESTIONS CONCERNING THE TERMINATION PROCESS AND THE MECHANISM FOR PARTICIPATING IN THE TERMINATION PROCESS ON ITS WEBSITE AT HTTPS://WWW.SC.COM/EN/INVESTORS/ SHAREHOLDER-INFORMATION/INDIAN-DEPOSITORY-RECEIPTS/IDR-INDIAN-DEPOSITORY-RECEIPTS/ AND THESE SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THESE TERMINATION OPERATING GUIDELINES AND OTHER APPLICABLE LAWS.

To address the queries of the IDR Holders, the Domestic Depository and the Registrar has set up dedicated telephone helplines during the working hours (i.e. 9:00 am to 6:00 pm) on all working days, until completion of the termination process and six (6) months thereafter.

The details of the dedicated telephone lines are: Domestic Depository: +91 (0)22 -6115-7854/ +91 (0)22 -6115-7758; **Registrar**: 1800 3454 001

In order to efficiently implement the termination process, the Deposit Agreement was amended pursuant to the amendment agreement dated March 12, 2020 between the Company and the Domestic Depository (the "**Amendment Agreement**"). A copy of the Amendment Agreement is available, on request, at the office of the Domestic Depository at Standard Chartered Bank, Securities Services, 23-25 MG Road, 3rd Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

IDR Holders should also consult their own counsel and advisors as to business, legal, tax, accounting and related matters under Indian and other applicable laws.

Date : March 16, 2020
Mumbai

For **Standard Chartered PLC**
on behalf of Board of Directors
Sd/-

Adfactors 481

www.readwhere.com

जनसत्ता

रिहाई और उम्मीदें

जम्मू-कश्मीर प्रदेश शासन ने नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला को रिहा करके यह सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में जैसे-जैसे हालात सामान्य होते जाएंगे, वह और नेताओं की रिहाई के बारे में भी विचार कर सकती है। पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट देने के साथ ही सरकार ने राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया था। तब सरकार और प्रशासन का कहना था कि हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और जब हालात सामान्य होने लगेंगे, इनकी रिहाई पर विचार होगा। फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का फैसला चौंकाने वाला इसलिए है कि हाल तक सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं थे कि वह राज्य के शीर्ष और ताकतवर नेताओं की रिहाई के बारे में सोच भी रही है। फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी नेता को बदले की भावना से हिरासत में रखने का उसका कोई इरादा नहीं रहा।

फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति के सबसे पुराने नेता हैं। वर्तमान में वे श्रीनगर से लोकसभा के सांसद हैं। कई बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, 2009 से 2014 तक केंद्र में भी मंत्री रहे। जाहिर है, जम्मू-कश्मीर की राजनीति में उनकी गहरी पैठ है, लोगों के बीच व्यापक जनाधार है। जम्मू-कश्मीर में इस वक्त जितने भी नेता हिरासत में हैं, वे अनुच्छेद 370 को खत्म करने के प्रबल विरोधी हैं। इसीलिए केंद्र ने पिछले साल अगस्त में जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी का फैसला करने से पहले इस बात को भांप लिया था कि इन नेताओं को अंदर किए बिना इस फैसले को लागू करना भारी पड़ सकता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि पूरी घाटी को छावनी में बदले बिना सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ा भी नहीं सकती थी। सरकार को डर था कि अनुच्छेद 370 को लेकर ये नेता घाटी में आंदोलन करेंगे, विरोध-प्रदर्शन करेंगे और नौजवानों को भड़का सकते हैं और इससे जो हिंसा भड़केगी, वह उसके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले घाटी की मुसलिम आबादी में दबदबा रखने वाले नेताओं को अंदर किया गया। हालांकि सरकार का यह कदम कितना उचित और लोकतांत्रिक था, यह विवाद का विषय है और सरकार को इसके लिए आलोचनाएं भी सुननी पड़ी हैं। बिना किसी आरोप के हिरासत में लेना और फिर जन सुरक्षा कानून की आड़ लेकर बंद कर देने जैसे फैसले पर सरकार को विपक्ष घेरता रहा है।

इसमें कोई संशय नहीं कि घाटी में लोगों को कई महीनों तक पीड़ादायक दौर से गुजरना पड़ा है। फोन और इंटरनेट सेवाएं लंबे समय तक बंद रहीं, जिन्हें कुछ समय पहले ही बहाल किया गया है। घाटी में अब राजनीतिक माहौल क्या और कैसा होगा, इसके बारे में अभी निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। घाटी में पांच मार्च से पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन पिछले महीने ही इन्हें अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का कहना था कि पहले उनके नेताओं को रिहा किया जाए, उसके बाद ही वे इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि अब देखने की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला किस दिशा में बढ़ते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उमर और महबूबा मुफ्ती सहित अन्य नेताओं की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वे अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। जो हो, घाटी में हालात सामान्य बनाने के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि सरकार और सभी विपक्षी दल टकराव का रास्ता छोड़ें और घाटी के सुनहरे भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।

संकट और बचाव

भारत में कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत और कुछ नए मरीजों का सामने आना बता रहा है कि बचाव के तमाम उपायों के बावजूद देश में यह महामारी फैल रही है। भले बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामले सामने न आए हों, लेकिन रोजाना जिस तरह से नए मरीज सामने आ रहे हैं, वह चिंता का विषय है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल आदि बंद कर दिए गए हैं। ऐहतियात के तौर पर लोगों को दफ्तर के बजाय घर से काम करने को कहा गया है। सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए कोरोना संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। हालात बेकाबू न हों, इसके लिए हर स्तर पर हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण के जितने मामले सामने आए हैं, उनसे यह साबित हो चुका है कि यह संक्रमण संपर्क के जरिए ही फैल रहा है। ज्यादातर कोरोना पीड़ित वही लोग हैं जो विदेश यात्रा से लौटे हैं और यहां जो उनके संपर्क में आया, उसे यह संक्रमण लगा।

लेकिन अब एक नई समस्या यह सामने आ रही है कि कुछ कोरोना संदिग्ध और संक्रमित अस्पतालों से चुपचाप निकल जा रहे हैं। नागपुर के अस्पताल से चार संदिग्ध भाग निकले। इसी तरह केरल में एक संक्रमित मरीज अस्पताल से खिसक लिया। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे खोज निकाला। अल्लपुझा के सरकारी मेडिकल कालेज में दाखिल एक अमेरिकी दंपति भी धोखा दे निकल गया, जिसे कोच्चि हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया। सवाल है कि क्या कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्धों की कोई निगरानी नहीं हो रही? क्या अस्पतालों में इन्हें आम मरीजों की तरह ही लिया जा रहा है? इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उसमें तो ऐसे मरीजों की खासी निगरानी और सुरक्षा होनी चाहिए। बीमारी न फैले, इसके लिए अल्पतालों में विशेषतौर पर अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। यहां से किसी मरीज का निकल जाना गंभीर बात है।

कोरोना को लेकर हर स्तर पर लोगों को जागरूकता बनाने के भी प्रयास हो रहे हैं ताकि इस बीमारी को लेकर लोगों में कोई भ्रम न पैदा हो, कोई खौफ न फैले। लेकिन दुख और हैरानी की बात है कि ऐसे वक्त में भी हमारे नेता बचकानी और बेतुकी बातें करने से बाज नहीं आ रहे। हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने यह सुझाव दे डाला कि कोरोना से बचने के लिए शाकाहारी बनें, तो कोई योग करने और गरम पानी पीने पर जोर दे रहा है। जबकि हकीकत यह है कि शाकाहार, योग कोरोना संक्रमण से बचाव का कोई उपाय नहीं हैं। सभी डॉक्टर हाथ धोने, भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और खांसी-जुकाम वाले मरीजों से एक मीटर की दूरी बनाए रखने जैसे उपायों पर जोर दे रहे हैं जो इस संक्रमण से बचाव के बुनियादी तरीके हैं। जब ऐसी महामारी फैलती है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने स्तर पर ऐसे उपाय करने लगते हैं जो उन्हें संकट में डाल सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि डॉक्टर इससे बचाव के जो तरीके बता रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज न किया जाए।

कल्पमेधा

आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम- ये तीनों ही जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं।
-टैनीसन

कर सुधारों की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

भले सरकार कर सुधारों की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन करदाताओं को इनका लाभ तभी मिल पाएगा, जब करदाता ईमानदारी से अपने करों का भुगतान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में अभी सिर्फ डेढ़ करोड़ लोग ही आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि देश के केवल तीन लाख लोगों ने ही अपनी आय पचास लाख रुपए सालाना से अधिक घोषित की है। केवल दो हजार दो सौ पेशेवरों ने ही अपनी आय एक करोड़ से अधिक बताई है।

लंबे समय से दुनिया की वित्तीय और शोध संगठनों की रिपोर्टों में भारत के बारे में यह कहा जाता रहा है कि भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी चुनौती कर संबंधी जटिलताएं हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देश जब करों के सरलीकरण के रास्ते पर बढ़ेगा, तभी तेज आर्थिक विकास हो सकेगा। ऐसे में जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष करों के लिए जीएसटी लागू किए जाने के बाद अब सरकार प्रत्यक्ष कर सुधार (डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म यानी डीटीआर) की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। यह बात उल्लेखनीय है कि एक फरवरी, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त प्रत्यक्ष कर सुधारों को लेकर तीन बड़ी घोषणाएं की थीं। अब वक्त है इन्हें अमली जामा पहनाने का। ये घोषणाएं थीं- एक, प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना। दो, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए उपभोग खर्च बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था और तीसरी, करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर को लागू करना।

देश में आजादी के बाद पहली बार प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए हाल में चार मार्च को लोकसभा में मंजूर की गई 'विवाद से विश्वास योजना' पर करदाताओं के साथ-साथ देश के आर्थिक जगत की भी निगाहें लगी हैं। देश में पहली बार इस साल पांच फरवरी को वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान की 'विवाद से विश्वास योजना' लागू करने के लिए लोकसभा में प्रत्यक्ष कर विधेयक पेश किया था। फिर इसे 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 31 मार्च तक विवादित बकाया कर का भुगतान करने पर कर दाता को कर पर लगाने वाले ब्याज एवं जुर्माने से छूट दी जाएगी। यह अवधि जरूरत के मद्देनजर बढ़ाई जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि करीब प्रत्यक्ष कर विवादों के चार लाख तिरासी हजार मामलों में 30 नवंबर, 2019 तक नौ लाख छियानवे हजार आठ सौ उनतीस करोड़ रुपए का कर फंसा हुआ है। इसमें पांच लाख दो हजार एक सौ सत्तावन करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स से संबंधित हैं और बाकी चार लाख चौरानवे हजार छह सौ इकहत्तर करोड़ रुपए आयकर संबंधी मामलों के हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार कितनी दृढ़ संकल्प है, इसका अनुमान हाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के द्वारा प्रत्यक्ष कर से संबंधित अधिकारियों को भेजे गए उस परिपत्र से लगता है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में प्रत्यक्ष कर से संबंधित आधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि और पदोन्नति विवाद से विश्वास योजना के तहत उनके द्वारा निपटाए गए मामलों पर निर्भर करेगी।

नई प्रत्यक्ष कर समाधान योजना के तहत करदाता अपनी पिछली अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकेंगे। इस योजना के तहत आयुक्त अपील, आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के साथ-साथ मध्यस्थता और ऋण वसूली पंचाटों में लंबित मुकदमों, कर संशोधन और जब्ती के छोटे मामले भी इसमें शामिल किए गए हैं। इनके निपटान में ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट की पेशकश की गई है। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। यदि कर बकाया केवल विवादित ब्याज और जुर्माने से जुड़ा है तो योजना में घोषित निर्धारित अंतिम तिथि तक विवाद का निपटारा करने पर विवादित जुर्माने / ब्याज की पच्चीस फीसद राशि का भुगतान करना होगा। उसके बाद यह राशि तीस फीसद हो जाएगी। माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना आर्थिक सुस्ती से निपटने का कारगर हथियार साबित हो सकती है। अगर इस योजना पर ईमानदारी के साथ काम हुआ तो सरकारी खजाने को करीब नौ लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि उपलब्ध हो सकती है, साथ ही मुकदमों पर सरकार का होने वाला खर्च भी घटेगा।

आयकर भुगतान को सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट के तहत आयकरदाताओं को पहली बार दो विकल्प दिए हैं। या तो आयकरदाता पिछले वर्ष के बजट में दी गई निवेश पर आयकर छूटों का लाभ ले सकता है या फिर नए बजट की आयकर छूटों का। चूंकि नया बजट एक अप्रैल, 2020 से लागू होगा, इसलिए देश के इतिहास में पहली बार करदाता चार्टर भी लागू हो जाएगा। बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 119 (ए) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। यह धारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को एक करदाता चार्टर अपनाने एवं घोषित करने के लिए अधिकृत करती है। आयकर अधिनियम में नई धारा जोड़े जाने के बाद सीबीडीटी के पास आयकर अधिकारियों को दिशानिर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि दुनिया भर में करीब चालीस देशों में ऐसे करदाता चार्टर बने हुए हैं। भारत को एक कठोर कर नियमन वाले देश के के रूप में देखा जाता रहा है। ऐसे में इस चार्टर से करदाताओं का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नए करदाता चार्टर को तैयार करते समय कानून-निर्माताओं को करदाताओं के प्रति जवाबदेही भी दिखानी होगी। करदाता चार्टर में कर विवरण सूचना की निजता, कारोबार संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता और औपचारिक समाधान प्रक्रिया से इतर एक शिकायत निपटान प्रणाली को भी शामिल किया जाना होगा। एक करदाता चार्टर भले ही करदाता को अधिकार दे देगा, लेकिन उसके प्रभावी होने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव और कर अधिकारियों के भीतर जवाबदेही की भावना लाने की भी जरूरत है।

अब जब कुछ प्रत्यक्ष कर सुधारों पर काम शुरू हो गया है, तब करदाता नई प्रत्यक्ष कर संहिता और नए आयकर कानून पर नजरें लगाए बैठे हैं। रंजन समिति की रिपोर्ट में प्रत्यक्ष कर कानूनों में व्यापक बदलाव और वर्तमान आयकर कानून को हटा कर नए सरल व प्रभावी आयकर कानून लागू करने की बात कही गई है। नए आयकर कानून में छोटे करदाताओं की सहूलियत के लिए कई प्रावधान सुझाए गए हैं। अकलन की प्रक्रिया सरल किए जाने और आयकर कानून के किसी प्रावधान को लेकर करदाता सीधे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से व्यवस्था ले सकेंगे।

भले सरकार कर सुधारों की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन करदाताओं को इनका लाभ तभी मिल पाएगा, जबकि करदाता ईमानदारी से अपने करों का भुगतान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में अभी सिर्फ डेढ़ करोड़ लोग ही आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि देश के केवल तीन लाख लोगों ने ही अपनी आय पचास लाख रुपए सालाना से अधिक घोषित की है। केवल दो हजार दो सौ पेशेवरों ने ही अपनी आय एक करोड़ से अधिक बताई है। जबकि पिछले पांच साल में तीन करोड़ लोग व्यापार के सिलसिले में या घूमने के लिए विदेश गए और पिछले पांच साल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा महंगी कारें खरीदी गई हैं। ऐसे लोग अगर ईमानदारी से कर नहीं चुकाते हैं तो इसका बोझ ईमानदार करदाताओं पर पड़ता है।

देश में अगर सभी करदाता भी ईमानदारी से कर देने की संस्कृति विकसित कर लें तो ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे ईमानदार करदाता तो लाभान्वित होंगे ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगी। साथ ही सरकार को भी इस तरह की नीतियां बनानी होंगी जो हर करदाता, खासतौर से छोटे करदाताओं के हितों के अनुकूल हों। कर प्रणाली की जटिलता को लेकर लोगों में जो भय व्याप्त हैं, उन्हें दूर करना होगा। तभी भारत 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा कर सकता है।

विलुप्ति का मंजर

सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

गाने वाली चिड़िया की कहानी हम सभी जानते हैं। कहानी का सार यह है कि एक राजा गाने वाली चिड़िया की आवाज से वंचित होने पर मौत की कगार पर पहुंच जाता है। उसे अंत में चिड़िया की मीठी आवाज ही बचाती है। यह केवल एक चिड़िया की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में चिड़िया महत्ता की सच्चाई का प्रतीक है। साहित्य से लेकर जनमानस तक और फिल्मी गीतों से लेकर मुहावरों-कहावतों तक चिड़िया का बोलबाला है। फिर चाहे 'कोयल-सी तेरी बोली...' वाला गाना हो या फिर 'अब पछताय होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत' जैसी कहावत, सबमें चिड़िया का जिक्र होता रहता है।

चिड़िया की एक अहम कहानी 'रामायण' में पढ़ने को मिलती है। मिथुन क्रीड़ा में मग्न क्रौंच पक्षी के शिकार का ब्योरा साहित्य के नवांकुर की याद दिलाता है। क्रौंच पक्षी की पीड़ा से पंत की 'वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान' की पंक्तियां सत्य की चौखट पर चरितार्थ होती दिखती हैं। क्रौंच पक्षी का दूसरा नाम ही सारस है। मांसाहारियों के लिए इसका मांस स्वादप्रिय होने के कारण आज ये लगभग लुप्त हो गए हैं। खास बात यह है कि शिकारी कुछ सारस पक्षियों को पाल कर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षित सारस पक्षी शिकारी द्वारा फैलाए दानों को चुगने के लिए अन्य सारस पक्षियों को बुलाते हैं। सुना था कि मनुष्य ही अपनी प्रजाति के साथ धोखा करने से पीछे नहीं हटता। अंतर केवल इतना है कि इस बात में सारस किसी के हाथों मजबूर है।

विलुप्ति का खंजर देश में चिड़ियों के भविष्य को लथपथ कर रहा है। प्रकृतिप्रेमी इससे काफी आहत हैं। शहरीकरण, जंगलों की कटाई, पर्यावरणीय प्रदूषण, मनुष्य की जिह्वा तृष्णा के चलते चिड़िया की चीं-चीं-चूं-चूं दबती जा रही है। उनके विचरणस्थल जैसे- जमीन, आसमान, समुद्र- सब पर अहंकारी मनुष्य का कब्जा हो चला है। अब तो उसकी नजर दूसरे ग्रहों तक पहुंच गई है। चिड़िया मनुष्य की क्षमता के आगे बेबस है। हालांकि वह दिन दूर नहीं, जब मनुष्य की क्षमता ही उसके लिए भस्मासुर का हाथ बन जाएगा।

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश में अब भी चिड़ियों की चहचहाहट से प्रेम करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन दूरबीन, कैमरा लेकर जंगल में अपने प्रिय चिड़िया की आवाजें सुनने के लिए वे घूमते रहते हैं। किसी समय झुंड में दिखाई देने वाले कौवे आज नदारद हैं। गौरैया तो मानो हमारे परिवार का हिस्सा ही बन चुका था, लेकिन मोबाइल फोन के टावरों के चलते आज वे गायब हो गए लगते हैं। गांवों में बड़ी संख्या में दिखाई देने वाले गिद्ध आज हमारे लिए सपना बन गए हैं। गिद्ध ही वह प्राणी है जो रोगग्रस्त शवों को खाकर खतरनाक कीटाणु-विषाणुओं को संक्रमित होने से रोकता था। आज गिद्ध संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए संस्थाएं तैयार हैं, लेकिन संरक्षण के लिए गिद्ध ही नहीं हैं। पेड़ों के तनों में घोंसले बना कर रहने वाले तोता, मैना, कठफोड़वा हमारे बचपन की वे यादें हैं, जिनके बिना हमारी कहानियां अधूरी हैं। दादा-दादी, नाना-नानी की गोद में सोकर हमने उन पक्षियों के किस्सों से खुद को आनंदित किया है।

तोते का अधखाया अमरूद, कोयल की मीठी बोली, कौवों से मेहमानों का संदेश, गौरैया से बच्चों की चंचलता अब कहां बचे हैं? यही कारण है कि आज हमारी बोली में न तो उनके जैसी मिठास है और न ही सुंदरता। मनुष्य की लालसायुक्त गतिविधियों और जंगलों के विनाश के कारण ये विलुप्त होते जा रहे हैं। विलक्षण पक्षियों की प्रजातियां अब केवल पुस्तक तक ही सीमित रह गई हैं। दिनोंदिन बढ़ती जनसंख्या पशु-पक्षियों के निवास स्थान रूपी जंगल को काट-छांट कर अपने लिए रहने की जगह बना रहे हैं। आज ऐसी कई प्रजातियां हैं, जिनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बन गई है। इनकी ऐसी अवस्था के लिए मानवीय क्रियाकलापों को जिम्मेदार माना जा रहा है। विलुप्ति की कगार पर पहुंची पक्षियों की प्रजातियों के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण पेड़ों की अवैध और अंधाधुंध कटाई है। पक्षियों का लगातार शिकार, उनका अवैध व्यापार और ग्लोबल वार्मिंग- ये सभी कारक उन्हें हमारी दुनिया से दूर कर रहे हैं। भूमि, जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण के चलते उनका इस धरती पर रहना दुश्वार हो गया है। आज का मनुष्य यह भूल गया है कि पृथ्वी पर अन्य जीव-जंतुओं को भी रहने का उतना ही अधिकार है, जितना मनुष्य को। वनस्पति, जीव-जंतु तथा मानव एक दूसरे के अस्तित्व के पूरक हैं। आदिकाल में शिकार, जोखिम और बहादुरी का प्रतीक था, तो मध्यकाल में शान-शौकत व मनोरंजन का काम समझा जाने लगा। आधुनिक युग में तो यह अत्यधिक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गया है। जिस दिन हम चकाचौंध छोड़ कर खुले दिल और दिमाग से इनके बारे में सोचेंगे, उसी दिन इन विलुप्त होते पक्षियों की रक्षा कर पाएंगे।

उठता भरोसा

हर व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित रहता है। खासतौर से यह चिंता अब और इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आए दिन बैंकों को लेकर चौंकाने वाली खबरें देखने-पढ़ने को मिल रही हैं। बैंकों का कर्ज लेकर भागने वालों और उस कारण बैंकों का बढ़ता एनपीए और येस बैंक डूबने, पीएमसी बैंक का भट्ठा बैंटने जैसी घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है और इससे लोगों का बैंकिंग व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। लोगों को लग रहा है कि उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करें? ऐसी स्थिति में सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह बैंकों की नीति में कुछ ऐसे ठोस बदलाव करे जिससे बैंकों की सुरक्षा मजबूत हो और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। तभी लोगों में बैंकों को लेकर भरोसा कायम होगा।

● *अमन माहेश्वरी, दिल्ली*

नियामक पर सवाल

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी करने वाले नियामक रिजर्व बैंक की लापरवाही। इसी सरकार में यह देखने को मिला है कि रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं में भी पदों की नियुक्ति राजनीति से ओतप्रोत है। पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक में शीर्ष नियुक्तियों और सरकार से असहमति के चलते इस्तीफों को लेकर जिस तरह की सिथतियां बनीं, उसका असर बैंक के कामकाज की संस्कृति और साख पर पड़ना लाजिमी है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जितने बैंक घोटाले सामने आए हैं, उसमें रिजर्व बैंक की भूमिका पर अंगुलियां उठी हैं। अगर नियामक ही कमजोर होगा तो बैंकों पर कैसे लगाम कसेगा?

● *मोहम्मद आसिफ, दिल्ली*

निवेशकों को चपत

कोरोना वायरस से दुनिया भर के बाजारों में जिस तरह की गिरावट बनी हुई है, उससे निवेशकों से लेकर सरकारों तक का परेशान होना स्वाभाविक ही है। पिछले गुरुवार को भारत में निवेशकों को ग्यारह लाख करोड़ की चपत लग गई। इसके साथ ही येस बैंक के डूबने की खबर ने भी बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया। जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने का सवाल है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा भारत को मिल नहीं पा रहा है। निवेशकों का बाजार में भरोसा बना रहे, इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे।

● *युगल किशोर शर्मा, खांबी (फरीदाबाद)*

मौसम की मार

पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश और ओलों ने रबी फसलें तबाह कर दी हैं। दो दशक में यह पहला मौका है, जब मार्च के पहले हफ्ते में इतनी अधिक बारिश हुई है। इस बारिश और ओलावृष्टि में गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इससे पहले ठंड और पाला पड़ने के कारण आलू और टमाटर की खेती चौपट हो गई थी। खेतों में बर्बाद फसल देख किसान खून के आंसू रो रहा है और मदद के लिए सरकार की ओर देख रहा है। अब देखना यह होगा की किसानों के नाम पर वोट मांगने वाले नेता इस पर क्या फैसला करते है। सरकार को अन्नदाताओं को मदद करनी चाहिए, ताकि उनका जो कुछ नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके।

● *नीतीश कुमार पाठक, औरंगाबाद (बिहार)*

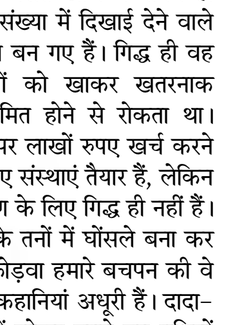

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

रिहाई से उम्मीदें

पिछले साल पांच अगस्त के बाद फारूक अब्दुल्लाह के बारे में जब पूछा गया था तो जवाब आया- नहीं, वे घर पर हैं। फिर जब पूछा गया कि वे संसद सत्र में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो बताया गया था कि वे अपने मर्जी से घर पर बंद हैं, सरकार उन्हें गोद में बिठा कर तो संसद में नहीं ला सकती। कुछ दिन और बीते तो कहा गया कि उन्हें जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण बताया कि इनके बाहर रहने से कश्मीर में दंगा हो सकता है। शांति भंग हो सकती है। यानी भविष्य का ख्याल करके कार्रवाई की गई। पिछले दिनों दिल्ली में जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जनता सब समझती है। देर आयद दुरुस्त आयद। फारूक अब्दुल्लाह को रिहा कर दिया गया। अभी भी एक हजार के करीब लोग जेलों में बंद है। अगर जमहूरियत को कायम रखना है तो इन सभी की फौरन रिहाई होनी चाहिए।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

जागरूक उपभोक्ता

जागो ग्राहक जागो- जनहित में जारी एक लोकप्रिय नारा है। यह वास्तव में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का एक सरकारी प्रयास है। भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में बढ़ते बाजारवाद ने उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं में जागरूकता की भारी कमी है। व्यापारी व उद्यमी वर्ग जहां वस्तुओं में मिलावट, नापतौल में कमी, व्यापारियों द्वारा अधिकाधिक मुनाफा कमाने और निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक तरीके अपना कर ठगने का कुप्रयास किए जाते हैं, वही भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने, बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, एमआरपी से अधिक दाम वसूलने, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री और नाप तौल में गड़बड़ी जैसी अनियमितताओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए गए। निश्चय ही जनहित में जारी यह प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब हम उपभोक्ताओं के अधिकारों व कर्तव्यों को सामान्य जन तक पहुंचाने में सफल होंगे।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू (मधेपुरा)*

www.readwhere.com

जानकारी

शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कुष्मांडा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री इन नौ नामों से नव दुर्गा की प्रतिष्ठा की जाती है। सप्तशती के मुख्य पाठ के साथ कवच तथा रहस्यों का पाठ इसके महत्व को द्विगुणित कर देता है। इससे स्पष्ट है कि चैत्र नवरात्रों का अपना अलग ज्योतिषीय महत्व प्रतिष्ठापित है।

चैत्र नवरात्र

कैलेंडर

तीज त्योहार

16 से 31 मार्च

16 मार्च :
सोमवार : शीतला अष्टमी, बसोड़ा

19 मार्च :
गुरुवार : पापमोचनी एकादशी

25 मार्च :
बुधवार : चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, गुडी पडवा

27 मार्च :
शुक्रवार : गौरी पूजा, गणगौर

30 मार्च :
सोमवार : यमुना छठ

चैत्र नवरात्र का ज्योतिषीय महत्व

प्रदीप कुमार जोशी

सनातन संस्कृति में समस्त त्योहार ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही तय तिथियों में प्रारंभ होते हैं। इन सभी की गणना देश में प्रचलित सौर मास एवं चांद्रमास के अनुसार ही होती है। चंद्रमा एवं सूर्य की गति के अनुसार इन सभी त्योहारों की अंग्रेजी तिथि निरंतर बदलती रहती है। चंद्रमा का राशि चलन नक्षत्रों के अनुसार ही होता है।

चैत्र नवरात्र भी नक्षत्र एवं चंद्रमा के अनुसार प्रारम्भ होते हैं और समाप्त होते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के प्रथम दिन से ही भारतीय नववर्ष भी प्रारंभ होता है। ऐहीलौकिक एवं पारलौकिक दो भागों में विभक्त हमारे जीवन को आयुर्वेद, ज्योतिष, योगशास्त्र, वास्तुशास्त्र एवं शिल्प कला आदि तथा वेदांत, न्याय, सांख्य योगदर्शन आदि से प्रभावित बतलाया गया है।

भौतिक जीवन की वास्तविक स्थिति के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र को सर्वोपयोगी शास्त्र कहा गया है। इसके माध्यम से मनुष्य भूत, भविष्य एवं वर्तमान को जान सकता है। भौतिक जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति प्राप्त करना ही नहीं है अपितु आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी है। जीवन की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का ज्ञान ज्योतिष से होता है तथा विषम परिस्थितियों का निराकरण भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपचारों से संभव होता है।

महामाया
भगवती दुर्गा की उपासना के लिए बासंती (चैत्र) नवरात्रियों की व्यवस्था भी धर्मज्ञों द्वारा ज्योतिषीय महत्व के अनुसार ही की गई है। इन दिनों में नव ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा के नौ रूपों का विधान है।

भगवान कृष्ण गीता में, सृष्टि के सृजन, पालन एवं प्रलय में अपनी समान स्थिति का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि ज्योतिष में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, सम्पूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूं। मेरे प्रभाव से सारी सृष्टि चल रही है। जीवन, मृत्यु, सत असत्य सब कुछ मैं ही हूं। सूर्य का तेज, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मैं ही हूं।

भगवान कृष्ण के वाक्य स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण जगत, ब्रह्माण्ड, सृष्टि ईश्वराधीन है। इस सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी स्वयं दुर्गा हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का मूल यह प्रमाणित करता है कि हमारे सभी देवी देवता मूलरूप से एक ही हैं।उन्हीं महामाया भगवती दुर्गा की उपासना के लिए बासंती (चैत्र) नवरात्रियों की व्यवस्था भी धर्मज्ञों द्वारा ज्योतिषीय महत्व के अनुसार ही की गई है। इन दिनों में नव ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा के नौ रूपों का विधान है। अतः जन्म कुंडली के ग्रहों की शांति हेतु नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की श्रद्धापूर्वक उपासना नौ ग्रहों के क्रूर प्रभाव को शांत करती है और शुभ प्रभाव को बढ़ाकर मनुष्य को तेजोमय करती है।

यह मान्यता है कि ज्योतिष में बताए गए अन्य उपायों से जब कार्य सिद्धि नहीं होती तब चैत्र की नवरात्रि में की उपासना सिद्धि प्रदान करती है और मनुष्य को विभिन्न समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। चैत्र में होने वाली नवरात्रि ही चैत्र की नवरात्रि या बासंति कहलाती है। आध्यात्मिक जगत में भगवती की उपासना की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। भगवती दुर्गा की आराधना के लिए मार्कण्डेय पुराण में विषेष आख्यान मिलता है, जोकि साधकों के लिए 'दुर्गा सप्तशती' के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पाठ से अभिलषित कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। साथ ही निष्काम भक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं।

राजासुरथ एवं समाधि नाम के वैश्य की कथा के माध्यम से प्रस्तुत दुर्गा सप्तशती में मेधा ऋषि राजा सुरथ से कहते हैं- महाराज! भगवती की शरण में जाओ। उसकी आराधना से ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को भगवती की आराधना से निस्संदेह काम्य फल की प्राप्ति हुई। दुर्गा सप्तशती के बारहवें अध्याय में विभिन्न श्लोकों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि भगवती कृपा अवश्य करती हैं।

विभिन्न श्लोकों द्वारा भगवती का यह संकल्प पठनीय है।

मां कहती हैं-हे देवताओं! जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा ध्यान करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मेरा माहात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। चैत्र में जो वार्षिकी महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस माहात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन-धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है।

शक्ति अर्जन की अमृतबेला

पूनम नेगी

ऋतु परिवर्तन की अवधि (चैत्र व आश्विन) में पड़ने वाले वासंतिक तथा शारदीय नवरात्र को अध्यात्म के क्षेत्र में मुहर्त विशेष की मान्यता प्राप्त है। इस अवधि में जगतजननी भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों (शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री) की अभ्यर्थना पुरुषार्थ साधिका देवी के रूप में की जाती है। पुराणों में से एक मार्कण्डेय पुराण के 'दुर्गा सप्तशती' अंश में भगवती दुर्गा को परम शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है।

कथा कहती है कि देवासुर संग्राम में पराजित देवताओं ने दुरात्मा महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति हेतु त्रिदेवों की स्तुति की तब त्रिदेवों के शरीर से निकला तेजपुंज एक तेजस्वी नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर समस्त देवगणों ने उस तेजस्वी महाशक्ति को अपने-अपने अमोघ अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया। इस तरह, भगवती दुर्गा को असुरों से युद्ध के लिए सज्ज किया। कथा कहती है कि इन दिव्यास्त्रों को धारण कर महाशक्ति दुर्गा ने पाश्विक प्रवृत्तियों के प्रतीक महिषासुर व उसके असुर सेनानियों का वध कर धरती पर देवत्व का साम्राज्य स्थापित किया।

पं. श्रीरामशर्मा आचार्य ने दुर्गा 'सप्तशती' में वर्णित मां जगदंबा के उपरोक्त महात्म्य की युगानुकूल व्याख्या करते हुए लिखा है दुर्गा का शाब्दिक अर्थ है दुर्ग यानी किला। अर्थात उनके दुर्ग की छत्रछाया सारे दुख-दुर्गुण, कष्ट-पीड़ा सभी दूर कर देती है। मगर मां दुर्गा के दुर्ग में प्रवेश कर पाना सबके लिए संभव नहीं; उसमें निष्कपट व निश्छल मनुष्य को ही प्रवेश मिल सकता है। मां दुर्गा दुर्गतिनाशिनी कही जाती हैं। उन्होंने अनेक असुरों को मारकर प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दिया कि महिषासुर, धूम्र लोचन, चंड-मुंड, शुंभ-निशुम्भ, मधु-कैटभ आदि असुर हमारे भीतर स्थित आलस, लालच और घमंड जैसी दुष्प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, जो हमें पतन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मां आद्यशक्ति के इस कथाप्रसंग में श्री विष्णु के कान के मैल से मधु व कैटभ दैत्यों की उत्पत्ति बताई गई है। मधु व कैटभ वध का प्रतीकार्थ यह है कि व्यक्ति भले ही कितना बलशाली हो जाए लेकिन कामसक्त होने पर दुर्गति को ही प्राप्त होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। इस कथा से प्रेरणा लेकर जो साधक नवरात्र काल में भगवती दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं वे कर्म अभिमान से मुक्त रहते हैं।

प्रस्तुत चैत्र नवरात्र काल इस कारण और भी विशिष्ट है क्योंकि इसके साथ हमारे भारतीय नववर्ष का भी शुभारम्भ होता है। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्वयंसिद्ध अमृत तिथि माना गया है। यानी वर्षभर का सबसे उत्तम दिन।

हमारे तत्वदर्शी मनीषियों ने प्रतिपादित किया था कि आत्मिक प्रगति के लिए वैसे तो किसी अवसर विशेष की बाध्यता नहीं होती लेकिन नवरात्र बेला में किए गए उपचार संकल्प बल के सहारे शीघ्र गति पाते तथा साधक का वर्चस्व बढ़ाते हैं। कारण कि सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रवाह भी इन दिनों तेजी से उभरते व मानवी चेतना को प्रभावित करते हैं। इसी कारण इस समय देव प्रकृति की आत्माएं किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्मकल्याण व लोकमंगल के क्रिया-कलापों में अनायास ही रस लेने लगती हैं। वर्तमान समय में जिस तरह व्यक्ति की जीवन के प्रति आस्थाएं गड़बडाती जा रही हैं।

चैत्र
नवरात्र काल इस कारण और भी विशिष्ट है क्योंकि इसके साथ हमारे भारतीय नववर्ष का भी शुभारम्भ होता है। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्वयंसिद्ध अमृत तिथि माना गया है। यानी वर्षभर का सबसे उत्तम दिन।

अचिन्त्य चिंतन से उत्पन्न तनाव विस्फोटक होता जा रहा है। सच्ची प्रसन्नता व प्रफुल्लता कहीं-कहीं अपवाद स्वरूप दृष्टिगोचर होती है। सभी को अभाव की शिकायत है। चाहे धन का अभाव हो, चाहे शारीरिक सामर्थ्य का और चाहे मानसिक शक्ति व संतुलन का। प्रत्येक भावनाशील युग की इन भयावह समस्याओं से मुक्ति चाहता है। कैसे मिलेगी मुक्ति? निसंदेह शक्ति के अवलम्बन से।

मगर इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि आज के आपाधापी और तेजी से दौड़ते समय में आम आदमी के पास न तो सुदृढ़ मनोबल है और न ही कड़ी तपश्चर्या का समय; लेकिन यदि नौ दिनों के इस विशिष्ट नवरात्र काल में जब वातावरण में परोक्ष रूप से दैवीय शक्तियों के अप्रत्याशित अनुदान बरसते हैं, छोटी सी अनुष्ठानिक साधना की जा सके तो चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

पूजन-परंपरा

शक्ति पूजा की देवभूमि

सुनील दत्त पांडेय

देवी भक्ति

चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संक्रांति से शुरू हुआ फूलदेई का पूजन देवभूमि उत्तराखंड में विशेष महत्व रखता है। इस दिन कन्याएं अपने मायके आकर घर की देहली की पूजा करती हैं और मायके में माता और बड़े भाई का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।

चैत्र कृष्ण पक्ष की सक्रांति से पारंपरिक पर्व भिटोणे की शुरुआत होती है जो कृष्ण पक्ष की चतुदर्शी को समाप्त होती है। इस पारंपरिक पर्व में लड़कियां अपने मायके आती हैं और अपने भाई के लिए देसी घी, दही सूजी और चीनी को मिलाकर बनाए गए सया के प्रसाद का भोग चढ़ाती हैं और भाई इसके बदले में आशीर्वाद स्वरूप बहन को टीका लगाते हैं और उपहार देते हैं। इस तरह चैत्र मास का कृष्ण पक्ष भाई बहन के पवित्र बंधन का पक्ष माना जाता है। बहन और भाई एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं।

चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र का समापन चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंडी देवी के पूजन के साथ समाप्त होता है और हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित नील पर्वत स्थित में चंडी देवी के मंदिर में चंडी

चौदस का मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम दशरथ जी के बड़े पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि देवी के पूजन के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है

हरिद्वार कनखल शिव की ससुराल माना जाता है और यही स्थान शिव की पहली पत्नी सती का जन्म स्थल है और सती ने अपने पति भगवान शिव का अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपमान होने पर उनके यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। कनखल में सती कुंड में सती ने आत्मदाह किया था इसलिए कनखल सती कुंड शक्तिपीठों की उद्गम स्थली माना जाता है और इसे सर्वांग शक्ति पीठ कहा गया है हरिद्वार में सती की नाभि जिस स्थल पर गिरी थी वहां पर माया देवी सिद्ध शक्ति पीठ की स्थापना हुई और हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित अयोध्या,मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका और मायापुरी हैं। इन सात पुरियों को मोक्षदा पुरी भी कहते हैं जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती हैं और सात पुरियों में सबसे ज्यादा महत्त्व गंगा तट पर स्थित मायापुरी का है

मैदानी भाग हरिद्वार में गंगा तट पर मां मनसा देवी, शीतला माता, सुरेश्वरी देवी, चामुंडा देवी ,तारा देवी ,आदि शक्ति पीठ दक्षिण काली देवी, बाल कुमारी देवी, सिद्ध पीठ स्थापित है वही पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल मंडल में श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर धारी देवी सिद्ध पीठ ,रुद्रप्रयाग के पास कालीमठ, नरेंद्र नगर के पास 51 सिद्ध पीठ हो में से एक कुंजापुरी देवी सिद्ध पीठ, सुरकंडा देवी, ज्वालपा देवी,चंद्रबदनी माता देवी, कंस मर्दिनी ,विंध्यवासिनी देवी, कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में मुंसियारी के पास नंदा देवी, कोकिला देवी ,द्वाराहाट में द्रोणागिरी देवी ,टनकपुर में पूर्णागिरी देवी ,नैनीताल में नयना देवी, गंगोलीहाट में हाट काली देवी के मंदिर स्थापित है। चंपावत जिले में चंडिका मंदिर का विशेष महत्व माना गया है।

चैत्र महीने को मनाने का अनूठा तरीका

बीरबल शर्मा

इस 14 मार्च से चैत्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने और इस दौरान चलने वाले व्रत त्योहारों खास कर चैत्र नवरात्रि को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में खासा उत्साह रहता है। अन्य व्रत त्योहारों के अलावा 25 मार्च से शुरू होने वाले नवरात्रि के नौ दिन भी यहां खास आयोजन किए जाते हैं।

चैत्र महीने को लेकर देवभूमि हिमाचल में आम धारणा है कि इसका नाम सीधे-सीधे नहीं लिया जाता। परंपरा रही है कि इस महीने का नाम एक विशेष जाति के लोगों के मुंह से ही सबसे पहले सुनना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि हिमाचल में यह परंपरा है कि चैत्र महीने में इस जाति के लोग जो अपने को गंधर्व गोत्र व शिव का भक्त मानते हैं और शिव द्वारा दिए आदेश का पालन करते हुए ही इस काम को करते आ रहे हैं।

यूं तो हिमाचल में ऐसे हजारों परिवार हैं मगर अभी लगभग 100 परिवार ही ऐसे हैं जो इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। चैत्र महीना शुरू होते ही ये लोग बुराह के पेड़ से बनी शहनाई और भेखली के पेड़ से बने ढोल जिस पर मरे हुए जानवर का चमड़ा चढ़ा होता है, के साथ अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर गांव-गांव जाकर मंगलोच्चारण करते हैं। ये लोग छींज गीत सुनाते हैं तथा लोग इसके बदले उन्हें वस्त्र, अनाज, धन के साथ साथ उनके माथे पर कुंगू का टीका लगाकार फूलों व

शक्ति पीठों में मेले

धूप से स्वागत करते हैं। मंडी के पुलघराट में इस परंपरा का निर्वहन कर रहे परिवार के 55 वर्षीय सदस्य बीरी सिंह ने बताया कि केवल मंगल कार्य यानी शुभ काम में ही वह शहनाई का वादन करते हुए मंगलगान करते हैं। लोग आज भी इस महीने में उनके मुख से छींज गीत सुन कर अपने को धन्य समझते हैं।

देवभूमि हिमाचल में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध देव स्थल बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध जो हमीरपुर जिले में है, में पूरे चैत्र महीने में मेले लगते हैं जिसमें पंजाब के दोआबा व अन्य क्षेत्रों से लाखों लोग दर्शनों को आते हैं। अनूठी श्रद्धा का एक सैलाब उमड़ता है जो देखते ही बनता है। यह स्थान बाबा बालक नाथ का है जो इतिहास के अनुसार बिलासपुर जिले की शाहतलाई में 12 साल तक रह कर फिर वहां से मोर बन कर दियोट सिद्ध की एक गुफा में चले गए थे। लोग यहां अपने साथ बकरे के रूप में मन्नत लेकर आते हैं मगर यहां पर बकरे की बलि नहीं दी जाती बल्कि उसे पानी डालकर बाबा की स्वीकृति लेकर अर्पित कर दिया जाता है। इसी तरह से चैत्र मास में प्रदेश के शक्ति पीठों में भी मेले लगते हैं जो सप्ताह भर चलते हैं। इन नवरात्रों में रामनवमी मनाए जाने की परंपरा नहीं है।

इस बार यह चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक हैं। कांगड़ा जिले में महिलाएं इस महीने और नवरात्रों में रली पूजन करती हैं ताकि उनका पति व परिवार सुखी रहे। देवभूमि में इसे नए संवत की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है।

नरी सेमरी

प्राचीनतम सिद्धपीठ है मां कात्यायनी पीठ

पवन गौतम

भारत प्राचीन काल से ही पवित्र स्थानों, तीर्थों, सिद्धपीठों, मंदिरों एवं देवालयों से सुसज्जित एवं सुशोभित रहा है। इसी श्रृंखला के तहत वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित राधाबाग में अति प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में मां कात्यायनी देवी विराजमान हैं।

पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृन्दावन में ही मां भगवती देवी के केश गिरे थे। आर्यशास्त्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं आद्या स्तोत्र आदि कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। श्री कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक प्राचीन सिद्धपीठ है।

श्रीमद् भागवत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के साधन का सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। यह व्रत पूरे मार्गशीर्ष के महीने में होता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा में ब्रजांगनाओं ने यहां श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया था। आज लाखों श्रद्धालु सम्पूर्ण भारत वर्ष से यहां वर्षभर आते हैं। वर्ष 1923 के फरवरी माह में बनारस, बंगाल तथा भारत के विभिन्न सुविख्यात प्रतिष्ठित वैदिक याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा वैष्णवीय परंपरा से इस मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण कराया गया था। मां कात्यायनी के साथ-साथ पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य तथा सिद्धिदाता श्री गणेश की मूर्तियो की भी इस मंदिर में प्रतिष्ठा की गई। यहां एक तरफ जहां साक्षात मां कात्यायनी अपनी अलौकिकता को लिए विराजमान है वहीं दूसरी ओर सिद्धिदाता श्री गणेश एवं अर्द्धनारीश्वर एक प्राण दो देह को धारण किए हुए विराजमान हैं। मंदिर के ही एक नियमित उपासक दीपक कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि छठे नवरात्रि पर मां कात्यायनी शक्ति पीठ में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा रहता है और इस दिन विशेष पूजा का प्रावधान भी रहता है।

वह स्थान जहां कृष्ण ने राधा को अपने नारायण रूप के दर्शन कराए

दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा में छाता के निकट एक देवी पीठ है नरी सेमरी। इसे मथुरा व आगरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुलदेवी माना जाता है। नरी सेमरी बृज रक्षिका माता का मंदिर है। मंदिर में तीन मूर्तियां हैं जो सफेद, काले व सांवले रंग की हैं। मथुरा गजेटियर व ग्रंथों में खोजने पर इसके संबंध में एक विशिष्ट कथा का पता चलता है। वस्तुतः नरी सेमरी शब्द नारी श्यामली या नर-श्यामली का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ नर-नारायण से है। इसीलिए, यह स्थल नर-नारायण वन के नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्तियां वास्तव में राधा, श्री कृष्ण व ललिता की हैं। काले कृष्ण, सांवली ललिता व गोरी राधा। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अपने नारायण रूप के दर्शन कराए थे।

इस संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार राधा श्री कृष्ण से रूठकर इस वन में चली आईं। ललिता के कहने पर श्री कृष्ण मनाने के लिए सुन्दर सांवली वीणा-वादिनी स्त्री का रूप रखकर वीणा बजाते हुए यहां आए। राधा के पूछने पर अपने को श्यामली सखी बताकर उनके मनोरंजन के लिए मनोविनोद करते हुए साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात राधा ने उन्हें पहचान लिया परन्तु तब उनकी अप्रसन्नता समाप्त होकर वह प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने नारायण रूप का ज्ञान कराया। इस प्रकार यह स्थान नारी श्यामली या नरी-श्यामली, नरी-सांवरी और कालान्तर में नरी सेमरी कहलाया।

एक दूसरी कथा यह भी है...

यहां देवी की स्थापना के संबंध में किंवदंती हैं कि आगरा के रावतपाड़ा निवासी सेठ धांधू भगत नगरकोट वाली देवी के बड़े भक्त थे। उनकी अनन्य भक्ति से मां उन पर विशेष प्रसन्न रहती थीं। एक दिन धांधू भगत ने नगरकोट वाली माता से अपने साथ आगरा चलने का अनुरोध किया था, जिसे मां ने स्वीकारा और कहा कि तुम अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगी। मां नगरकोट से चल पड़ी। काफी दूरी तक चलने के बाद ग्राम नरी सेमरी के निकट घने जंगलों में धांधू भगत को शंका हुई तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तभी मां अपने दिए गए वचन के अनुसार वहीं घने जंगलों में स्थिर हो गई। तभी से यहां इस मां की पूजा की जाती रही है।

राहुल गांधी की ताजपोशी से पहले कई कांग्रेस महासचिवों का होगा पत्ता साफ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

पहले हरियाणा में अशोक तंवर और उसके बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से विदाई के बाद पार्टी में क्षत्रपों के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए कई कद्दावर नेताओं के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले एक-दो महीने में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दोबारा ताजपोशी से पहले पार्टी के कई महासचिवों की छुट्टी की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव के बहाने पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने का कुछ वरिष्ठ नेताओं का पैंतरा भी पार्टी आला कमान को नागवार गुजरा है।

राज्यसभा चुनाव के बहाने पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने का कुछ वरिष्ठ नेताओं का पैंतरा आलाकमान को नागवार गुजरा है।

सूत्रों का कहना है कि ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी और उसकी असली वजह यह थी कि सूबे के कद्दावर जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने तंवर टिक नहीं पाए। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले तंवर की पार्टी आला कमान ने नहीं सुनी और आखिरकार उन्हें पार्टी को विदा कहना पड़ा। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी यही हुआ। मध्य प्रदेश के कई नेता जिनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, नहीं चाहते थे कि सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाए। बताते हैं कि पार्टी आला कमान पर दबाव यह था कि सिंधिया को मध्य प्रदेश के बदले छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा जाए। जाहिर तौर पर सिंधिया के लिए इस शर्त को स्वीकार करना अपने प्रदेश की सियासत में वहां के बाकी कांग्रेसी धुरंधरों के सामने नतमस्तक होने के बराबर था। शायद यही वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का फैसला किया।

हरियाणा से कुमारी सैलजा को दोबारा राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा जोरों पर थी लेकिन प्रदेश विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को उच्च सदन भेजने पर अड़ गए तो पार्टी नेतृत्व ने उनकी बात मान ली। कुमारी सैलजा ने इस फैसले को लेकर भले कुछ भी नहीं कहा हो लेकिन जाहिर तौर पर आला कमान का करीबी होना भी उनके काम नहीं आया।

सूत्रों ने कहा कि एक दिलचस्प बात यह है कि पार्टी छोड़ कर जाने वाले ज्यादातर वे नेता हैं जिनको पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबियों में गिना जाता रहा। ये वे नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के उस रुख का समर्थन किया था कि लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी लेनी चाहिए और अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह और बात है कि किसी वरिष्ठ नेता ने तो पद नहीं छोड़ा लेकिन पहले राहुल गांधी और उसके बाद उनके करीबी नेताओं के पार्टी छोड़ने की लाइन लगी है। ऐसे में अब जबकि अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, संजय निरुपम, अरुण यादव सरीखे नेता खुलकर राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने का आह्वान कर रहे हैं तो पार्टी में यह चर्चा भी जोरों पर है कि लंबे समय से कुर्सियों पर चिपके नेताओं से कुर्सियां खाली कराई जाएं। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं कि कांग्रेस के अगले अधिवेशन से पहले एक बार फिर से युवाओं की टीम को आगे लाया जाए और वरिष्ठतम नेताओं को किनारे लगाया जाए।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंकाई नागरिक को पांच साल की कैद

चेन्नई, 15 मार्च (भाषा)।

एनआइए की विशेष अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के इशारे पर भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने के जुर्म में श्रीलंका के एक नागरिक को दोषी ठहराने के बाद पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनआइए के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि अदालत ने अरुण सेल्वराजन को विभिन्न धाराओं के तहत लगे सभी आरोपों में दोषी करार दिया है।

अधिकारी ने कहा कि कोलंबो के पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात आमिर जुबेर सिद्दीकी के नेतृत्व में पाक खुफिया अधिकारियों के इशारों पर जासूसी करने को लेकर तमिलनाडु के तंजावुर के निवासी तमीम अंसारी को सितंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। तमीम भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश के तहत ऐसा कर रहा था। एजंसी ने कहा कि 17 सितंबर, 2012 को तमिलनाडु के त्रिची शहर के क्यू ब्रांच पुलिस स्टेशन में सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धाराओं और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने इस संबंध में एक मई, 2013 को फिर से मामला दर्ज करते हुए जांच का जिम्मा संभाला था।

'थोक में कॉल डेटा आंकड़े जुटाए जाने' पर जताई चिंता

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

दूरसंचार विभाग की कुछ इकाइयां कई सर्किलों में नियमित रूप से थोक में लोगों के कॉल के आंकड़े जुटा रही हैं, जिसको लेकर दूरसंचार कंपनियों ने चिंता जताई है। इन कंपनियों का कहना है कि यह सरकार द्वारा तय मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लंघन है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

दूरसंचार कंपनियों ने बताया मानकों का उल्लंघन

सूत्रों ने बताया कि उद्योग की कंपनियों ने इस तरह के व्यवहार पर चिंता जताते हुए दूरसंचार सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि दूरसंचार विभाग की दिल्ली इकाई ने दो, तीन और चार फरवरी, 2020 के दौरान पूरे राज्य का कॉल डाटा रिकॉर्ड (सीडीआर) मांगा है। इसके अलावा विशेष रूप से उन रूट के कॉल के आंकड़े मांगे हैं जिन मार्गों पर मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों के निवास और महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। इसके बाद दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश को पत्र लिखकर इस पर अपनी चिंता जताई है। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'दूरसंचार उद्योग की कंपनियों ने दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि विशेष मार्गों और क्षेत्रों के लिए सीडीआर मांगा गया है। इससे कथित रूप से निगरानी का मामला बन सकता है विशेषरूप से यह देखते हुए कि दिल्ली में कई वीवीआइपी क्षेत्र हैं जिनमें मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों के कार्यालय और आवास हैं।' इस बारे में दूरसंचार विभाग को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला। सूत्र ने बताया कि दूरसंचार विभाग पहले ही अगस्त, 2016 और अप्रैल, 2019 में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सीडीआर उपलब्ध कराने के बारे में विस्तृत निर्देश और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है। एसओपी के तहत दूरसंचार विभाग और उसकी फील्ड इकाइयों को ग्राहक की पहचान, सीडीआर मांग की जरूरत की समीक्षा, सीडीआर के उद्देश्य और प्राप्त सीडीआर का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य से नहीं करने, इस तरह की सूचना मांगने वाले अधिकृत अधिकारी को परिभाषित करने और आग्रह को मंजूरी देने का काम करना होता है। पत्र में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्र तय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और दूरसंचार विभाग से नियमित आधार पर सीडीआर में बड़ा आंकड़ा मांग रहे हैं जो एसओपी का उल्लंघन है।

उज्ह नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की कवायद

पेज 1 का बाकी

मदद दी जा रही है। यह मदद मुख्यतः परियोजना के सिंचाई संबंधी हिस्से के लिए होगी। परियोजना के लिए विशेष मदद पर भी विचार किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंधु नदी प्रणाली में प्रमुख रूप से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के बहाव वाला क्षेत्र (बेसिन) आता है जिसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत इस नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण के तहत सतलुज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां और झेलम, चेनाब व सिंधु पश्चिमी नदियां हैं। समझौते के मुताबिक, कुछ अपवाद छोड़ कर भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है।

युवकों का सहारा ले रहे आतंकी : अधिकारी

पेज 1 का बाकी

को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन किस तरह से लोगों को कट्टर बना रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वजीर पर ऑनलाइन अल्यूमिनियम पाउडर, ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किये जाने वाले जैकेट, मोबाइल बैटरी बैंक, पर्वतारोहण वाले जूते ऑनलाइन खरीदने के आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि अल्युमिनियम पाउडर काफी ज्वलनशील होता है और व्यावसायिक खनन में इसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। पहले इसका इस्तेमाल कैमरे का फ्लैश तैयार करने में होता था। वजीर ने अल्युमिनियम पाउडर को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को सौंपा जिन्होंने इसका इस्तेमाल 14 फरवरी के आत्मघाती हमले में किया, जब विस्फोटकों से भरी कार ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उससे पूछताछ में यह भी पता चला कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी किस तरह से युवकों का 'ब्रेनवाश' कर रहे हैं और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सभी षड्यंत्रकारियों के मारे जाने के बाद मामला लगभग रुक गया था तभी एनआइए को आतंकवादी आदिल अहमद डार के मकान के बारे में जानकारी मिली।

प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षेस में रखा कोरोना आपात कोष का सुझाव

पेज 1 का बाकी

के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दक्षेस देश उन सर्वश्रेष्ठ पहलों को अपना सकते हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षेस देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान आपसी सहयोग पर जोर देते हुए कहा- हमने विषाणु के संभावित वाहक की बेहतर ढंग से पहचान करने के लिए रोग निगरानी पोर्टल बनाया है। दक्षेस देशों के साथ रोग निगरानी साफ्टवेयर साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हम डाक्टरों, विशेषज्ञों के त्वरित प्रतिक्रिया दल और जांच संबंधी किट को जोड़ रहे हैं, वे तैनाती के लिए तैयार रहेंगे। उधर, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोरोना विषाणु से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दक्षेस मंत्रिस्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- दक्षेस क्षेत्र में कोरोना विषाणु से संक्रमण के लगभग 150 मामले आए हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तैयार रहें लेकिन घबराएं नहीं, यही हमारा मंत्र है। उन्होंने दक्षेस देशों के नेताओं से कहा कि हमने कोरोना विषाणु के फैलने के मद्देनजर मध्य जनवरी से ही भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच का काम शुरू किया था और धीरे-धीरे यात्रा पाबंदी को बढ़ाया। एक-एक करके उठाए गए हमारे कदमों से अफरा-तफरी से बचने में मदद मिली, संवेदनशील समूहों तक पहुंचने के लिए विशेष कदम उठाए। भारत ने विदेशों में अपने लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी और विभिन्न देशों से करीब 1400 लोगों को बाहर निकाला। मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना विषाणु प्रभावित देशों से अपने पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को भी बाहर निकालने में मदद की। मोदी ने दो दिन पहले कोरोना विषाणु से निपटने के लिए दक्षेस देशों को संयुक्त रणनीति बनाने का सुझाव देते हुए कहा था कि दक्षेस देश उदाहरण पेश करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा शामिल हुए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि दक्षेस नेताओं को कोरोना विषाणु के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के उद्देश्य से हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए। कोरोना विषाणु से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मैं दक्षेस मंत्रिस्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव करता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि दक्षेस देश कोविड-19 से जुड़े विशेष मुद्दों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के बीच सतत संवाद का सुझाव दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव का स्वागत करते हुए टेली-मेडिसिन का एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने खतरे से निपटने के लिए समन्वित पहल पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश इस हालात से अकेले नहीं निपट सकता। सोलिह ने चुनौती से निपटने के वास्ते क्षेत्रीय पहल करने और आपात कोष स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव का स्वागत किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दक्षेस देशों के बीच सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक प्रयास कोरोना विषाणु से निपटने में दक्षेस क्षेत्र में ठोस रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि कोरोना विषाणु से निपटने के लिए हम सभी एकसाथ आएं।

बंदियों की रिहाई के लिए सभी दल साथ आएं : फारूक

पेज 1 का बाकी

था। बाद में 15 सितंबर को उन पर जन सुरक्षा कानून की धाराएं लगा दी गईं और उनकी हिरासत अवधि 13 दिसंबर और 11 मार्च तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि राजनीति हमें विभाजित करे, मैं राज्य के सभी दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के बाहर जेलों में रखे गए सभी लोगों को वापस लाने के लिए एकजुट होकर आह्वान करें। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, 82 वर्षीय अब्दुल्ला ने कहा कि हम उन सभी को जल्द से जल्द रिहा देखना चाहते हैं, उन सभी को जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह एक मानवीय मांग है और मुझे आशा है कि अन्य लोग इस मांग को भारत सरकार के सामने रखने में मेरा साथ देंगे।

अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त से देखे गए महत्त्वपूर्ण बदलावों के मद्देनजर राजनीतिक विचारों के 'स्वतंत्र और स्पष्ट आदान-प्रदान' की वकालत की थी। हालांकि हम अब भी ऐसे माहौल से दूर हैं, जहां इस तरह का राजनीतिक संवाद संभव होगा। खासतौर पर ऐसे लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो कि पिछले साल अगस्त में हिरासत में लेने के बाद जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में रखे गए। उन्होंने कहा कि मुझे घर में नजरबंद किया गया था और मेरा परिवार मुझसे मिल सकता था।

करतारपुर साहिब की यात्रा रोकी गई

पेज 1 का बाकी

गया है। पंजाब के गुरदारसपुर में एकीकृत जांच चौकी पर तैनात एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के अफसर श्रद्धालुओं के आने-जाने पर रोक लगाने की जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले, शनिवार को सरकार ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमा की सीमाओं से लगे ज्यादातर जमीनी रास्तों को भी 15 मार्च की मध्य रात्रि से बंद कर दिया है। हालांकि, कुछ रास्ते लोगों के आवागमन के लिए खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब के डेरा नानक साहिब को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ने वाले इस गलियारे का उद्घाटन किया था।

मध्य प्रदेश : आज तय होगी कमल की किस्मत

पेज 1 का बाकी

उठाकर कराने की मांग की है क्योंकि विधानसभा का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है। रविवार के पत्र में टंडन ने नए निर्देश जारी किए कि विश्वास मत पर मतदान केवल हाथ उठाने के माध्यम से किया जाना चाहिए और कोई अन्य विधि से नहीं।

मुख्यमंत्री ने कमलनाथ ने रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल द्वारा शनिवार देर रात को मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर विचार किया। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के विधायक रविवार सुबह जयपुर से लौट कर भोपाल पहुंच गए। इसके लिए भोपाल हवाईअड्डे पर धारा 144 लगा दी गई थी और उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के एक होटल में रह रहे भाजपा विधायकों के रविवार रात या सोमवार सुबह भोपाल पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सोमवार सुबह भोपाल पहुंचेंगे।

सूत्रों ने बताया कि सिंधिया भोपाल आने के बाद अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के 22 बागी विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भेज चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने इनमें से छह विधायकों के त्यागपत्र शनिवार शाम को स्वीकार कर लिए जबकि 16 विधायकों के इस्तीफे पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।

बंगलुरु में ठहरे सिंधिया खेमे के इन 16 बागी विधायकों ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को फिर से इस्तीफे भेजे। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार शनिवार को इनके छह विधायक साथियों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, उसी प्रकार ये इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। विधानसभा अध्यक्ष को बेजे गए इन सभी इस्तीफों की भाषा एक जैसी है।

भाजपा ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। उधर, कांग्रेस ने दावा किया है कि विश्वास मत में उसकी जीत तय है और भाजपा के छह-सात विधायक भी उसे समर्थन देंगे। वहीं, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है और वह बहुमत साबित करने में सफल नहीं होगी।

मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को कहा, सभी विधायक हमारे साथ हैं। सिर्फ छह विधायक कम हुए हैं। सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस के छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद भी 121 से ज्यादा विधायक हमें विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में समर्थन करेंगे। भाजपा के छह-सात विधायक भी कमलनाथ को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि सदन में बहुमत साबित करने के प्रति हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। शर्मा ने कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को विश्वासमत साबित करने के लिए सदन में 16 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सदन में कब, क्या होगा यह विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी सदन में होगा, उसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। उन्होंने दावा किया कि बंधक बनाए गए 'हमारे विधायकों पर तंत्र विद्या कर हिप्नोटाइज' किया जा रहा है।

उधर, मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राज्यपाल ने जो पत्र मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजा है, उसमें कहा गया है। शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायकों को हिप्नोटाइज (सम्मोहित करना) कराए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में मिश्रा ने कहा, इनके विधायक हिप्नोटाइज हो जाते हैं।

'गृह मंत्री ने दिया राजनीतिक बंदियों की रिहाई का भरोसा'

पेज 1 का बाकी

कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हो, चाहे वह आम कश्मीरी हो या सुरक्षाकर्मी।'

बयान के अनुसार शाह ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा और क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बदलाव नहीं किया जाएगा।

गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि अगले कुछ महीनों में जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए सभी कदम उठाएगी।

बुखारी ने कहा कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा और क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बदलाव नहीं किया जाएगा। बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के 24 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में शाह से विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।

लगभग दो घंटे तक चली बैठक के बाद बुखारी ने संवाददाताओं से कहा कि शेष राजनीतिक बंदियों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा हुई। बुखारी ने कहा, 'हां, हमने शेष राजनीतिक नेताओं और अन्य की हिरासत के बारे में चर्चा की और गृह मंत्री ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है और हम उन्हें बहुत जल्द रिहा करेंगे।' पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा पिछले साल पांच अगस्त को समाप्त कर दिया गया था जिसके बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था।

दो घंटे की मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए लगभग 40 मुद्दों पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का इस केंद्र शासित क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव का कोई इरादा नहीं है और इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल को इसी तरह का आश्वासन दिया था।

भारत-बांग्लादेश रेल सेवा स्थगित

पेज 1 का बाकी

ने बताया कि मैत्री एक्सप्रेस का परिचालन कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच होता है जबकि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता को खुलना शहर से जोड़ती है। मंडल रेलवे के मुख्यालय कोलकाता ने भी सियालदह, हावड़ा और आसनसोल सहित विभिन्न डिविजनों में लोगों और रेलवे कर्मियों के बीच साफ-सफाई, बुखार, खांसी जुकाम होने पर पृथक रहने आदि की जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है।

अधिकारी ने बताया कि सियालदह स्थित मुख्यालय अस्पताल और हावड़ा, आसनसोल, मालदा डिवीजन अस्पतालों, लिलुआ स्थित रेलवे कार्यशाला अस्पताल, कंचनपाड़ा और अंडाल स्थित उप संभागीय अस्पताल में पृथक वार्ड स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के संपर्क में सबसे अधिक आने वाले स्थानों जैसे रेल डिब्बों के प्रवेशद्वार पर लगे हैंडल, शौचालयों के दरवाजों को स्वच्छ बनाने का काम आसनसोल डिवीजन में किया जा रहा है।

लश्कर व हिज्बुल के चार आतंकी ढेर

पेज 1 का बाकी

चार आतंकवादी मारे गए।

प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैय्यबा के जिला कमांडर मुजफ्फर अहमद भट, उमर अमीन भट और सजाद अहमद भट शामिल है जबकि चौथे आतंकवादी की पहचान हिज्बुल मुजाहिदीन के गुलजार अहमद भट के रूप में की गई है।

कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सौ पार

पेज 1 का बाकी

के महानिदेशक, एम्स के निदेशक, आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक आदि मौजूद थे। दिल्ली में कोरोना विषाणु के रविवार तक सात मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में 11, कर्नाटक में छह, महाराष्ट्र में 31, लद्दाख में तीन और जम्मू-कश्मीर में दो लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित हैं। इसके अलावा राजस्थान में कोरोना विषाणु के दो मामले सामने आए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में एक-एक व्यक्ति कोरोना विषाणु से संक्रमित है। केरल में कोरोना विषाणु के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें वे तीन लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कुल 107 संक्रमित लोगों में से 17 विदेशी हैं। इनमें 16 लोग इतालवी हैं। अधिकारियों ने कहा कि 107 संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 4,000 से अधिक लोगों की पहचान की गई है और उनका पता लगाया जा रहा है, जबकि देश भर में 42,000 लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के एक मामले का दावा किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र के बुलढाणा में 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोरोना विषाणु के संक्रमण से नहीं हुई है। सऊदी अरब से लौटे इस व्यक्ति की मौत शनिवार को हुई थी। रविवार को आई रिपोर्ट में बुजुर्ग के नमूने कोरोना विषाणु से संक्रमित नहीं पाए गए हैं। बुजुर्ग का इलाज एक निजी अस्पताल में हो रहा था।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में कोरोना विषाणु की जांच के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और फिलहाल रोजाना सिर्फ 10 फीसद संसाधन ही उपयोग में आ रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की दोनों जांच हर भारतीय के लिए मुफ्त हैं। इसके अलावा 80.56 लाख एन-95 मास्क खरीदने के लिए आर्डर की भी बात अधिकारियों ने कही है।

इटली व ईरान से स्वदेश लाए गए 450 से ज्यादा भारतीय

पेज 1 का बाकी

हवाईअड्डे पर सुबह करीब पौने दस बजे मिलान से कुल 218 भारतीय पहुंचे जिनमें अधिकतर छात्र थे। उन्हें दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला में आइटीबीपी के पृथक केंद्र में ले जाया गया।

ईरान से 230 से अधिक भारतीय सुबह करीब सवा तीन बजे नई दिल्ली पहुंचे और उन्हें जैसलमेर के भारतीय सेना स्वास्थ्य केंद्र में पृथक इकाई में रखा गया। ईरान से निकाले गए भारतीयों का यह तीसरा जत्था है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि ये सभी तेहरान से महान एअर के विमान से दिल्ली पहुंचे थे और उन्हें एअर इंडिया के दो विमानों से जैसलमेर ले जाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान से कुल 234 भारतीयों को निकाला गया है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता कर्नल संबित घोष ने कहा, 'एअर इंडिया के दो विमानों से रविवार सुबह 236 लोग जैसलमेर पहुंचे।' जयशंकर ने ट्वीट किया, 'ईरान में फंसे 234 भारतीय पहुंच चुके हैं। इसमें 131 छात्र और 103 जायरीन शामिल हैं। ईरान में राजदूत डी. गद्दाम और भारत की टीम, आपको इन प्रयासों के लिए धन्यवाद। ईरान के अधिकारियों को भी धन्यवाद।' कर्नल घोष ने कहा कि विदेशों से लौट रहे भारतीयों की देखभाल के लिए सैनिकों ने खुद से सेवा करने की इच्छा जताई है।

गुजरात के 24 विधायकों को जयपुर भेजा कांग्रेस ने

पेज 1 का बाकी

के चार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपने इस्तीफे सौंप दिए। त्रिवेदी ने रविवार को बताया कि वे सोमवार को विधानसभा में विधायकों के नामों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चार विधायकों ने शनिवार को मुझे अपने इस्तीफे सौंपे और मैं सोमवार को विधानसभा में उनके नामों की घोषणा करूंगा। इसके साथ 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 73 से कम होकर 69 हो गई है।

विधायकों को इस्तीफे के तुरंत बाद गुजरात कांग्रेस ने रविवार को अपने करीब दो दर्जन विधानसभा सदस्यों को जयपुर भेज दिया। करीब 20 विधायकों ने अमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी जबकि चार विधायक सूरत हवाई अड्डे से रवाना हुए। शनिवार को कांग्रेस ने अपने एक दर्जन विधायकों को जयपुर के एक रिसॉर्ट में पहुंचा दिया था। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए कदम उठा रही है।

विधानसभा में संख्याबल के आधार पर भाजपा दो सीटें जीत सकती है और उसे तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की जरूरत होगी क्योंकि इसके लिए 111 वोट की आवश्यकता होगी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 103 सीटें हैं जबकि कांग्रेस के पास 73, भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास दो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक सीट है। एक निर्दलीय विधायक भी हैं।

www.readwhere.com

कोरोना विषाणु से अब तक विश्व में छह हजार से अधिक मौतें

पेरिस, 15 मार्च (एएफपी)।

कोरोना विषाणु से स्पेन में हुई मौतों की संख्या बढ़ने के कारण वैश्विक स्तर पर इस विषाणु से संक्रमण के कारण हुई मौतों का आंकड़ा छह हजार के पार चला गया।

विभिन्न आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एएफपी द्वारा की गई गणना से यह सूचना प्राप्त हुई। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 105 लोगों की मौत के बाद विश्व में कोरोना विषाणु से मरने वालों की संख्या 6,036 हो गई है और 1,59,844 लोग इस विषाणु से संक्रमित हैं। चीन में अब तक सर्वाधिक 3,199 मौतें हो चुकी हैं और यह महामारी तेजी से यूरोप में फैल रही है जहां इटली में 1,907 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोरोना विषाणु से संक्रमण के एक मामले की पुष्टि होने के साथ देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक नया मरीज उस महिला का पति है जिन्होंने हाल में अमेरिका की यात्रा की थी और शनिवार को उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। अखबार के मुताबिक महिला की हालत गंभीर है और उसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) के पृथक वार्ड में भर्ती किया गया है।

इसी तरह अल सल्वाडोर की कांग्रेस ने आपात स्थिति का ऐलान कर दिया और हालात से निपटने के लिए देश के संविधान को आंशिक रूप से निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। देश में आपातकाल लागू होने के बाद 30 दिनों के लिए लोगों की स्वतंत्र रूप से आवाजाही और उनके जमा होने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को लोगों के जमा होने पर रोक लगाने के अधिकार होंगे।

सेशल्स में कोरोना वायरस के दो मामलों की पुष्टि हुई है और अब यह विषाणु अफ्रीका के 25 देशों में फैल चुका है।

113 और लोगों की मौत

तेहरान, 15 मार्च (एपी)।

ईरान में कोरोना विषाणु से एक ही दिन में 113 और लोगों की मौत हो गई। ईरान ने रविवार को इसकी घोषणा की। विषाणु संक्रमण से प्रभावित इस देश में एक ही दिन में इतनी अधिक मौत होने का यह पहला मामला है। इन मौतों के बाद ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 724 हो गई। उधर इस्लाम में तीसरा सबसे मुकद्दस स्थान मस्जिद अल अक्सा को बंद कर दिया गया है। मस्जिद के निदेशक शेख उमर किसवानी ने कहा कि नमाज बाहर होगी और मस्जिद अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दी गई है।

ट्रंप संक्रमित नहीं पाए गए, गोमेज संक्रमित

वाशिंगटन, 15 मार्च (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना विषाणु की जांच में संक्रमित नहीं पाए गए हैं। वाइट हाउस के एक चिकित्सक ने यह जानकारी दी। ट्रंप की शुक्रवार रात को कोरोना विषाणु की जांच की गई थी। जांच के नतीजे 24 घंटे से कम समय में आ गए। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई हैं। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री के कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए जाने के बाद वह आईसीयू में भर्ती हैं।

संक्रमित मिला भारतीय

दुबई, 15 मार्च (भाषा)।

विदेश में छुट्टी मनाने के बाद संयुक्त अरब अमीरात लौटे एक भारतीय नागरिक के कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। देश में अभी तक कोविड-19 के 85 मामले सामने आए हैं। खलीज टाइम्स के अनुसार, स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की कि भारतीय नागरिक संक्रमित पाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की गई। इस बीच, मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 से एक भारतीय समेत तीन मरीजों के ठीक होने की घोषणा की।

अमेरिका की अलबामा प्रतिनिधि सभा ने योग से प्रतिबंध हटाया, नमस्ते से इनकार

वाशिंगटन, 15 मार्च (भाषा)।

अमेरिका की अलबामा प्रतिनिधि सभा ने महीनों तक गहन चर्चा के बाद योग से दशकों पुराना प्रतिबंध हटाने के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन उसने ऐसे समय में नमस्ते पर रोक लगा दी है जब दुनिया भर के नेता कोरोना विषाणु के बढ़ते प्रकोप के बीच अभिवादन के इस तरीके को अपना रहे हैं।

योग से प्रतिबंध हटाया जाना भारत की सदियों पुरानी इस पद्धति की बढ़ती स्वीकृति और लोकप्रियता को दर्शाता है। अलबामा शिक्षा बोर्ड ने कट्टरपंथी समूहों के दबाव में आकर 1993 में राज्य के सार्वजनिक स्कूलों में योग के साथ-साथ सम्मोहन और ध्यान पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी से विधायक जेरेमी ग्रे द्वारा पेश किए गए योग विधेयक पर मंगलवार को मतदान हुआ, जिसके पक्ष में 84 और विरोध में 17 वोट पड़े। अब ये विधेयक राज्य के सीनेट को भेजा जाएगा और अगर वहां उसे मंजूरी मिलती है और गवर्नर के आईवे उसपर हस्ताक्षर कर देती हैं तो यह एक कानून बन जाएगा। इसके साथ ही के-12 स्कूलों में 27 साल से योग पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। विधेयक के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय शिक्षा बोर्ड इस शर्त के साथ केजी से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए योग का निर्देश दे सकता है कि यह एक वैकल्पिक गतिविधि होगी।

आइएस ने आतंकवादियों को यूरोप की यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया

लंदन, 15 मार्च (भाषा)।

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएसआइएस) ने अपने आतंकियों के लिए कोरोना विषाणु प्रभावित यूरोप से दूर रहने का एक यात्रा परामर्श जारी किया है।

'द संडे टाइम्स' के अनुसार आइएसआइएस के न्यूजलेटर 'अल नबा' के नवीनतम संस्करण में यूरोप की यात्रा नहीं करने की चेतावनी देते हुए इस संबंध में नए शरीयत निर्देशों का हवाला दिया गया है। यह आतंकवादी संगठन पूर्व में आतंकवादियों को यूरोप में आतंकवादी हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। उसने कोरोना विषाणु से पीड़ित अपने आतंकवादियों को क्षेत्र नहीं छोड़ने के लिए भी कहा है जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। 'अल नबा' में कहा गया है कि जो स्वस्थ हैं कि उन्हें महामारी की जमीन में प्रवेश नहीं करना चाहिए और जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें वहां से नहीं निकलना चाहिए। इसमें आतंकवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे उबासी या छींकते समय अपने मुंह ढंक लें और अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूरोप इस समय महामारी का केंद्र है। इटली, फ्रांस और स्पेन ने सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। कोरोना विषाणु से पूरी दुनिया में 5300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

नेतन्याहू के मुकदमे की सुनवाई टली

यरुशलम, 15 मार्च (एपी)।

यरुशलम की एक जिला अदालत ने रविवार को ऐलान किया कि वह कोरोना विषाणु के कारण लगी पाबंदियों के चलते इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे पर सुनवाई दो महीने तक के लिए टाल रही है।

नेतन्याहू को कई घोटालों के संबंध में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप में मंगलवार को अदालत में पेश होना था। सरकार ने आपात स्वास्थ्य कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने ऐलान किया कि वह 24 मई तक सुनवाई टाल रही है। नेतन्याहू पर अमीर दोस्तों से महंगे तोहफे लेने और बदले में उन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप है। वह आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

चिली ने दो क्रूज जहाज में सवार 1,300 लोगों को किया अलग

सेंटियागो, 15 मार्च (एएफपी)।

चिली ने दो क्रूज जहाजों पर सवार 1,300 से अधिक लोगों को पृथक कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह कदम जहाज पर सवार एक ब्रिटिश बुजुर्ग के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों जहाजों ने चिली के पैटागोनिया स्थित फ्जोरड्स में लंगर डाले हुए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि राजधानी सेंटियागो से करीब 2,400 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंदरगाह सेलेटा टॉटेल पर सिलवर एक्सप्लोरर जहाज से 85 वर्षीय व्यक्ति उतरा था और उसमें कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण दिखे थे। इसके बाद उस व्यक्ति को कॉयहेक शहर के अस्पताल में ले जाकर जांच की गई और कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया।

स्वास्थ्य मंत्री जेम मनालीच ने बताया, जहाज को कास्त्रो बंदरगाह से दूर पृथक रखा गया है। ब्रिटिश नागरिक की सेहत ठीक है लेकिन वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। अन्य जहाज अजमारा परसूट में 665 यात्री और करीब 400 चालक दल के सदस्य सवार हैं और हाल में उसने दक्षिण अर्जेंटिना के उशुआइया बंदरगाह से चिली के जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। मनालीच ने बताया कि कोरोना वायरस की आशंका के चलते यात्रियों के उतरने पर रोक के बाद जहाज को चाकाबुको बंदरगाह के पास पृथक रखा गया है।

न्यूजीलैंड में क्रूज जहाज पर रोके गए यात्री

वेलिंगटन, 15 मार्च (एएफपी)।

कोरोना विषाणु के संदिग्ध लक्षण वाले यात्री के गोल्डन प्रिंसेस क्रूज जहाज पर सवार होने के कारण न्यूजीलैंड बंदरगाह पर रविवार को इस जहाज के यात्रियों को उतरने से रोक दिया गया।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बंदरगाह की जहाज सूची के मुताबिक, क्राइस्टचर्च के साउथ आइलैंड शहर के पास अकारोआ में लंगर डालने वाले जहाज पर 2600 यात्री और चालक दल के 1100 सदस्य सवार हैं।

Advertisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

MAHAAN IMPEX LIMITED

Registered Office: BSafal House, Near Tej Motors, Behind Mirch Masala Restaurant, Off. S G Highway, Ahmedabad – 380059; **Tel:** +91 6351988376; **Email:** mahaanimpex@gmail.com; **Website:** www.mahaanimpex.com; **Corporate Identification Number (CIN):** L67120GJ1982PLC105654

Open Offer ("Offer") by Mr. Manishkumar Raichand Shah and Mr. Sameer Amit Shah (hereinafter referred to as "Acquirers"), to the public shareholders of Mahaan Impex Limited (hereinafter referred to as "the Target Company") under Regulation 3(1) and 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations, 2011")

This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Mr. Manishkumar Raichand Shah and Mr. Sameer Amit Shah in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mahaan Impex Limited (**"Offer Opening Public Announcement"**). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on 29th November 2019 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hind Daily (in all editions), Financial Express, Gujarati Daily (in Ahmedabad edition), Mumbai Lakshadeep, Marathi daily (in Mumbai edition) and in Arthik Lipi, Bengali daily (in Kolkata edition)

1. **Offer Price:**
   The Offer Price is Rs. 15.15 p per Equity Share. There has been no revision in the Offer Price.
2. **Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company:**
   The committee of independent directors of the Target Company (**"IDC"**) published its recommendation on the Offer on 7th March, 2020 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.
3. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.
4. **Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.**
   The dispatch of the Letter of Offer("LoF") to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 9th March 2020. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same.
5. **Instructions to the public shareholders**
   a) **In case the shares are held in physical form**
   As per the proviso to Regulation 40(1) of the LODR Regulations (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a Depository. Therefore, the Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned DP to have their Equity Shares dematerialized.
   b) **In case the shares are held in demat form**
   An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the LoF along with other details.
   c) **Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:**
   i) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
   ii) in case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.
   d) **Tendering of Shares held under Lock-in**
   The Shares under lock in will be released by the Exchange (BSE Ltd) conditionally only during the Offer Period for the Public Shareholders whose shares are under lock-in, enabling them to tender their shares under Open Offer to the Acquirers. The Public Shareholders shall not transfer/sell their shares to third party(ies) other than to the Acquirers under the Open Offer during Tendering Period.
   Public Shareholders whose shares are under lock-in, have to send a copy of the Form of Acceptance cum Acknowledgement to the Manager to the Offer at the address mentioned on the cover page of the LoF, immediately on submitting the same to their respective selling brokers.
6. **Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.**
   In terms of Regulation 16(1) of the Takeover Regulations, the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 5th December 2019 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2020/07463/1 dated 26th February 2020, issued its comments on the Draft Letter of Offer. These comments and certain changes (occurring after the date of the Public Announcement) which may be material have been incorporated in the Letter of Offer.
7. **Any other material change from date of the Public Announcement**
   SEBI vide adjudication order no. Order/PM/aAB/2019-20/6114 has imposed a penalty of Rs.1,00,000/- on the Target Company under Section 15HB of the SEBI Act, 1992, for delay in obtaining SCORES authentication. There was a delay of around 18 months by the Target Company in obtaining SCORES authentication.
8. **Details regarding the status of the Statutory and other approvals**
   To the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirers at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirers will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011.
9. **Schedule of Activities:**

The schedule of major activities under the Offer is set out below:

Nature of the Activity	Original Schedule Day and Date	Revised schedule of activities (Day and date)
Date of Public Announcement	Friday, 22nd November, 2019	Friday, 22nd November, 2019
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Friday, 29th November, 2019	Friday, 29th November, 2019
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	Friday, 06th December, 2019	Thursday, 5th December, 2019
Last date for a competing offer*	Friday, 20th December, 2019	Friday, 20th December, 2019
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, 30th December, 2019	Thursday, 27th February, 2020***
Identified Date**	Wednesday, 01st January, 2020	Monday, 2nd March, 2020
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	Wednesday, 08th January, 2020	Monday, 9th March, 2020
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	Monday, 13th January, 2020	Friday, 13th March, 2020
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published	Friday, 10th January, 2020	Thursday, 12th March, 2020
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	Tuesday, 14th January, 2020	Monday, 16th March, 2020
Date of Commencement of tendering period	Wednesday, 15th January, 2020	Tuesday, 17th March, 2020
Date of Closing of tendering period	Tuesday, 28th January, 2020	Tuesday, 31st March, 2020
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares	Tuesday, 11th February, 2020	Monday, 20th April, 2020

There was no competing offers for the Acquirers offer.

***Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirers and Seller) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.*

****actual date of receipt of SEBI final observations*

10. **Other information**
   The Acquirers namely, Mr. Manishkumar Raichand Shah and Mr. Sameer Amit Shah accept full responsibility, severally and jointly, for the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum.
   This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in and on the website of the Manager to the Offer.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

FINSHORE
Creating Enterprise Managing Values

Finshore Management Services Limited,
Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020
Tel: +91- 033-22895101/9831020743; **Website:** www.finshoregroup.com
Investor Grievance email id : info@finshoregroup.com
Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar; **SEBI Registration No:** INM000012185

Sd/-
Manishkumar Raichand Shah

Sd/-
Sameer Amit Shah

Place: Kolkata
Date: 16th March 2020

CONCEPT

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

आईएनए कॉलोनी शाखा, शुभांचल होस्टल बिल्डिंग, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली-23, टेली.: 011-24618597, 24690642
www.syndicatebank.in, ईमेलः br.9007@syndicatebank.co.in

प्रपत्र-X-II
परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8(6) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूति क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) मै. श्रीजी स्टील, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री जगमोहन लाल (ऋणधारक) 2) श्रीमती सरोज बाला (गारन्टर) से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये आरसी नं. 502/2019 के माध्यम से मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उत्तर-पूर्व, कोर्ट नं. 68, कड़कड़डूमा कोर्ट्स, दिल्ली द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार 12.3.2020 से उसकी सम्पूर्ण वसूली तक लागत, खर्चे तथा 17.10% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ रु. 2591995.51 (रुपये पच्चीस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ पंचानवे एवं पैसे इक्यावन मात्र) की वसूली के लिये 20.12.2019 को ''जैसा है जहां है'', तथा ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 1218000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 121800/- है।

ई-नीलामी का विवरण इस प्रकार है:

ई-नीलामी की तिथि एवं समय	9.4.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.
सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	रु. 1218000/-
ई-नीलामी वेबसाईट का पता	http://syndicatebank.auctiontiger.net
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	रु. 121800/-
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	7.4.2020
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 25,000/-
इच्छुक क्रेता के लिये सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	4.4.2020, कार्यालय अवधि के दौरान

सम्पत्ति का विवरण

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण:
गली नं. 10, भजनपुरा, दिल्ली-110053 में छत के अधिकार के साथ सी-284/3रा तल, ब्लॉक-सी में श्रीमती सरोज बाला के नाम में सम्पत्ति जिसका मूल्यांकन रु. 12.18 लाख किया गया है, का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी:
पूर्वः गली 15 फीट चौड़ा — पश्चिमः अन्य सम्पत्ति
दक्षिणः जैन धरमशाला की सम्पत्ति — उत्तरः अन्य सम्पत्ति

बिक्री के नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.syndicatebank.in में दी गई लिंक तथा **http://syndicatebank.auctiontiger.net** देखें।

तिथिः 13.3.2020 — (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः दिल्ली — **सिंडिकेट बैंक**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा
177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेली.: 011-27490670, 27490671
ई-मेलः **br.9021@syndicatebank**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारक तथा गारन्टरों से नीचे वर्णित तिथि को बैंक/प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये 'जैसा है जहां है', 'जो भी जैसा है' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण संबंधित सम्पत्तियों के समक्ष नीचे तालिका में वर्णित है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारकों/ गारन्टरों का विवरण	सम्पत्तियों का विवरण	क) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) बकाया राशि	कब्जा का प्रकार तथा तिथि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी राशि/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि ग) बोली वृद्धि मूल्य	ई-नीलामी की तिथि/ समय
1.	ऋणधारकः रेणु यादव 115, यमुना विहार, सेक्टर 49, बरौला, गौतम बुध नगर, नोएडा-201301 स्युरिटीजः 1. सती बाला प्लॉट नं. 104, डी-3, वैशाली, सेक्टर-4, गाजियाबाद-201001 2. हरस्वरूप 115, यमुना विहार, सेक्टर 49, बरौला, गौतम बुध नगर, नोएडा-201301	श्रीमती रेणु यादव के स्वामित्व में यामहा विहार, ग्राम अबरोला नोएडा, तहसील दादरी जिला गौतम बुध नगर में स्थित मकान सं. 115, एरिया माप 122 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 102 वर्ग मी., खसरा नं. 1152 में भूमि तथा भवन	18.11.2019 1.11.2019 से ब्याज एवं लागत के साथ रु. 2890231.06/- (रुपये अट्ठाइस लाख नब्बे हजार दो सौ इक्कतीस एवं पैसे छः मात्र)	सांकेतिक कब्जा 20.2.2020 को ली गई	क) रु. 7200000/- ख) रु. 720000/- ग) रु. 50000	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
2.	ऋणधारकः स्काई कन्स्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स शॉप नं. 2, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, मैन जीटी रोड, लाल कुआं, जी.बी. नगर-201301, उ.प्र. स्युरिटीजः 1. सुनील कुमार यादव, पुत्र राम मूर्ति यादव, बी-73, पंचशील कॉलोनी लाल कुआं, गौतम बुध नगर उ.प्र. 2. राजेश कुमार यादव, पुत्र राम मूर्ति यादव, बी-73, पंचशील कॉलोनी लाल कुआं, गौतम बुध नगर उ.प्र. 3. पंकज यादव, पुत्र रिशि पाल यादव, एच. नं. 333 शाहपुर बमहेटा, गा. बाद-201002 4. रविन्दर कौर, पत्नी श्री पविन्दर सिंह, निवासीः प्लॉट नं. 343, 2रा तल, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.	श्री राजेश कुमार यादव के स्वामित्व में जीटी रोड, ग्राम छिपियाना बुजुर्ग, परगणा एवं तहसील दादरी जिला गौतम बुध नगर में प्लॉट नं. 8, माप 100 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 83.61 वर्ग मी. खसरा नं. 174 में भूमि एवं भवन	18.11.2019 1.11.2019 से ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 5010013.27 (रुपये पचास लाख दस हजार तेरह एवं पैसे सत्ताईस मात्र)	सांकेतिक कब्जा 20.2.2020 को ली गई	क) रु. 3200000/- ख) रु. 320000/- 27.4.2020 ग) रु. 50000/-	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
3.	ऋणधारकः रमेश चन्द एच. नं. 289, ख.नं. 682 कल्लूपुरा, ग्राम जटवारा नेहरू नगर रोड, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र. 201001 स्युरिटीजः 1. विनोद कुमार, पुत्र श्री रमेश चन्द, 319, जटवारा कल्लुपुरा, मालिनवारा के निकट गाजियाबाद-201001 शॉप नं. 108, कुरेशी मार्केट, मल्लीवारा, गाजियाबाद-201001 2. राजीव कुमार गर्ग, ई-78, पटेल नगर, ईवीसी ब्लैक ब्रालक गाजियाबाद-201001	श्री रमेश चन्द के स्वामित्व में ग्राम जटवारा नेहरू नगर रोड, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के निकट, गाजियाबाद में आवासीय मकान सम्पत्ति सं. 289, खसरा नं. 682 में मोहल्ला कल्लुपुरा में	3.11.2018 1.11.2018 से ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 3433881.45 (रुपये चौंतीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ इक्यासी तथा पैसे पैंतालिस मात्र)	सांकेतिक कब्जा 14.5.2019 को ली गई	क) रु. 7500000/- ख) रु. 750000/- 27.4.2020 ग) रु. 50000/-	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
4.	ऋणधारकः मुस्कान ट्रेडिंग, प्रॉप. राजीव कुमार गर्ग, ख. नं. 688 एम, वसंतपुर, सन्थली, मोदी नगर, तहसील गाजियाबाद-201001 स्युरिटीजः 1. राजीव कुमार गर्ग, ई-78, पटेल नगर, ईवीसी, ब्लैक ब्रैलाक, गाजियाबाद-201001 2. सुरेश चन्द त्यागी, पुत्र स्व. देवीसरण त्यागी, एच. नं. 95ए, गुलमोहर टावर्स के बगल में, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201001 3. नौशाद अहमद, पुत्र श्री मोह. नसरुद्दीन, एच. नं. 1106, गली नं. 1, हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001	खसरा नं. 688 एम, ग्राम बसंतपुर सेठली, परगणा जलालाबाद, तहसील मोदी नगर जिला गाजियाबाद का फ्रान्ट भाग	7.10.2017 1.10.2017 से ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 4956065.07 (रुपये उन्चास लाख छप्पन हजार पैंसठ एवं पैसे सात मात्र)	सांकेतिक कब्जा 6.4.2019 को ली गई	क) रु. 9000000/- ख) रु. 90000/- 27.4.2020 ग) रु. 50000/-	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
5.	ऋणधारकः 1. कृष्णा एण्टरप्राईजेज एच. नं. ई-78, पटेल नगर-II, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, गाजियाबाद-201001, उ.प्र. स्युरिटीजः 1. मुकेश कुमार गर्ग एच. नं. ई-78, पटेल नगर-II, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, गाजियाबाद-201001, उ.प्र. 2. राजीव कुमार गर्ग एच. नं. ई-78, पटेल नगर-II, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, गाजियाबाद-201001, उ.प्र. 3. मोनिका गर्ग, एस/ओ राजीव कुमार गर्ग एच. नं. ई-78, पटेल नगर-II, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, गाजियाबाद-201001, उ.प्र. 4. नौशाद अहमद पुत्र मोह. नसरूद्दीन निवासीः एच. नं. 1106, गली नं. 1, हिंडन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.	खसरा नं. 688 एम का फ्रान्ट भाग ग्राम वसंतपुर सेठली, परगणा जलालाबाद तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद	18.11.2019 रु 6441959.93 (रुपए चौसठ लाख इकतालिस हजार नौ सौ उन्सठ एवं पैसे तिड़ानवे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 20.2.2020 को ली गई	(क) रु. 9000000/- ख) रु. 900000/- 27.4.2020 (ग) रु. 50,000/-	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
6.	ऋणधारकः 1. बीएमआर इंजीनियर्स शॉप नं. 525, खसरा नं. 1261, बाबा नगर, गाजियाबाद-201001 स्युरिटीज 1. सत्यवीर सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, एच. नं. 525, 1ला तल, बाबा नगर, ग्राम सादिक नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001 2. सचिन कुमार एच. नं. 525, 1ला तल, बाबा नगर, ग्राम सादिक नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001 3. राधा रानी पत्नी सत्यवीर सिंह एच. नं. 525, 1ला तल, बाबा नगर, ग्राम सादिक नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001	मोहल्ला बाबा नगर, सादिक नगर, गाजियाबाद में स्थित खसरा नं. 1176 में प्लॉट नं 526 में आवासीय भूमि तथा भवन	10.12.2018 01.12.2018 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 2113141 (रुपए इक्कीस लाख तेरह हजार एक सौ इकतालिस मात्र)	सांकेतिक कब्जा 20.2.2020 को ली गई	(क) रु. 2800000/- ख) रु. 280000/- 27.4.2020 (ग) रु. 50,000/-	30.4.2020 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

नियम एवं शर्तें

1. ऊपर अनुसूची में वर्णित विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सत्य है लेकिन इस उद्घोषणा में किसी प्रकार की त्रुटियों, खामियों तथा गलत बयानी के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 13.3.2020 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली — **सिंडिकेट बैंक**

www.readwhere.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

SUPREME PETROCHEM LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L23200MH1989PLC054633
Registered Office: Building No. 11, 5th Floor, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel.: 91 22 6709 1900; Fax: 91 22 4005 5681; Email: investorhelpine@spl.co.in; Website: www.supremepetrochem.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SUPREME PETROCHEM LIMITED FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This Public Announcement (the "**Announcement**") is made pursuant to the provisions of Regulation 13 read with Regulation 16 of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI Buy-Back Regulations**"), and contains the disclosures as specified in the applicable provisions of Schedule IV to the SEBI Buy-Back Regulations.

OFFER FOR BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES

Part - A Disclosures in accordance with Schedule I of the SEBI Buy-Back Regulations

1. DETAILS OF BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "**Board**" or "**Board of Directors**"), at their meeting held on March 12, 2020 (the "**Board Meeting**"), has approved the proposal for Buy-back of its own fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 10/- each ("Equity Shares") in accordance with Article 61 of the Articles of Association of the Company and the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and the applicable rules thereunder, and in compliance with the SEBI Buy-back Regulations and subject to such other approvals, permissions, sanctions and filings as may be necessary under the SEBI Buy-back Regulations. SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI LODR**"), Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Registrar of Companies, Mumbai (the "**ROC**"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such approval/s which may be agreed by the Board of Directors of the Company.

1.2 The Board in the aforementioned meeting, have approved the Buy-back by the Company of its fully paid up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 6,267 lakhs (Rupees Six Thousand Two Hundred Sixty Seven Lakhs only) ("**Maximum Buy-back Size**"), being 9.998% of the total paid up share capital and free reserves of the Company based on the audited standalone financial statements of the Company, as at March 31, 2019 (being the date of the last audited financial statements of the Company), for a price not exceeding ₹ 185.00 (Rupees One Hundred Eighty Five only) per equity share ("**Maximum Buy-back Price**") from all shareholders of the Company excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the Company ("**Promoters**") under the SEBI Buy-back Regulations and the Companies Act ("**Buy-back**"). The Maximum Buy-back Size does not include any other expenses incurred or to be incurred for the Buy-back like filing fees payable to SEBI, Stock Exchanges fees, advisors fees, public announcement, publication expenses, transaction cost viz., brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, stamp duty, etc., income tax payable on Buy-back and any other incidental and related expenses ("**Transaction Costs**").

1.3 The aggregate maximum amount of the Buy-back does not exceed 10% of the total paid up capital and free reserves of the Company. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the SEBI LODR during the Buy-back period and upon completion thereof.

1.4 The Buy-back will be implemented by the Company from its securities premium account and other free reserves and in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, through open market purchases from the Stock Exchanges, using the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the SEBI Buy-back Regulations. Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are locked-in or non-transferable, in the Buy-back, until the pendency of the lock-in or until the Equity Shares become transferable, as applicable. There are no partly paid-up Equity Shares with calls in arrears of the Company.

1.5 A copy of this Public Announcement is available on Company's website (www.supremepetrochem.com) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in) during the period of the Buy-back.

2. NECESSITY FOR THE BUY-BACK

2.1 In continuation of the Company's efforts to effectively utilize its resources, it is proposed to Buy-back its own Equity Shares for an aggregate amount not exceeding the Maximum Buy-back Size being 9.998% of the paid up share capital and free reserves based on the audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone basis, from the open market through Stock Exchanges. Having regard to the healthy cash flows that the Company has been able to consistently generate, the future projected cash flows of the Company and the anticipated funds required for capital expenditure and working capital to meet the expected future growth of the Company, the Buyback will help the Company achieve the following objectives:

(a) Optimize returns to shareholders;

(b) Enhance overall shareholders value; and

(c) Optimize the capital structure

The above objectives will be achieved through the Buyback and may lead to reduction in outstanding shares improvement in earnings per share and enhanced return on invested capital. The Buy-back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations.

2.2 At the Maximum Buy-back Price and for Maximum Buy-back Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 33,87,567 (Thirty Three Lakhs Eighty Seven Thousand Five Hundred Sixty Seven) Equity Shares and the Company shall Buy-back maximum of 41,00,000 (Forty One Lakhs) Equity Shares ("**Maximum Buy-back Shares**").

2.3 Further, in accordance with SEBI Buy-back Regulations, the Company shall utilize at least 50% of the amount earmarked as the Maximum Buy-back Size for the Buy-back, i.e. ₹ 3,133.50 Lakhs (Rupees Three Thousand One Hundred Thirty Three Lakhs and Fifty Thousand only) ("**Minimum Buy-back Size**") and based on the Minimum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the Company will purchase a minimum of 16,93,784 (Sixteen Lakhs Ninety Three Thousand Seven Hundred Eight Four) Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**") in the Buy-back.

2.4 The actual number of Equity Shares bought back during the Buy-back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buy-back period.

3. BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUY-BACK PRICE AND OTHER DETAILS

3.1 The Maximum Buy-back Price of ₹ 185.00 (Rupees One Hundred Eighty Five only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing share price of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges, the net worth of the Company and the potential impact of the Buy-back on the EPS of the Company. The Maximum Buy-back Price excludes the Transaction Costs.

3.2 The Maximum Buy-back Price is at a premium of 20.56% and 20.88% over the closing prices on BSE Limited ("**BSE**") (i.e. ₹ 153.45 (Rupees One Hundred Fifty Three and paise forty five only) and the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (i.e. ₹ 153.05 (Rupees One Hundred Fifty Three and paisa five only), respectively, on March 05, 2020 which is one trading day prior to the date on which the notice of the Board Meeting to consider the Buy-back proposal was intimated to the BSE and the NSE. The Maximum Buy-back Price is at a premium of 20.18% and 20.20%, compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges during the 2 (two) weeks preceding the date of the Board meeting on BSE and NSE respectively.

3.3 The Buy-back is proposed to be completed within a maximum period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy-back. Subject to the Maximum Buy-back Price of ₹ 185.00 (Rupees One Hundred Eighty Five only) per Equity Share for the Buy-back and maximum validity period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy-back and achievement of the Minimum Buy-back Size, the actual time frame and the price for the Buy-back will be determined by the Board and the authorized representatives of the Board, at their discretion, in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

3.4 The amount required by the Company for the Buy-back will be from the sale of mutual funds/liquid investments held, bank deposits and internal accruals of the Company. The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid up equity share capital and free reserves post Buy-back.

4. PROMOTER SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

4.1 Details of aggregate shareholding of the promoter, promoter group and of the directors of the promoters, and of persons who are in control of the company as on the date of Board Meeting approving the Buy-back is as below:

S. No	Name of the Promoters/Promoter Group/ Directors of Promoters/Persons in control	Number of Equity Shares	% Equity Shareholding in the Company
A	**PROMOTERS**		
1	The Supreme Industries Limited	2,89,36,400	29.99%
2	R Raheja Investments Private Limited	2,89,36,400	29.99%
	Total (A)	**5,78,72,800**	**59.971%**
B	**PROMOTER GROUP**		
1	Venktesh Investment And Trading Company Private Ltd	2,79,733	0.29%
2	Jovial Investment And Trading Company Private Limited	2,79,733	0.29%
3	Boon Investment And Trading Company Private Limited	2,79,734	0.29%
4	Hathway Investments Private Limited	7,84,400	0.81%
5	Coronet Investments Private Limited	6,35,300	0.66%
6	Manali Investment & Finance Private Limited	200	0.00%
7	Bloomingdale Investment & Finance Private Limited	200	0.00%
8	Matsyagandha Investment And Finance Private Limited	200	0.00%
9	Varahagiri Investment And Finance Pvt Ltd	200	0.00%
10	Rajan B Raheja	400	0.00%
11	Suman R Raheja	300	0.00%
12	Akshay Raheja#	200	0.00%
13	Viren Raheja#	200	0.00%
	Total (B)	**22,60,800**	**2.34%**
	TOTAL (A + B)	**6,01,33,600**	**62.31%**
C	**DIRECTORS OF PROMOTER COMPANY**		
1	Bhupendra Nath Bhargava*	12,500	0.01%
2	Yogendra Premkrishna Trivedi*	1,000	0.00%
3	Ameeta Parpia*	21,900	0.02%
	Total	**35,400**	**0.04%**

#Hold directorship in R Raheja Investments Private Limited

** Hold directorship in Supreme Industries Limited*

4.2 None of the persons mentioned in Paragraph 4.1 above, have purchased/sold any Equity Shares of the Company during a period of six months preceding the date of the Board Meeting i.e. March 12, 2020.

5. PARTICIPATION BY PROMOTERS

5.1 In accordance with the provisions of Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, the Buy-back shall not be made by the Company from the promoters or persons in control of the company.

6. NO DEFAULTS

6.1 The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest payable thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or bank.

7. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

7.1 The Board has confirmed on the date of the Board meeting, i.e. March 12, 2020 that they have made full inquiry into the affairs and prospects of the Company and that they have formed the opinion:

7.1.1 that immediately following the date of the Board meeting at which the proposal for Buy-back was approved i.e. March 12, 2020 there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

7.1.2 as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board meeting at which the proposal for Buy-back was approved and declared by the Board i.e. March 12, 2020 and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one (1) year from the date of the Board meeting at which the proposal for Buy-back was approved by the Board; and

7.1.3 in forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act (including prospective and contingent liabilities).

8. REPORT BY THE COMPANY'S AUDITORS

8.1 The text of the report dated March 12, 2020 received from M/s G M Kapadia & Co., Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

"Independent Auditor's Report on Buy-back of Equity Shares pursuant to the requirement of Schedule IV to the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended

To,
Board of Directors
Supreme Petrochem Ltd
Solitaire Corporate Park, Building No. 11, 5th Floor,
167, Guru Hargovindji Marg,
Andheri-Ghatkopar Link Road,
Chakala Andheri (East), Mumbai - 400 093

Dear Sir/Madam,

Sub: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback of equity shares by Supreme Petrochem Ltd ("the Company") in terms of the Schedule IV read with clause (xi) of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (as amended) ("the Buyback Regulations").

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement communication dated March 11, 2020 with the Company.

2. The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buyback of equity shares by the Company at its meeting held on March 12, 2020 in pursuance of the provisions of section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Buyback Regulations. We have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying statement of permissible capital payment (including premium) as set out in Annexure A, as at March 31, 2019 (hereinafter referred to as the "**Statement**"). This statement has been prepared by the Management of the Company, which we have initialed for the purpose of identification only.

Management's Responsibility

3. The preparation of the Statement in accordance with section 68(2)(c) of the Act and the compliance with the Buyback Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

4. Pursuant to the requirements of the Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance:

(i) Whether we have enquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone financial statements as at March 31, 2019 and unaudited limited review financials for the period ending December 31, 2019. We have not carried out any procedures as regards to the projections approved by the Board of Directors and accordingly do not express any opinion thereon;

(ii) Whether the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the audited standalone financial statements as at March 31, 2019 in accordance with section 68(2) of the Act; and

(iii) Whether the Board of Directors of the Company, at their meeting held on March 12, 2020 have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date and from the date Board Meeting approving the buyback.

5. The standalone financial statements referred to in paragraph 4 above, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion vide our report dated April 26, 2019. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing referred to in section 143 of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether financial statements are free of material misstatement.

6. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports and Certificates for Special Purposes, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. Based on enquiries conducted and our examination as above, we report that:

a. We have enquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone financial statements as at and for the year ended March 31, 2019 which have been approved by the Board of Directors of the Company on April 26, 2019 and unaudited limited review financials for the period ending December 31, 2019

b. The amount of permissible capital payment (including premium), towards the proposed buyback of equity shares as computed in the Statement attached herewith, is properly determined in our view in accordance with section 68(2)(c) of the Act. The amounts of share capital and free reserves have been extracted from the audited standalone financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019; and

c. The Board of Directors of the Company, in their meeting held on March 12, 2020 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing of Board Meeting resolution dated March 12, 2020 with regard to the proposed buyback is approved.

Restriction on Use

9. This report has been issued at the request of the Company solely for the use of the Company (i) in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to publish in the public announcement and other documents pertaining to buyback to be sent to the shareholders of the Company or filed with (a) Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, Stock Exchanges, Public Shareholders and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the Manager, each for the purpose of extinguishment of equity shares and may not be suitable for any other purpose.

For G. M. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 104767W

Rajen Ashar
Partner
Membership No. 048243

Place : Mumbai
Dated this 12th day of March, 2020
UDIN: 20048243AAAABQ3671

Annexure A

Statement of determination of the permissible capital payment towards Buy-back of Equity Shares ("the Statement") in accordance with Section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013

	Particulars	Amount in Rs. Lakhs	Amount in Rs. Lakhs
A	**Paid up equity share capital and free reserves as at March 31, 2019, based on the audited standalone financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019**		
	Paid up Equity Share Capital	9,650.20	
	- Free Reserves (Refer Note), comprising		
	- General Reserve	46,758.12	
	- Surplus in the Statement of Profit and Loss	6,271.11	
	Total Paid up Equity Share Capital and Free Reserves		**62,679.43**
B	**The amount of Maximum Permissible Capital Payment towards the Buy-back**		
	10% of Total Paid Up Equity Share Capital and Free Reserves as at March 31, 2019		**6,267.94**
C	**Amount approved by the Board of Directors at their meeting held on March 12, 2020**		**6,267.00**

Note: Free reserves are as per sub clause 43 of Section 2 and explanation II to Section 68 of the Act.

For and on behalf of the Board of Directors of
Supreme Petrochem Ltd

S J Taparia
DIN: 00112513

Place: Mumbai
Date: March 12, 2020"

Part B - Disclosures in Accordance with Schedule IV of the SEBI Buy-back Regulations

1. DATE OF BOARD APPROVAL

1.1 The Board approval for the Buy-back was granted on March 12, 2020.

2. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUY-BACK

2.1 Based on the Minimum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the Company will purchase a indicative minimum of 16,93,784 Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**") and based on Maximum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 33,87,567 Equity Shares. The Company shall not Buy-back more than 41,00,000 Equity Shares ("**Maximum Buy-back Shares**"). If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-back Shares or Minimum Buy-back Shares but will always be subject to the Maximum Buy-back Size. Further, the number of Equity Shares bought back will not exceed 25% of the total paid up equity capital of the Company as on March 31, 2019 (i.e. 2,41,25,489) Equity Shares.

2.2 The Company proposes to implement the Buy-back out of its securities premium account and other free reserves. The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the Transaction Costs) will be invested out of sale of mutual funds/liquid investments held, bank deposits and internal accruals of the Company.

2.3 As mentioned in Paragraph 2.1 of Part A above, in continuation of the Company's efforts to effectively utilize its resources, it is proposed to Buy-back of upto 9.998% of the paid up share capital and free reserves based on the audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone basis, from the open market through the Stock Exchanges. The Buy-back of Equity Shares will result in a reduction in number of shares accompanied by a likely increase in EPS and return on capital employed. The Company believes that the Buy-back will create long term value for continuing shareholders.

3. PROPOSED TIMETABLE FOR BUY-BACK

Activity	Date
Date of Board approval	Thursday, March 12, 2020
Date of publication of the Public announcement	Monday, March 16, 2020
Date of commencement of the Buy-back	Thursday, March 19,2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialized mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges
Extinguishment of Equity Shares/ certificates	In case the Equity Shares bought back are in dematerialized form, the same will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, as amended and the bye-laws framed thereunder. The Company shall ensure that all the Equity Shares bought back are extinguished within 7 days of the last date of completion of the Buy-back
Last Date for the Buy-back	Earlier of: (a) Friday, September 18, 2020 (i.e. 6 months from the date of the opening of the Buy-back); or (b) when the Company completes the Buy-back by deploying the amount equivalent to the Maximum Buy-back Size; or (c) at such earlier date as may be determined by the Board/or its duly authorized delegates, after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size (even if the Maximum Buy-back Size has not been reached or the Maximum Buy-back Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the shares bought back shall be completed before the last date for the Buy-back.

4. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

4.1 The Buy-back is open to all beneficial owners holding Equity Shares in dematerialised form ("**Demat Shares**"). Shareholders holding shares in physical form can participate in the Buy-Back after such Equity Shares are dematerialized byapproaching depository participant.

4.2 Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, in the Buy-back, until they become fully paid-up, or until the pendency of the lock-in, or until the Equity Shares become transferable, as applicable.

4.3 The Buy-back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the SEBI Buy-back Regulations.

Contd...

www.readwhere.com

4.4 For the implementation of the Buy-back, the Company has appointed Axis Capital Limited as the registered broker ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buy-back would be made by the Company.

The contact details of the Company's Broker are as follows:

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House,
C-2 Wadia International Centre,
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025
Tel: +91 22 4325 5577
Fax: +91 22 4325 5599
Email: qib@axiscap.in
Contact Person: Mr. Sudhir Agarwal

4.5 The Equity Shares are traded in compulsory dematerialised mode under the trading code(s) 500405 at BSE and SUPPETRO at NSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE663A01017. For detailed procedure with respect to tendering of shares, Stock Exchanges will be issuing notice with detailed procedures. Sellers may refer the notice to understand procedure on how to tender the shares in this buyback.

4.6 The Company, shall, commencing from Thursday, March 19, 2020 (i.e., the date of opening of the Buy-back), place "buy" orders on the BSE and/or NSE on the normal trading segment to Buy-back the Equity Shares through the Company's Broker in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buy-back Price of ₹ 185.00 (Rupees One Hundred Eighty Five only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buy-back of Equity Shares, the identity of the Company as a purchaser would be available to the market participants of the Stock Exchanges.

4.7 **Procedure for Buy-back of Demat Shares**: Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy-back, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of either of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the equity shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy-back of the equity shares. The Company shall place a "buy" order for Buy-back of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buy-back price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company's Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI.

4.8 It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buy-back and that the same would depend on the price at which the trade with that shareholder/beneficial owner was executed.

4.9 **Procedure for Buy-back of Physical Shares**: All Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares in physical form should note that pursuant to provisions of the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") read with press release no. 12/2019 dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy-Back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

4.10 **ACCORDINGLY, ALL ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUY-BACK BEFORE BUY-BACK CLOSING DATE.**

4.11 Shareholders are requested to get in touch with the Merchant Banker of the Buy-back or the Company's Broker or the Investor Service Centre of the Company to clarify any doubts in the process.

4.12 Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buy-back any Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buy-back Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buy-back, to the extent permissible by law. If the Company is not able to complete the Buy-back equivalent to the Minimum Buy-back Size, the amount held in the Escrow Account up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-back Size, shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

4.13 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it, to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the SEBI Buy-back Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www.supremepetrochem.com) on a daily basis.

4.14 Eligible Sellers who intend to participate in the Buyback should consult their respective tax advisors for applicable taxes

5. METHOD OF SETTLEMENT

5.1 **Settlement of Demat Shares**: The Company will pay consideration for the Buy-back to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the respective Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account titled "**Supreme Petrochem Limited - Buyback Account**" with Axis Bank Limited ("**Buy-back Account**"). Demat Shares bought back by the Company will be transferred into the Buy-back Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buy-back, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective depository participant ("**DP**") for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company as referred to in Paragraph 4.13 of Part B.

5.2 **Extinguishment of Demat Shares**: The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 1996, as amended and its bye-laws, in the manner specified in the SEBI Buy-back Regulations and the Companies Act. The Equity Shares lying in credit in the Buy-back Demat Escrow Account will be extinguished within fifteen (15) days of acceptance of the Demat Shares. The Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within seven (7) days from the last date of completion of the Buy-back.

5.3 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

6. Brief Information about the Company

6.1 The Company was incorporated on December 14, 1989 under the name "Supreme Petrochem Limited" and the Certificate of Commencement of Business was obtained on February 13, 1990. The Company is promoted by Supreme Industries Limited and R. Raheja Investments Private Limited.

6.2 The Company is engaged in the business of manufacture and sale of Polystyrene, Expandable Polystyrene (including Food Grade Polystyrene), Specialty Polystyrene and Extruded Polystyrene-Insulation Board.

6.3 The Company's manufacturing plants are located at Amdoshi, Wakan Roha Road, Post: Patansai, Taluka Roha, Dist. Raigad, Maharastra 402 106 and at Ammulavoyil Village, Andrakuppam Post, Manali New Town, Chennai - 600 103. The present production capacities of the Company are: 1) Polystyrene (including SMMA swing capability of 40,000 TPA) - 272000 M.T., 2) Expandable Polystyrene (including food grades) - 72100 M.T., 3) Specialty Polymers and Compounds - 33500 M.T. and 4) Extruded Polystyrene Insulation Board - 5000 M.T.

6.4 The Company markets its products through a network of distributors, monitored through marketing offices at Noida, Chennai, Bangalore, Hyderabad and Kolkatta in addition to the Corporate Office in Mumbai. The Company's products have markets in over 100 countries around the globe.

6.5 The Equity Shares of Company are presently listed on BSE and NSE.

7. FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

7.1 Financial information on the basis of audited standalone financial statements of the Company for the nine months period ended December 31, 2019 and last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 is provided hereunder:

The salient financial information of the Company on a standalone basis as extracted from the audited results are given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Nine Months ended December 31,2019	FY 2019	FY 2018	FY2017
	(Limited Review) (Unaudited) Ind AS	(Audited) Ind AS	(Audited) Ind AS	(Audited) Ind AS
	31.12.2019 (9 months)	31.03.2019 (12 months)	31.03.2018 (12 months)	31.03.2017 (12 months)
Revenue from Operation (Net of Taxes)	206134.78	319380.63	302660.51	291861.74
Other Income	945.25	999.01	802.01	749.19
Total Income	**207080.03**	**320379.64**	**303462.52**	**292610.93**
Expenditure				
Total Expense (Excluding Interest, Depreciation and Exceptional Item)	**195203.12**	**310045.78**	**283033.81**	**262134.12**
Depreciation and amortization expenses	2675.70	2327.20	2074.68	2221.83
Interest and Finance Charges	468.90	390.36	460.39	470.15
Exceptional items	0	0	0	0
Profit before tax	**8732.31**	**7616.30**	**17893.64**	**27784.84**
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	818.24	2695.61	6281.58	9843.61
Profit After Tax	**7914.07**	**4920.69**	**11612.06**	**17941.23**
Other Comprehensive (Income)/Loss	0.00	1.39	36.34	42.47
Total Comprehensive Income for the period	7914.07	4919.30	11575.72	17898.76
Equity Share Capital	9650.20	9650.20	9650.20	9650.20
Other Equity	53962.73	53029.23	53345.42	46996.37
Net Worth #	**63612.93**	**62679.43**	**62995.62**	**56646.57**
Total Debt *	-	-	-	-

** Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long term borrowings*

Financial Ratios on standalone basis are as under:

Particulars	December 2019	FY 19	FY 18	FY 17
	(Limited Review) (Unaudited) Ind AS	(Audited) Ind AS	(Audited) Ind AS	(Audited) Ind AS
Basic Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	8.20	5.10	12.03	18.59
Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	8.20	5.10	12.03	18.59
Debt Equity Ratio	-	-	-	-
Book Value (₹ per share)	65.92	64.95	65.28	58.70
Return on Net worth (in %)	12.44	7.85	18.43	31.67

Note:

1) Basic EPS = PAT/Weighted Average Number of equity shares outstanding

2) Diluted EPS = PAT/Weighted Average Number of equity shares outstanding

3) Debt Equity Ratio = Total Debt as defined above/Total Net Worth

4) Book Value per Share = (Equity Share Capital + Reserves & Surplus)/Total Outstanding Shares

5) Return on Net Worth = Profit After Tax (PAT)/Net Worth

7.2 The Company shall comply with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, wherever and if applicable. The Company hereby declares that it is in compliance with Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

8. DETAILS OF ESCROW ACCOUNT

8.1 In accordance with Regulation 20 of the SEBI Buy-back Regulations, the Company has appointed Axis Bank Limited ("Escrow Agent"), having its registered office at 'Trishul', 3rd Floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellis Bridge, Ahmedabad 380 006, Gujarat, as the Escrow Agent for Buy-back, and an escrow agreement has been entered into amongst the Company, Axis Capital Limited and Escrow Agent having its branch at Fort, Mumbai on March 12, 2020.

8.2 In accordance with the Escrow Agreement, the Company has opened an escrow account no. 920020019552694 titled "**Supreme Petrochem Limited - Buyback Escrow Account**" ("**Escrow Account**") with the Escrow Agent and shall deposit therein cash aggregating to ₹ 1,566.75 Lakhs (Rupees One Thousand Five Hundred Sixty Six Lakhs and Seventy Five Thousand only) ("**Cash Escrow**") prior to the opening of the Buy-back. In accordance with the SEBI Buy-back Regulations, the Merchant Banker to the Buyback has been empowered to operate the Escrow Account.

8.3 If the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size, except for the reasons mentioned in the SEBI Buy-back Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

9. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

9.1 The Equity Shares are currently listed and traded only on the BSE and the NSE.

9.2 The high, low and average market prices in preceding three calendar years and the monthly high, low and average market prices for the six months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on the NSE are as follows:

Period	High Price (₹)	Date of High Price	Number of shares traded on that date	Low Price (₹)	Date of Low Price	Number of shares traded on that date	Average Price (₹)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
PRECEDING 3 YEARS								
FY 2019	352.40	April 09, 2018	91,817	183.70	January 28, 2019	9,032	251.24	4,269,398
FY 2018	428.85	April 27, 2017	12,21,709	309.85	March 23, 2018	30,787	369.32	13,625,712
FY 2017	308.60	March 23, 2017	49,653	110.05	April 04, 2016	9,272	208.03	30,968,077
PRECEDING 6 MONTHS								
February 2020	180.35	February 01, 2020	14,559	150.70	February 28, 2020	296,173	170.74	517,917
January 2020	190.90	January 20, 2020	108,730	155.70	January 01, 2020	6,689	176.37	504,753
December 2019	161.00	December 02, 2019	9,431	145.55	December 13, 2019	6,715	152.22	701,636
November 2019	175.90	November 01, 2019	6,724	160.80	November 28, 2019	23,866	168.89	250,081
October 2019	180.55	October 22, 2019	16,865	168.00	October 10, 2019	2,828	173.33	151,447
September 2019	180.60	September 11, 2019	10,268	171.80	September 05, 2019	9,221	176.70	168,066

Source: NSE (www.nseindia.com)

Note: *High and Low price for the period are based on closing prices and Average Price is based on average of closing price*

9.3 The high, low and average market prices in preceding three calendar years and the monthly high, low and average market prices for the six months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on the BSE are as follows:

Period	High Price (₹)	Date of High Price	Number of shares traded on that date	Low Price (₹)	Date of Low Price	Number of shares traded on that date	Average Price (₹)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
PRECEDING 3 YEARS								
FY 2019	351.65	April 09, 2018	10,163	184.15	January 15, 2019	2,051	251.23	1,173,721
FY 2018	428.55	April 27, 2017	2,75,607	309.90	March 23, 2018	6,949	369.22	2,882,688
FY 2017	308.00	March 23, 2017	21,503	110.00	April 05, 2016	15,421	208.00	9,683,931
PRECEDING 6 MONTHS								
February 2020	180.00	February 01, 2020	263	150.35	February 28, 2020	204	170.89	37,850
January 2020	190.90	January 20, 2020	14,775	155.75	January 01, 2020	1,296	176.32	90,538
December 2019	160.35	December 19, 2019	460,311	145.30	December 16, 2019	1,515	152.43	928,707
November 2019	175.35	November 01, 2019	1,721	161.55	November 28, 2019	10,090	168.94	45,103
October 2019	184.65	October 22, 2019	408	167.00	October 11, 2019	1,057	172.99	26,081
September 2019	180.65	September 11, 2019	574	170.85	September 05, 2019	402	176.31	22,931

Source: BSE (www.bseindia.com)

Note: *High and Low price for the period are based on closing prices and Average Price is based on average of closing price.*

9.4 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 06, 2020, being the day on which notice of Board meeting to consider the proposal for the Buyback was filed at the Stock Exchanges, was ₹ 153.00 (Rupees One Hundred Fifty Three Only) and ₹ 153.65 (Rupees One Hundred Fifty Three and paisa sixty five Only) respectively.

9.5 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 11, 2020, being the working day prior to the day the Board approved the proposal for Buy-back, was ₹ 154.55 (Rupees One Hundred Fifty Four and paisa Fifty Five Only) and Rs 154.60 (Rupees One Hundred Fifty Four and paisa Sixty Only) respectively.

9.6 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 12, 2020, being the day the Board approved the proposal for Buy-back, was ₹ 141.10 (Rupees One Hundred Forty One and paisa Ten Only) and ₹ 141.65 (Rupees One Hundred Forty One and paisa sixty five Only) respectively.

9.7 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 13, 2020, being the working day after the day of resolution of the Board approving the proposal for Buy-back, was ₹ 129.65 (Rupees One Hundred Twenty Nine and paisa Sixty Five Only) and ₹ 126.60 (Rupees One Hundred Twenty Six and paisa Sixty Only) respectively.

10. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

10.1 The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buy-back will be, as follows:-

The present capital structure of the Company is as follows:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Pre Buy-back
1.	**Authorized Share Capital:**	
	12,50,00,000 equity shares of ₹ 10 each	12,500.00
	2,50,00,000 Redeemable Cumulative Preference shares of ₹ 10 each	2,500.00
	Total	**15,000.00**
2.	**Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:**	
	9,65,01,958 Equity shares of ₹ 10 each	9,650.20
	Total	**9,650.20**

10.2 Assuming full Acceptance in the Buy-back, the capital structure of the Company post Buy-back would be as follows:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Post Buy-back
1.	**Authorized Share Capital:**	
	12,50,00,000 equity shares of ₹ 10 each	12,500.00
	2,50,00,000 Redeemable Cumulative Preference shares of ₹ 10 each	2,500.00
	Total	**15,000.00**
2.	**Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:**	
	9,31,14,391 Equity shares of ₹ 10 each	9,311.44
	Total	**9,311.44**

 # Assuming the full Acceptance of the Buy-back Size at the Maximum Buy-back Price. However, the post Buy-back issued, subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.

10.3 There are no partly paid up Equity Shares or calls in arrears as on the date of this Public Announcement.

10.4 There are no outstanding instruments convertible into shares.

10.5 The shareholding pattern of the Company pre Buy-back as on date of the Board Meeting approving the Buy-back *i.e.* March 12, 2020 and the post Buy-back shareholding pattern assuming full Acceptance, is as follows:

Category of Shareholder	Pre Buy-back		Post Buy-back*	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buy-back Equity Share capital
Promoters and promoter group	6,01,33,600	62.31	6,01,33,600	64.58
Non Promoter Non Public				
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds, Foreign Nationals)	16,04,002	1.67	3,29,80,791	35.42
Financial Institutions/Banks, Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	19,79,832	2.05		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	3,27,84,524	33.97		
Total	**9,65,01,958**	**100**	**9,31,14,391**	**100.00**

**Assuming response to the Buy-back is to the extent of 100% (full Acceptance) from all the Eligible Shareholders of the Equity Shares up to their Buy-back Entitlement at the Maximum Buy-Back Price.*

10.6 There is no pending scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to any provisions of the Companies Act.

10.7 The aggregate shareholding of the promoters, promoter group and of the directors of the promoters, and of persons who are in control of the company as on the date of Board Meeting approving the Buy-back is as below:

10.8 Except as mentioned below, the persons mentioned in Paragraph 10.7 above, have not purchased or sold any Equity Shares of the Company during a period of twelve months preceding the date of the Board Meeting i.e. March 12, 2020:

S. No	Name of the Promoters/Promoter Group/ Directors of Promoters/Persons in control	Number of Equity Shares	% Equity Shareholding in the Company
A	**PROMOTERS**		
1	The Supreme Industries Limited	2,89,36,400	29.99%
2	R Raheja Investments Private Limited	2,89,36,400	29.99%
	Total (A)	**5,78,72,800**	**59.971%**
B	**PROMOTER GROUP**		
1	Venktesh Investment And Trading Company Private Ltd	2,79,733	0.29%
2	Jovial Investment And Trading Company Private Limited	2,79,733	0.29%
3	Boon Investment And Trading Company Private Limited	2,79,734	0.29%
4	Hathway Investments Private Limited	7,84,400	0.81%
5	Coronet Investments Private Limited	6,35,300	0.66%
6	Manali Investment & Finance Private Limited	200	0.00%
7	Bloomingdale Investment & Finance Private Limited	200	0.00%
8	Matsyagandha Investment And Finance Private Limited	200	0.00%
9	Varahagiri Investment And Finance Pvt Ltd	200	0.00%
10	Rajan B Raheja	400	0.00%
11	Suman R Raheja	300	0.00%
12	Akshay Raheja#	200	0.00%
13	Viren Raheja#	200	0.00%
	Total (B)	**22,60,800**	**2.34%**
	TOTAL (A + B)	**6,01,33,600**	**62.31%**
C	**DIRECTORS OF PROMOTER COMPANY**		
1	Bhupendra Nath Bhargava*	12,500	0.01%
2	Yogendra Premkrishna Trivedi*	1,000	0.00%
3	Ameeta Parpia*	21,900	0.02%
	Total	**35,400**	**0.04%**

#Hold directorship in R Raheja Investments Private Limited
** Hold directorship in Supreme Industries Limited*

11. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUY-BACK ON THE COMPANY

11.1 The Buy-back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except for the cost of financing the Buy-back resulting in a marginal loss of other income.

11.2 The Buy-back of Equity Shares will result in a reduction in share capital and consequently, is expected to be EPS accretive. The Company believes that the Buy-back will contribute to the overall enhancement of shareholders' value going forward. The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the transaction costs) will be invested out of the sale of mutual funds/liquid investments, bank deposits and internal accruals of the Company. The Buy-back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except for the cost of financing the Buy-back resulting in a marginal cost increase.

11.3 Pursuant to Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, the Promoters are not entitled to participate under the Buy-back. The Buy-back of Equity Shares will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

11.4 Consequent to the Buy-back and based on the number of Equity Shares bought back from the shareholders excluding the Promoters, the shareholding pattern of the Company would undergo a change, however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up equity share capital of the Company.

11.5 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid up equity share capital and free reserves post Buy-back.

11.6 Unless otherwise determined by the Board and the Buy-back Committee, the Buy-back will be completed within a maximum period of 6 months from the date of opening of the Buy-back. The Company shall not withdraw the Buy-back after this Public Announcement has been made.

11.7 In compliance with the provisions of the SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not raise further capital for aperiod of 1 (one) year from the closure of the Buy-back, except in discharge of its subsisting obligations. Further, the Company shall not issue any Equity Shares or other securities including by way of bonus issue or convert any outstanding instruments into Equity Shares, till the date of closure of the Buy-back in accordance with the Companies Act and the SEBI Buy-back Regulations.

11.8 Consequent to the Buy-back and based on the number of equity shares bought back by the Company from its shareholders (other than from its promoters, promoter group), the shareholding pattern of the Company would undergo a change.

12. STATUTORY APPROVALS

12.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act and the Rules, if any, there under and the SEBI Buy-back Regulations, the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

12.2 The Buy-back from each shareholder is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and

Contd...

www.readwhere.com

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा

177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेली.: 011-27490670, 27490671
ई-मेल: br.9021@syndicatebank

रेफ. नं. 9021/196/2019 परिशिष्ट-IV-ए तिथि: 13.3.2020

(नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारक तथा गारन्टरों से ब्याज तथा लागत के साथ 1.1.2018 को प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 4934913 की वसूली के लिये 30.4.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

ऋणधारकों:
राजीव कुमार गर्ग, पुत्र स्री केके गर्ग, श्रीमती मोनिका गर्ग, पत्नी राजीव कुमार गर्ग, एच. नं. ई-78, 1ला तल, पटेल नगर-2, पुराने बस स्टॉप के सामने, गाजियाबाद-201001

गारन्टरों:
1. श्री रमेश चन्द, पुत्र स्व. श्री तेज राम, एच. नं.319, कल्लूपुरा, जटवारा, मालीवारा, गाजियाबाद-201001
2. विनोद कुमार, पुत्र रमेश चन्द एच. नं. 319, कल्लूपुरा, जटवारा, मालीवारा, गाजियाबाद-201001

आरक्षित मूल्य रु. 54,00,000 तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 5,40,000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 688 एम ग्राम बसतपुर सठला, परगणा जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद-201206

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.syndicate-bank.in में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 13.3.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

{भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. ओ-जोन नेटवर्क्स प्रा.लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	1.8.2017
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी)- दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72300DL2007PTC165507
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	91, स्प्रिंगबोर्ड, ई-43/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	11.10.2019 को आईआरपी द्वारा प्राप्त कम्पनी याचिका सं. (आईबी)-1445/ एनडी/2019 में एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश तिथि 4.9.2019 के अनुसार
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	14.3.2020
8.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	ई मेलः arora.shyaam@yahoo.com पर अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाने वाली विस्तृत अभिरुचि की अभिव्यक्ति देखें।
9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	ई मेलः arora.shyaam@yahoo.com पर अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाने वाली विस्तृत अभिरुचि की अभिव्यक्ति देखें।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	29.03.2020
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	7.4.2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	12.4.2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	22.4.2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	12.4.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	नान-डिस्क्लोजर अंडरटेकिंग, ब्याज-रहित डिपॉजिट के लिये रु. 25000 जमा करने पर संभावित प्रस्ताव आवेदक को आरएफआरपी, ईएम, आईएम की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	12.05.2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	प्रस्तावित योजना मुहरबंद लिफाफे में नीचे वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास जमा की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	22.05.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्याम अरोड़ा, IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	श्याम अरोड़ा, 96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019, arora.shyaam@yahoo.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	arora.shyaam@yahoo.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	श्याम अरोड़ा, 96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019, arora.shyaam@yahoo.com
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	16.03.2020

श्याम अरोड़ा
प्रस्ताव कर्मी
96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019
तिथि: 14.03.2020 arora.shyaam@yahoo.com
स्थान: नई दिल्ली ओ-कजोन नेटवर्क्स प्रा.लि. के लिये

एडवांस होम एंड पर्सनल केअर प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र - 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एडवांस होम एंड पर्सनल केअर प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02 जुलाई, 1985
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U24243DL1985PLC021386
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	511/2/1, ग्राम रजोकरी, नई दिल्ली 110038
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	5-09-2019 आईआरपी को 8.10.2019 को सूचना दी गई
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	16.03.2020 (16 मार्च 2020)
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	विस्तृत विवरण www.advancehomeandpersonalcare.in एवं अथवा irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई-मेल भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	विस्तृत विवरण irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई-मेल भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	31.03.2020 (31 मार्च 2020)
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	10.04.2020 (10 अप्रैल 2020)
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15.04.2020 (15 अप्रैल 2020)
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25.04.2020 (25 अप्रैल 2020)
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	15.04.2020 (15 अप्रैल 2020)
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36बी(1) के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिए योग्य सभी संभावित प्रस्ताव आवेदकों के साथ इलेक्ट्रानिक पद्धति में शेयर की जायेगी।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15.05.2020 (15 मई 2020)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	अधोलिखित पते पर मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथ-हाथ ध्यानार्थ: रिजॉल्यूशन प्रोफेसनल एडवांस होम एंड पर्सनल केअर लिमिटेड, ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली110024 कृपया irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई-मेल से उसकी पुष्टि करें।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	31.05.2020 (31 मई 2020)
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	विवेक पारी, रिजॉल्यूशन प्रोफेसनल IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	विवेक पारी, ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली110024 v_parli@yahoo.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली110024 irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	विस्तृत विवरण www.advancehomeandpersonalcare.in पर उपलब्ध है अथवा irpahpcl@advancehomeandpersonalcare.in पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	16.03.2020 (16 मार्च 2020)

तिथि : 16 मार्च 2020
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /-
विवेक पारी,
आरपी - एडवांस होम एंड पर्सनल केअर प्राइवेट लिमिटेड
आरपी पंजीकरण संख्या :IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली110024

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, दिल्ली
4, नेहरु हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग,
आईटीओ चौक, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना

(अधिनियम-नियम-8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट-IV)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.03.2018 जारी कर ऋणधारकों मै. अंजलिका इन्फार्मेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी प्रा. लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों श्री पार्थो भट्टाचार्य तथा श्रीमती शेली भट्टाचार्य तथा स्युरिटीज श्री पार्थो भट्टाचार्य, श्रीमती शेली भट्टाचार्य, श्रीमती पुष्पा गुप्ता, श्री राजेश कुमार पुत्र दीनानाथ तथा श्रीमती रचना मल्होत्रा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 8,92,84,576.33 (रुपये आठ करोड़ बानवे लाख चौड़ासी हजार पांच सौ छियत्तर एवं पैसे तैंतीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 मार्च, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 29.02.2020 को रु. 12,93,07,057.09 (रुपये बारह करोड़ तिड़ानवे लाख सात हजार सत्तावन तथा पैसे नौ मात्र) तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिये सिंडिकेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

2 कार्यालयों नं. 201-ए, 202 एवं 203, 2 रा तल, एकाय हाउस, प्लॉट नं. डीए-9, विकास मार्ग, दिल्ली में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 13 मार्च, 2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक

"प्रपत्र - ए"
सार्वजनिक उद्घोषणा
भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियामावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन.

मैग्पाई इंटरनेशनल लि. के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मैग्पाई इंटरनेशनल लि.
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24 अप्रैल, 2001
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली (आरओसी) दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U52190DL2001PLC110580
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible]
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	28 फरवरी, 2020 (एनसीएलटी की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि : 13 मार्च, 2020)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	24 अगस्त, 2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : अश्वनी कुमार गुप्ता रजिस्ट्रेशन नंबर IBBI/IPA-001/IP-P00628/2017-18/11082
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु बोर्ड में पंजीकृत पता और ई-मेल	पंजीकृत पताः सी-402, कावेरी सैनेटी, 10/1-1, राघवेन्द्र एक्सटेंशन, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर-560022 ई-मेल : akguptalca@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु पता और ई-मेल	पता: डी-116, पॉकेट-डी, सरिता विहार, नई दिल्ली -110076 ई-मेल : magpie.cirp@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27 मार्च, 2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ) संबंधित प्रपत्र और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध हैं।	(अ) वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads (ब) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 (एनसीएलटी की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि 13 मार्च, 2020) को मैग्पाई इंटरनेशनल लि. के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

मैग्पाई इंटरनेशनल लि. के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 27 मार्च, 2020 को अथवा पूर्व, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के सामने वर्णित पते तथा ई-मेल पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक वित्तीय लेनदार जो कि एक श्रेणी से सम्बंधित है, जैसा कि प्रविष्टि नंबर 12 (लागू नहीं) में सूचित है, तदपरिलिखित तीन दिवालिया पेशेवरों प्रविष्टि नंबर 13 (लागू नहीं) में से अपनी इच्छानुसार अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चुन सकता है।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक : 16.03.2020 अश्वनी कुमार गुप्ता (अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल)
स्थान : नई दिल्ली पंजीकृत सं. IBBI/IPA-001/IP-P00628/2017-18/11082

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कं. लि.
CIN: U67100MH2007PLC174759
एडलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098

Edelweiss

मै. ओम टेम्प्टेशन फूड लिमिटेड (ऋणधारक/मार्टगैजर) की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

(ऋणधारक द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के लिये गिरवी रखी गई)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''सरफैसी अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 31 दिसम्बर 2013 के माध्यम से निम्न प्रतिभूतियों के साथ एक्जिम बैंक ने मै. टेम्प्टेशन फूड लि. (ऋणधारक मार्टगैजर) के ऋण को ईएआरसी ट्रस्ट एससी-23 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत) एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (यहां के बाद ''ईएआरसी'' के रूप में वर्णित) को सौंप दिया गया। इसके बाद ईएआरसी एसाईनर बैंक की हैसियत से कार्य शुरू किया तथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया।

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 1. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. 3. एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी अचल सम्पत्तियों (एडलवेईस एआरसी लि. द्वारा अधिग्रहित) की बिक्री (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि., बैंकों- प्रतिभूत क्रेडीटरों की कुल बकाया उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे के साथ 6.7.2011 को रु. 79,13,89,149.01 तथा एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का सभी लैण्डर्स के लिये उस पर आगे के ब्याज, लागतों तथा अन्य चार्जेज के साथ रु. 55,77,06,942.91 अर्थात कुल राशि सम्पूर्ण भुगतान की प्राप्ति तक उस पर आगे के ब्याज, लागतों तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे के साथ रु. 1349096091.92 (रुपये एक सौ चौंतीस करोड़ नब्बे लाख छियानवे हजार इक्यानवे एवं पैसे बानवे मात्र)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उपरोक्त ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि चूंकि ऋणधारक ने उपरोक्त बैंकों से साख सुविधाऐं प्राप्त की तथा बकाये के भुगतान में विफल रहे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऋणधारक/गारन्टरों/मार्टगैजरों को मांग सूचना जारी की थी तथा उसके बाद गिरवी सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत ''जैसा है जहां है'' जो भी जैसा है तथा जो कुछ भी वहां है आधार'' पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों की (ऊपर नामित सभी बैंकों की सहमति से) बिक्री करने का फैसला किया है। प्रत्येक सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ईएमडी) नीचे वर्णित हैः

नीलामी के लिये प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण

लॉट	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)
1.	रु. 57400000/-	रु. 5740000/-
2.	रु. 10,06,00,000/-	रु. 10060000/-

सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

लॉट 1: महाराष्ट्र राज्य में जेजुरी की ग्राम सीमाओं के भीतर तथा जेजुरी नगरपालिका की सीमाओं के बाहर, तालुका पुरन्दर, जिला तथा पंजीकरण जिला पुणे के जेजुरी औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नं. सी-2 में स्थित भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी सहित कम्पनी की भूमि तथा अचल सम्पत्तियों, माप 16000 वर्ग मी. अथवा उसके लगभग सहित कम्पनी की भूमि तथा अचल सम्पत्तियों, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः 40'' चौड़ा रोड, पूर्वः कृषि भूमि, पश्चिमः कृषि भूमि।

लॉट 2: ग्राम रथधाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की राजस्व सम्पदा के भीतर कम्पनी की भूमि, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भूमि माप 50 कनाल 10 मरले तथा सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. पी 10-एमएसईबी, दक्षिणः रोड एवं एमआईडीसी ऑफिस, पूर्वः प्लॉट नं. सी 1-मै. इंडाना, पश्चिमः पुणे-पन्धरपुर रोड।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया ईएआरसी की वेबसाईट अर्थात् **https://www.edelweissarc.in** में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 16.3.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: मुम्बई एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 69.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 62.44 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है

पेट्रोल कीमतों में रविवार को 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। वहीं, डीजल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर घटाए गए। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने वैश्विक कीमतों में गिरावट के रुख अनुरूप पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 69.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 62.44 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है।

सूत्रों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कहीं ऊंची रहती लेकिन सरकार ने शनिवार को ईंधन पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि वे खुदरा कीमतों में कटौती कम रख रही हैं, क्योंकि इन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें जो लाभ हुआ है, उसे मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित किया गया है। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा करना जरूरी है।

सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन-तीन रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। इससे सरकार को 39,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क दो रुपए बढ़ाकर आठ रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर यह शुल्क दो रुपए बढ़कर अब चार रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला सड़क उपकर भी एक-एक रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर अब उपकर सहित सभी तरह का उत्पाद शुल्क 22.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 18.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एनडीए सरकार ने जब पहली बार 2014 में सत्ता संभाली थी, उस समय पेट्रोल पर कर की दर 9.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर थी। सरकार ने नवंबर, 2014 से जनवरी, 2016 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में नौ बार बढ़ोतरी की है। इन 15 माह की अवधि के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 11.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया। इससे 2016-17 में सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह 2014-15 के 99,000 करोड़ रुपए से दोगुना से अधिक होकर 2,42,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

यस बैंक में 250 करोड़ निवेश करेगा आइडीएफसी फर्स्ट

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे येस बैंक में 250 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगा। इस निवेश से बैंक को येस बैंक के 25 करोड़ शेयर मिलेंगे। बैंक ने बंबई शेयर बाजार (बीएसई) को दी सूचना में कहा कि आइडीएफसी फर्स्ट के निदेशक मंडल की अधिकृत समिति ने 14 मार्च 2020 को हुई बैठक में येस बैंक में 250 करोड़ रुपए तक निवेश करने की अनुमति दे दी। येस बैंक के प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के तहत इस निवेश से 10-10 रुपए के 25 करोड़ शेयर मिलेंगे जिनका अंकित मूल्य 2 रुपए है। इससे पहले, शनिवार को फेडरल बैंक ने येस बैंक में 300 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी।

केंद्र सरकार ने शनिवार को येस बैंक लि. पुनर्गठन योजना 2020 को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरबीआइ द्वारा प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी। पुनर्गठन योजना के तहत येस बैंक पर लगी रोक 18 मार्च को हट जाएगी। योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एसबीआइ संकट में फंसे बैंक में 7,250 करोड़ रुपए निवेश करेगा और 49 फीसद हिस्सेदारी लेगा। इसके अलावा आइसीआइसीआइ बैंक (1,000 करोड़ रुपए), एचडीएफसी (1,000 करोड़ रुपए), एक्सिस बैंक (600 करोड़ रुपए), कोटक महिंद्रा बैंक (500 करोड़ रुपए), बंधन बैंक (300 करोड़ रुपए) और फेडरल बैंक (300 करोड़ रुपए) ने भी निवेश की घोषणा की है।

विषाणु फैलने की रफ्तार, फेडरल रिजर्व के रुख से तय होगी बाजार की चाल

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजारों में इस सप्ताह और उतार-चढ़ाव आने की आशंका है। हालांकि कोरोना विषाणु महामारी के कारण पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद इसमें कुछ सुधार भी देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों का ऐसा मानना है। विश्लेषकों के अनुसार विषाणु को लेकर बनने वाली धारणा बाजार को दिशा देगी। संक्रमण की दर कम होने के किसी भी संकेत का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पिछले सप्ताह बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सचूकांक 3,473.14 अंक यानी 9.24 फीसद जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1,034.25 अंक यानी 9.41 फीसद नीचे आया। यह गिरावट वैश्विक शेयर बाजारों के रुख के अनुरूप है जो कोरोना विषाणु संक्रमण के कारण गिरे हैं। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव आया। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में 10 फीसद से अधिक की गिरावट आने के बाद कारोबार पौने घंटे के लिए रोका गया। ऐसा पिछले 12 साल में पहली बार हुआ जब तेज गिरावट के बाद कारोबार रोका गया। बाद में इसमें रिकॉर्ड तेजी आई। विश्लेषकों के अनुसार प्रतिभागियों की नजर कोरोना विषाणु के फैलने पर होगी। इसके अलावा वैश्विक केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों से मिलने वाले प्रोत्साहन उपायों पर भी उनकी निगाह होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस सप्ताह नीतिगत दर के बारे में फैसले की घोषणा करेगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बाजार में जो भारी गिरावट आई है, वहां से इसमें सुधार की उम्मीद है। हालांकि आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, हमें कुछ तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सब थोड़े समय के लिए होगा। वैश्विक उतार-चढ़ाव के इस दौर में खुदरा निवेशकों को शांत रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।

वृहत आर्थिक मोर्चे पर थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा सोमवार को जारी होगा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि प्रोत्साहन की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में अस्थायी राहत की संभावना है। निवेशकों को इसके बाद भी उतार-चढ़ाव बने रहने तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। विषाणु को लेकर जो धारणा बनेगी वह बाजार को दिशा देगी। संक्रमण की दर कम होने के किसी भी संकेत का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के उपाध्यक्ष-अनुसंधान अजित मिश्रा ने कहा कि अल्पकाल में उतार-चढ़ाव अधिक रहने की आशंका है। निवेशक सतर्क रुख अपना सकते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह नौ और 12 मार्च को बड़ी गिरावट आई।

सूचकांक की शीर्ष दस कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4.22 लाख करोड़ रुपए घटा

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष दस कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 4,22,393.44 करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) रहीं। बीते सप्ताह शेयर बाजारों में कोरोना विषाणु का 'कहर' छाया रहा। दुनिया भर के शेयर बाजार इससे प्रभावित हुए। इसका असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी पड़ा। यहां भी घबराए निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। सप्ताह के दौरान बीएसई सूचकांक 3,473.14 अंक या 9.24 फीसद नीचे आया।

फरवरी में कोयले का आयात 14 फीसद घटा

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु की मार से देश का कोयले का आयात भी प्रभावित हुआ है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में कोयले का आयात 14.1 फीसद घटकर 1.70 करोड़ टन पर आ गया।

एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थायी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। फरवरी, 2019 में देश का कोयला आयात 1.98 करोड़ टन रहा था। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उद्यम है। यह एक बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कोयला और इस्पात पर शोध भी प्रकाशित करती है। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक विनय वर्मा ने कहा कि जैसी संभावना थी, फरवरी में कोयला आयात कम रहा है। घरेलू उपलब्धता बढ़ने, नॉन कोकिंग कोल कीमतों में उतार-चढ़ाव और कोरोना विषाणु महामारी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति की वजह से कोयले का आयात घटा है।

कोरोना प्रभाव

निर्माण, परिवहन, रसायन विनिर्माण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित : रिपोर्ट

नई दिल्ली,15 मार्च (भाषा)।

चीन में कोरोना विषाणु संक्रमण से निर्माण, परिवहन और रसायन विनिर्माण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल और रत्न एवं आभूषण का आयात करता है। देश के कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी 46 फीसद है। चीन में आए संकट से ये दोनों क्षेत्र बचे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग अभी इससे संक्रमित हैं। ऐसे में अभी इससे संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। यह विषाणु अब सौ से अधिक देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 में भारत के 507 अरब डॉलर के आयात में 26 फीसद हिस्सा लौह एवं इस्पात तथा अजैवी रसायनों का रहा था। विषाणु की वजह से इन क्षेत्रों पर सबसे कम असर पड़ा है। रिपोर्ट कहती है कि लौह एवं इस्पात क्षेत्र पर कोरोना विषाणु का असर कम रहेगा क्योंकि भारत द्वारा चीन से इसका केवल 11 फीसद का आयात किया जाता है। भारत इसका सबसे अधिक आयात दक्षिण कोरिया से करता है। वहीं, दक्षिण कोरिया अपनी जरूरत का 20 फीसद चीन से आयात करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अजैवी रसायन क्षेत्र पर भी इसका असर सीमित रहेगा। चीन से अजैविक रसायनों का आयात करीब 15 फीसद है।

इसमें कहा गया है कि पांच आयात उत्पाद ऐसे हैं जिनपर भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मशीनरी और मेकेनिकल उपकरण, जैविक रसायन, प्लास्टिक और आप्टिकल तथा सर्जरी के उपकरण। देश के कुल आयात में इन उत्पादों का हिस्सा 28 फीसद है।

approvals (including, without limitation the approvals from the RBI, if any) as may be required by them in order to sell their equity shares to the Company pursuant to the Buy-back. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

12.3 The Buy-back shall be subject to such necessary approvals as may be required and the Buy-back from overseas corporate bodies and other applicable categories, shall be subject to such approvals of the RBI, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

12.4 To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buy-back, as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their equity shares to the Company as set out in Paragraph 12.2 of Part B above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buy-back.

13. **COLLECTION AND BIDDING CENTRES**

13.1 The Buy-back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centres and bidding centres is not applicable.

14. **COMPLIANCE OFFICER AND INVESTOR SERVICE CENTRE**

Investors may contact the Company Secretary and Investor Service Centre of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 09:30 a.m. to 6:00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Mr. D N Mishra
Company Secretary and Compliance Officer,
Supreme Petrochem Ltd
Address: Solitaire Corporate Park, Building No. 11, 5th Floor, Guru Hargovindji Marg, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400 093
Telephone: 91 22 67091900; **Fax:** 91 22 40055681
Email: dn_mishra@spl.co.in; **Website:** www.supremepetrochem.com

15. **REGISTRAR TO THE BUY BACK**

In case of any query, the Equity Shareholders may contact the following, during office hours, i.e. 10:00 a.m. to 3:00 p.m., on any day except Saturday, Sunday and Public holidays at the following address:

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
(Formerly known as "Karvy Fintech Private Limited")
Selenium Tower- B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032
Tel: 91 40 6716 2222; **Fax:** 91 40 343 1551
Contact person: Mr. M Murali Krishna
Email: einward.ris@kfintech.com; **Website:** www.kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221
Corporate Identity Number: U72400TG2017PTC117649

16. **MERCHANT BANKER TO THE BUY-BACK**

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre,
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 4325 2183; **Fax:** +91 22 4325 3000
Contact Person: Mr. Ankit Bhatia
Email: supremepetrochem.buyback@axiscap.in; **Website:** www.axiscapital.co.in

17. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY**

17.1 As per Regulation 24(1)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buy-back and confirm that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Supreme Petrochem Limited

M P Taparia	**S J Taparia**	**D N Mishra**
Chairman and Non Executive Director	Non Executive Director	Company Secretary and Compliance Officer
DIN: 00112461	DIN: 00112513	M. No.: 5506

Date : March 14, 2020
Place : Mumbai

PRESSMAN

खबर कोना

पाकिस्तान सुपर लीग टी20 में रविवार को लाहौर क्वालैंडर्स के बल्लेबाज क्रिस लिन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ने की खुशी जताते हुए।

जिंबाब्वे दौरे के बीच से लौटेगा डर्बीशर

लंदन, 15 मार्च (एएफपी)।

इंग्लैंड की काउंटी टीम डर्बीशर कोरोना वायरस के खतरे के कारण जिंबाब्वे के सत्र पूर्व दौरे को बीच में छोड़कर सोमवार को स्वदेश लौटेगी। इस घातक महामारी का दुनिया भर की खेल स्पर्धाओं पर असर पड़ा है और इस कड़ी में डर्बीशर ने अपना दौरा बीच में ही समाप्त करने का फैसला किया है। फिलहाल डर्बीशर का कोई खिलाड़ी इस विषाणु से संक्रमित नहीं है। डर्बीशर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, 'दौरे पर गई टीम के किसी सदस्य में कोविड-19 से संबंधित कोई लक्षण नहीं दिखा है। हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ का स्वास्थ्य और सुरक्षा हालांकि सर्वोच्च है और इसलिए फैसला किया गया है कि दौरे पर गई टीम को जितना जल्दी संभव हो स्वदेश बुलाया जाए। डर्बीशर ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी स्थिति पर करीबी नजर रखी हुई है और वे इससे संबंधित सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। डर्बीशर की टीम इस हफ्ते की शुरुआत में जिंबाब्वे पहुंची थी और शनिवार को बुलावायो में अपने पहले टी20 मैच में सिलेक्ट एकादश को 48 रन से हराया था।

सिरी ए के 11 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित

रोम, 15 मार्च (एएफपी)।

सिरी ए के डॉक्टरों ने संयुक्त चेतावनी जारी करके खिलाड़ियों को क्लबों की ओर से ट्रेनिंग के लिए नहीं लौटने की सलाह दी है। इस लीग के चार और खिलाड़ी कोरोना वायरस के लिए पाजीटिव पाए गए हैं। इटली की इस शीर्ष लीग में इस विषाणु से संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गई है। फायोरेनटिना ने शनिवार को जानकारी दी कि पैट्रिक क्युट्रोन और जर्मन पेजेला संक्रमण का शिकार हुए हैं जबकि सैंपडोरिया के फाबियो डेपाओली और बार्तोज बेनेसजिन्स्की ने भी संक्रमण की पुष्टि की है। सिरी ए के डॉक्टरों ने कहा कि वे चिंतित हैं और सर्वसम्मति से सलाह देते हैं कि स्थिति में स्पष्ट सुधार नहीं होने तक ट्रेनिंग दोबारा शुरू नहीं की जाए।फायोरेनटिना के दल के चार सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। शुक्रवार को दुसान व्लाहोविच और क्लब का एक फिजियो पाजीटिव पाए गए थे। सैंपडोरिया के सात खिलाड़ी अब तक पाजीटिव पाए गए हैं। इटली में सिरी ए सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं को तीन अप्रैल तक निलंबित किया गया है।

अचंत शरत कमल *(फाइल फोटो)*

शरत ओमान ओपन के फाइनल में

मस्कट, 15 मार्च (भाषा)।

शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने रविवार को यहां आइटीटीएफ चैलेंजर प्लस ओमान ओपन में रूस के किरिल स्काचकोव पर पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश किया। चौथे वरीय शरत ने दो गेम में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए सात सेट तक चले सेमी फाइनल में जीत हासिल की।

उन्होंने एक घंटे आठ मिनट के इस मैच में 11-13, 11-13, 13-11, 11-9, 13-11, 8-11, 11-7 से जीत दर्ज की। अब 37 साल के इस अनुभवी खिलाड़ी का सामना फाइनल में पुर्तगाल के शीर्ष वरीय मार्कोस फ्रेंटास से होगा। फ्रेंटास ने भारत के हरमीत देसाई को 5-11, 11-9, 6-11, 6-11, 11-8, 13-11, 11-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

शरत के लिए 2010 में मिस्र ओपन खिताब के बाद यह आइटीटीएफ टूर्नामेंट का पहला फाइनल है। यह उनका पहला चैलेंजर टूर्नामेंट फाइनल भी है। शरत ने कहा कि यहां खेलने से मुझे रैंकिंग और वरीयता बेहतर करने में मदद मिलेगी। विशेषकर एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर को ध्यान में रखते हुए यह अहम था। उन्होंने कहा कि इस बार काफी भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की क्योंकि हम सभी तोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

हार की कसक बनी जीत की प्रेरणा

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

पैंतालीस बरस पहले 15 मार्च को कुआलालंपुर में विश्व कप फाइनल में जब भारतीय हॉकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ उतरी तो पूरा देश रेडियो पर कान लगाए बैठा था। लेकिन मैदान पर उतरे खिलाड़ियों के जेहन में एक ही बात थी कि दो साल पहले मिली हार का बदला चुकता करना है।

दुनिया में आज चौथे नंबर की टीम भारत ने एकमात्र विश्व कप कुआलालंपुर में 15 मार्च 1975 को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीता था । भारत नीदरलैंड में 1973 विश्व कप फाइनल में मेजबान से हार गया था।

फाइनल के 51वें मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी गोल दागने वाले अशोक कुमार ने कहा कि हम 1973 में जीत के करीब पहुंचकर हारे थे और यह कसक सभी खिलाड़ियों के मन में थी। दो गोल से बढ़त लेने के बाद हमने हॉलैंड को बराबरी का मौका दे दिया।

अतिरिक्त समय में मैंने गोल मिस किया। सडन डैथ में हमने पेनल्टी स्ट्रोक चूका और टाइब्रेकर में हार गए थे।उन्होंने कहा कि अब हमारे पास मौका था उस कसक को दूर करने का। चंडीगढ़ में हमने तैयारी की जहां रोज सैकड़ों लोग अभ्यास देखने आते थे। ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री और उमराव सिंह खेल मंत्री थे जो हफ्ते में दो बार मैदान पर आते थे। हमारे हौसले बुलंद थे। वहीं सेमी फाइनल में मलेशिया के खिलाफ बराबरी का गोल करके भारत को फाइनल की दौड़ में लौटाने वाले असलम शेर खान ने कहा कि हम चंडीगढ़ से ठानकर निकले थे कि जीतकर ही लौटना है। यही पक्का इरादा हमारी जीत की कुंजी था। हम देश के लिए जीतना चाहते थे और यही जज्बा टीम के हर सदस्य में था।

> हॉकी विश्व कप 1975 की यादों को ताजा किया दिग्गजों ने भारतीय टीम ने तब पाकिस्तान को हराया था

उन्होंने कहा कि सेमी फाइनल में जब मुझे उतारा गया तब भारत पीछे था और मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल रहा जब मैंने 65वें मिनट में बराबरी का गोल किया। हार की कगार पर पहुंचकर मिली जीत ने हमारे हौसले बुलंद किए और पाकिस्तान फाइनल में मजबूत टीम होने के बावजूद हमारे आत्मविश्वास का मुकाबला नहीं कर सका।

अशोक कुमार ने कहा कि मेरे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ था क्योंकि मैं ध्यानचंद का बेटा था और आलोचकों की नजरें भी मुझ पर थीं। मैंने इसे सकारात्मक लिया और जब मलेशिया में होटल पहुंचे तो लॉबी में रखे विश्व कप को देखकर प्रण किया कि इस बार मेरी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा।

फाइनल के दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनल के दिन पूरे देश में छुट्टी कर दी गई थी और रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए मानो पूरा भारत कान लगाए बैठा था।

असलम ने बताया कि जीत के बाद मलेशिया में भारतीय समुदाय जश्न में डूब गया और हर जगह भारतीय टीम के स्वागत में हजारों लोग ऑटोग्राफ और फोटो के लिए खड़े रहते थे। देश लौटने के बाद नायकों की तरह टीम का स्वागत किया गया।

प्रशिक्षण शिविर से रवाना धोनी

चेन्नई, 15 मार्च (भाषा)।

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के ट्रेनिंग शिविर से रवाना हो गए। कोविड-19 महामारी के चलते आइपीएल के 13वें चरण को 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है।

वह इस महीने के शुरू में चेन्नई सुपरकिंग्स के अभ्यास शिविर के लिए चेन्नई आए थे और काफी संख्या में मौजूद खेल प्रेमियों की उपस्थिति में बेस से रवाना हुए।

चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के साथ लिखा, 'यह आपका घर बन गया है सर।' वीडियो में उनके काफी प्रशंसक दिख रहे हैं जो धोनी की एक झलक पाने के लिए के लिए बेताब थे। धोनी ने भी उन्हें ऑटोग्राफ दिए और प्रशंसकों से बातचीत भी की।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को आइपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

अड़तीस साल के धोनी ने पिछले साल इंग्लैंड में 50 ओवर के विश्व कप के सेमी फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद से किसी भी प्रारूप का मैच नहीं खेला है।

कायल ने कहा, हमने मौके गंवाए

मडगांव, 15 मार्च (भाषा)।

चेन्नइयन एफसी के मुख्य कोच ओवेन कायल ने इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में एटीके के खिलाफ 1-3 की हार के बाद कहा कि उनकी टीम को मौके गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि कायल ने कहा कि फाइनल में उनकी टीम ने एटीके की तुलना में बेहतर खेल दिखाया। कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण शनिवार को फाइनल दर्शकों की गैरमौजूदगी में खेला गया।

कायल ने कहा कि गोल मैच को बदल देते हैं। शुरुआती चरण में हमारे पास कुछ आसान मौके थे लेकिन हम इनका फायदा नहीं उठा पाए। कोई भी मुझसे यह नहीं कहे कि उनकी (एटीके) टीम बेहतर थी। मैं इसलिए निराश हूं कि मेरी टीम ने इतना प्रयास किया। लेकिन अंततः अगर आप मौकों का फायदा नहीं उठाते हो तो आप गोल करने का आसान मौका देते हो। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बेहतर फुटबॉल खेला। वे हालांकि अपनी योजना पर टिके रहे। उन्होंने हमारे लिए चीजों को मुश्किल कर दिया।

जीत का जश्न

आइएसएल जीतने वाली टीम एटीके के मालिक संजीव गोयनका (दाएं) और कोच एंटोनियो हबास रविवार को कोलकाता में विजेता ट्रॉफा के साथ जश्न मनाते हुए।

चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया : फर्गुसन

ऑकलैंड, 15 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका को लेकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्गुसन ने कहा कि चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्हें गले में दर्द की शिकायत के बाद उनके होटल में पृथक रखा गया था और उनका कोविड-19 परीक्षण कराया गया।

इस 28 साल के तेज गेंदबाज ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के बाद गले में दर्द की शिकायत की थी। इसके तुरंत बाद उन्हें पृथक कर दिया गया। शनिवार को उनका परीक्षण हुआ जिसमें उन्हें संक्रमित नहीं पाया गया। अब वह अपने परिवार के साथ हैं और उन्हें लगता है कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया।

उन्होंने ऑकलैंड हवाईअड्डे पर पत्रकारों से कहा कि नहीं, शायद मैं जैसा महसूस कर रहा था, उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया।

मुझे मामूली से जुकाम के लक्षण थे और फिजियो टॉमी सिमसेक और सहयोगी स्टाफ ने प्रक्रियाओं का पालन किया। पूरी तरह से समझ सकता हूं। हां, मैंने एक दिन होटल के कमरे में अकेले बिताया।

क्या वह लक्षण देखकर नर्वस हो गए थे क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है तो उन्होंने कहा कि उस नजर से देखो तो मैंने यही सोचा कि यह जुकाम के लक्षण हैं। क्रिकेट खेलते हुए यात्रा करते समय ऐसा हो जाता है। यह कुछ अलग नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे फिजियो और डॉक्टरों ने प्रक्रिया का पालन किया। हां, 24 घंटे अकेला रहा लेकिन ठीक है। अगले दिन जब उठा तो मैं ठीक था।

कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 1,60,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फर्गुसन आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शृंखला के स्थगित होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। लेकिन इस शृंखला का पहला मैच खाली स्टेडियम में खेला गया।

उन्होंने कहा कि साथ ही, मैच जैसा रहा हम उससे थोड़े निराश थे। हां, उस रात मुझे परीक्षण के लिए ले जाया गया और वहां मैंने डॉक्टरों से बात की। भाग्यशाली रहा हूं कि सब कुछ ठीक रहा और घर आकर खुश हूं।

आस्ट्रेलिया : शेफील्ड शील्ड का अंतिम दौर रद्द

मेलबर्न, 15 मार्च (भाषा)।

आस्ट्रेलिया की शीर्ष प्रथम श्रेणी लीग शेफील्ड शील्ड के मुकाबले दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार नहीं हो पाएंगे। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रतियोगिता का अंतिम दौर रद्द कर दिया है। क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार सीए ने 27 मार्च को होने वाले फाइनल पर फैसला टाल दिया है। कोरोना वायरस को लेकर स्थिति की भविष्य में समीक्षा के बाद फाइनल के आयोजन पर फैसला किया जाएगा।

सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन रोबर्ट्स ने कहा है कि यात्रा की संभावना को कम करने के लिए शील्ड प्रतियोगिता का अंतिम दौर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने और अंततः खत्म करने में मदद मिलेगी।

रोबर्ट्स ने कहा कि इस तरह के समय में सभी की भलाई के लिए क्रिकेट सबसे अहम नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ समय से संबंधित सरकारी एजंसियों, हमारी मेडिकल टीम और संक्रमण रोग विशेषज्ञ के संपर्क में हैं और ये फैसले करने से पहले हमने उनकी सलाह पर ध्यान दिया है। सीए प्रमुख ने कहा कि ये ऐसे फैसले नहीं हैं जिनके क्रिकेट में हम आदी हैं...यह स्पष्ट है कि जहां भी संभव हो वहां लोगों के संपर्क की संभावना कम करके हमें विषाणु के फैलने की संभावना को सीमित करने में मदद करके अपनी भूमिका निभानी है। इस हफ्ते पर्थ के वाका, एडीलेड के केरेन रोल्टन ओवल और मेलबर्न के जंक्शन ओवल में होने वाले तीन मैचों में पहले ही दर्शकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।

सीए इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि अगर फाइनल नहीं खेला जा सका तो न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यूज को खिताब दिया जाए जो अभी लीग तालिका में शीर्ष पर है। अगर ऐसा होता है तो यह राज्य का 47वां शील्ड खिताब और 2013-14 के बाद पहला खिताब होगा। अगले हफ्ते हालांकि अगर जन स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फाइनल में एनएसडब्लू की प्रतिद्वंद्वी टीम विक्टोरिया की हो सकती है। गत चैंपियन विक्टोरिया ने पिछले पांच में से चार शील्ड खिताब जीते हैं।

आइएसएल अधिक पेशेवर हुआ : हबास

मडगांव, 15 मार्च (भाषा)।

इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी दो बार जीतने वाले एकमात्र मुख्य कोच एटीके के एंटोनियो हबास का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बेहतर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आने से यह लीग अधिक पेशेवर बन गई है। हबास ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में 2014 में जीते खिताब की तुलना में शनिवार को चेन्नइयन एफसी को हराकर जीता गया खिताब अधिक अहम है। कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण फाइनल खाली स्टेडियम में खेला गया जिसे एटीके ने चेन्नइयन को 3-1 से हराकर जीता।

पहले आइएसएल खिताब और मौजूदा खिताब की तुलना के बारे में पूछने पर हबास ने कहा कि यह अलग है क्योंकि पहले सत्र में आइएसएल मौजूदा स्तर की प्रतियोगिता नहीं थी। अब यह अधिक पेशेवर है। अब बेहतर कोच, बेहतर खिलाड़ी, अधिक टीमें, प्रतियोगिता का अधिक समय है। उन्होंने कहा कि यह खिताब पहले खिताब की तुलना में अधिक अहम है लेकिन पहला खिताब भी महत्त्वपूर्ण था क्योंकि वह पहला खिताब था। लीग के छह साल के इतिहास में एटीके इसका खिताब तीन बार जीतने वाली पहली टीम है। टीम ने 2016 में भी यह खिताब जीता था। चेन्नइयन एफसी की टीम दो बार यह खिताब जीत चुकी है। सत्र की शुरुआत में टीम को मुख्य खिलाड़ियों की चोट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था और कोच हबास ने खिताब का श्रेय टीम के सामूहिक प्रयास को दिया।

खेल मंत्री और आइओए दल का तोक्यो दौरा स्थगित

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के चलते खेल मंत्री किरन रिजीजू और आइओए के शीर्ष अधिकारियों का इस महीने के अंत में तोक्यो का दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। उनका यह दौरा 25 से 29 मार्च तक तय था जो ओलंपिक के लिए भारत के साजो-सामान संबंधित तैयारियों को देखने के लिए होना था।

अब यह दौरा बाद में कराया जाएगा जिसकी तारीख अभी तय होनी है। रिजीजू के अलावा दल के अन्य सदस्य भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, महासचिव राजीव मेहता,

> यह दौरा 25 से 29 मार्च तक तय था जो ओलंपिक के लिए भारत के साजो-सामान संबंधित तैयारियों को देखने के लिए होना था।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, खेल सचिव राधे श्याम जुलानिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान थे।

रिजीजू ने ट्वीट किया, 'उच्च स्तरीय भारतीय दल के 25 मार्च के तोक्यो दौरे को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया जो भारत की तोक्यो ओलंपिक 2020 तैयारियों की समीक्षा के लिए होना था। इसमें सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी शामिल थे।

मेहता ने कहा कि इस कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। अभी दल के दौरे की तारीख पर फैसला नहीं हुआ है। यह हालात को देखते हुए बाद की तारीख में होगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 119, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

Our Company was incorporated as "SBI Cards and Payment Services Private Limited" on May 15, 1998, as a private limited company under the Companies Act, 1956, at New Delhi, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at New Delhi ("**RoC**"). On the conversion of our Company to a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders on August 2, 2019, our name was changed to "SBI Cards and Payment Services Limited" and a fresh certificate of incorporation dated August 20, 2019 was issued by the RoC. For details of the change in the registered office of our Company, see "**History and Certain Corporate Matters**" on page 168 of the Prospectus dated March 06, 2020 ("**Prospectus**").

Registered Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; **Tel:** +91 (11) 6126 8100; **Corporate Office:** 2nd Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; **Tel:** +91 (124) 458 9803
Contact Person: Ms. Payal Mittal Chhabra, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 (124) 458 9803; **E-mail:** investor.relations@sbicard.com; **Website:** www.sbicard.com; **Corporate Identity Number:** U65999DL1998PLC093849

OUR PROMOTER: STATE BANK OF INDIA

Our Company has filed the Prospectus with the RoC on March 6, 2020 and the Equity Shares are proposed to be listed on the BSE Limited ("**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and the trading will commence on March 16, 2020.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 137,149,314 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 755* PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 745 PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ 103,407.88 MILLION, COMPRISING A FRESH ISSUE OF 6,622,516 EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING TO ₹ 4,993.25 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 130,526,798 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING TO ₹ 98,414.64 MILLION, INCLUDING 37,293,371 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 28,118.47 MILLION BY STATE BANK OF INDIA ("SBI") ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND 93,233,427 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 70,296.17 MILLION BY CA ROVER HOLDINGS ("CA ROVER") ("INVESTOR SELLING SHAREHOLDER" AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFER, THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER").

THE OFFER INCLUDED A RESERVATION OF 1,864,669 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF 13,052,680 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY SBI SHAREHOLDERS (THE "SBI SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SBI SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER", AGGREGATING TO 122,231,965 EQUITY SHARES. THE OFFER AND THE NET OFFER CONSTITUTES 14.61% AND 13.02% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

*Our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, have offered a discount of ₹ 75 per Equity Share to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion

QIB Category: Not more than 50% of the Net Offer | Retail Category: Not less than 35% of the Net Offer
Non Institutional Category: Not less than 15% of the Net Offer | Employee Reservation Portion: Up to 1,864,669 Equity Shares | SBI Shareholders Reservation Portion: Up to 13,052,680 Equity Shares

Offer Price: ₹ 755 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Offer Price is 75.5 times the face value of the Equity Shares.
Employee Discount : ₹ 75 per Equity Share on the Offer Price.

Risks to Investors

I. The six merchant bankers associated with the Offer have handled 46 issues in the past three financial years, out of which 17 issues closed below the issue price on listing date. II. There are no listed peers in India engaged in Issuer's line of business. III. The Price/Earnings ratio based on diluted EPS on a restated consolidated basis for FY19 for the Issuer at the upper end of the Price Band is 80.06 and is higher as compared to the NIFTY 50 index Price/Earnings ratio of 27.50 (as on February 20, 2020). IV. Average cost of acquisition of Equity Shares for the Selling Shareholders is in the range of ₹ 28.69 to ₹ 81.19 per Equity Share and the Offer Price at upper end of the Price Band is ₹ 755 per Equity Share.

BID/OFFER PERIOD**

BID/OFFER OPENED ON MONDAY, MARCH 02, 2020
BID/OFFER CLOSED ON (FOR QIB BIDDERS) WEDNESDAY, MARCH 04, 2020
BID/OFFER CLOSED ON (FOR ALL OTHER BIDDERS) THURSDAY, MARCH 05, 2020

**The Anchor Investor Bidding Date was one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date i.e February 28, 2020.

The Offer has been made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, (the "**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer was made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, where not more than 50% of the Net Offer was Allotted on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Category**"), provided that our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, has allocated up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares were allocated to Anchor Investors. Further, 5% of the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) was made available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the QIB Category was made available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Retail Individual Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) were mandatorily required to participate in this Offer through the Application Supported by Block Amount ("**ASBA**") process, and were required to provide details of their respective bank account (including UPI ID for Retail Individual Investors using UPI Mechanism) in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as the case may be. Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see, "**Offer Procedure**" on page 404 of the Prospectus.

The bidding period for Anchor Investors opened and closed on Friday, February 28, 2020. The Company received 110 Anchor Investor Application Forms from 74 Anchor Investors (including 12 mutual funds) for 38,052,003 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalised at ₹ 755 per Equity Share. A total of 36,669,589 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion.

The Offer received 3,465,725 applications for 2,604,831,315 Equity Shares (prior to technical rejections) resulting in 25.9239 times subscription. The details of the applications received in the Offer from various categories are as under:

Sl No.	Category	No. of Applications	No. of Equity Shares applied	Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor Investors)	348	1,39,37,77,433	2,44,46,393	57.0136	10,52,30,19,61,915.00
B	Non-Institutional Investors	11,597	79,61,64,771	1,83,34,795	43.4237	6,01,10,52,61,438.00
C	Retail Individual Investors	28,65,069	9,91,32,424	4,27,81,188	2.3172	74,90,67,97,757.00
D	Eligible Employee	56,552	86,70,536	18,64,669	4.6499	5,89,79,80,836.00
E	SBI Shareholders	5,32,159	30,70,86,151	1,30,52,680	23.5267	2,31,87,16,29,249.00
	Total	**34,65,725**	**2,60,48,31,315**	**10,04,79,725**	**25.9239**	**19,66,08,36,31,195.00**

Final Demand

A summary of the final demand as per the BSE and NSE as on the Bid/Offer closing date at different Bid prices is as under:

Rate	Share	(%) To Total	Cumulative Total	Cumulative Total %
750	16,05,538	0.06	16,05,538	0.06
751	3,43,254	0.01	19,48,792	0.07
752	4,80,377	0.02	24,29,169	0.09
753	7,15,597	0.03	31,44,766	0.12
754	5,97,778	0.02	37,42,544	0.14
755	2,55,28,29,417	95.60	2,55,65,71,961	95.74
CUTOFF	11,37,61,360	4.26	2,67,03,33,321	100.00
TOTAL	**2,67,03,33,321**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on March 11, 2020.

A. Allotment to QIBs (excluding Anchor Investors) (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have Bid at the Offer Price of ₹ 755 per Equity Share, has been done on a proportionate basis in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 56.6885 times of QIB Portion. As per the SEBI ICDR Regulations, Mutual Funds were Allotted 5% of the Equity Shares of QIB Portion available i.e. 1,222,320 Equity Shares and other QIBs, including Mutual Funds were Allotted the remaining available Equity Shares i.e. 23,224,073 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 24,446,393 Equity Shares which were allotted to 346 successful QIB Bidders. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	TRUST	TOTAL
ALLOTMENT	43,32,261	27,85,311	15,85,572	36,66,308	10,95,080	1,09,54,792	27,069	2,44,46,393

B. Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 755 per Equity Share, was finalized in consultation with the BSE. The Non-Institutional Portion has been subscribed to the extent of 43.2948 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 18,334,795 Equity Shares to 7,319 successful Non-Institutional Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under (Sample):

Sl No.	Category	No. of Applications	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	266	2616	24.17	6,95,856	0.09	19	12:37	16,093
2	285	981	9.06	2,79,585	0.04	19	17:49	6,460
3	304	190	1.76	57,760	0.01	19	7:19	1,330
4	323	140	1.29	45,220	0.01	19	7:18	1,026
5	342	95	0.88	32,490	0.00	19	5:12	760
6	361	73	0.67	26,353	0.00	19	5:12	570
7	380	426	3.94	1,61,880	0.02	19	13:28	3,743
8	399	237	2.19	94,563	0.01	19	17:35	2,185
9	456	41	0.38	18,696	0.00	19	22:41	418
10	475	111	1.03	52,725	0.01	19	7:12	1,216
11	494	67	0.62	33,098	0.00	19	3:5	760
12	513	112	1.03	57,456	0.01	19	5:8	1,330
13	532	123	1.14	65,436	0.01	19	9:14	1,501
14	570	206	1.90	1,17,420	0.01	19	9:13	2,717
15	646	287	2.65	1,85,402	0.02	19	11:14	4,294
16	665	308	2.85	2,04,820	0.03	19	17:21	4,731
17	760	98	0.91	74,480	0.01	19	45:49	1,710
18	798	57	0.53	45,486	0.01	19	55:57	1,045
19	1,311	247	2.28	3,23,817	0.04	30	1:1	7,410
20	1,900	96	0.89	1,82,400	0.02	44	1:1	4,224

C. Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at the Cut-Off Price or at the Offer Price of ₹ 755 per Equity Share was finalized in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 2.1713 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Portion is 42,781,188 Equity Shares to 2,251,641successful Retail Individual Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sl. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	19	21,81,283	80.93	4,14,44,377	44.62	19	66:79	3,46,23,947
2	38	1,96,422	7.29	74,64,036	8.04	19	66:79	31,17,843
3	57	77,686	2.88	44,28,102	4.77	19	66:79	12,33,119
4	76	37,511	1.39	28,50,836	3.07	19	66:79	5,95,422
5	95	38,017	1.41	36,11,615	3.89	19	66:79	6,03,459
6	114	19,678	0.73	22,43,292	2.41	19	66:79	3,12,341
7	133	24,169	0.90	32,14,477	3.46	19	66:79	3,83,648
8	152	6,648	0.25	10,10,496	1.09	19	66:79	1,05,526
9	171	3,833	0.14	6,55,443	0.71	19	66:79	60,838
10	190	16,499	0.61	31,34,810	3.37	19	66:79	2,61,896
11	209	4,043	0.15	8,44,987	0.91	19	66:79	64,182
12	228	4,824	0.18	10,99,872	1.18	19	66:79	76,570
13	247	84,570	3.14	2,08,88,790	22.49	19	66:79	13,42,388
		9 Out of 429,328 Allottees from Serial no 2 to 13, were allotted 1(one) additional share					9:429328	9
	TOTAL	**26,95,183**	**100.00**	**9,28,91,133**	**100.00**			**4,27,81,188**

D. Allotment to Eligible Employees (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Eligible Employees, who have placed bid at the Cut-Off price or at the Offer Price of ₹ 755 (Employee Discount of ₹ 75/- per Equity Share was offered to the Eligible Employees applying under Employee Reservation Portion), was finalized in consultation with BSE. The Eligible Employees Portion has been subscribed to the extent of 3.2364 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,864,669 Equity Shares to 37,382 successful Bidders. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under (Sample):

Sl. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	19	7,062	15.69	1,34,178	2.22	19	17:55	41,477
2	38	6,457	14.35	2,45,366	4.07	19	55:89	75,810
3	76	3,607	8.02	2,74,132	4.54	23	1:1	82,961
	76					1	29:60	1,743
4	95	2,703	6.01	2,56,785	4.26	29	1:1	78,387
	95					1	6:17	956
5	133	1,878	4.17	2,49,774	4.14	41	1:1	76,998
	133					1	2:21	178
6	152	1,875	4.17	2,85,000	4.72	47	1:1	88,125
7	209	726	1.61	1,51,734	2.51	64	1:1	46,464
	209					1	11:19	420
8	228	620	1.38	1,41,360	2.34	70	1:1	43,400
	228					1	9:20	279
9	266	1,053	2.34	2,80,098	4.64	82	1:1	86,346
	266					1	7:32	58
10	285	9,278	20.62	26,44,230	43.82	88	1:1	8,16,464
	285					1	4:65	570

E. Allotment to SBI Shareholders (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the SBI Shareholders who have placed bid at the Cut-Off price or at the Offer Price of ₹ 755 was finalized in consultation with BSE. The SBI Shareholders Portion has been subscribed to the extent of 23.2110 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 13,052,680 Equity Shares to 87,723 successful Bidders. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under (Sample):

Sl. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	19	2,59,463	52.42	49,29,797	1.63	19	19:441	2,12,401
2	38	53,698	10.85	20,40,524	0.67	19	28:325	87,894
3	57	25,741	5.20	14,67,237	0.48	19	19:147	63,213
4	76	14,484	2.93	11,00,784	0.36	19	5:29	47,443
5	95	14,241	2.88	13,52,895	0.45	19	14:65	58,273
6	133	11,732	2.37	15,60,356	0.52	19	19:63	67,222
7	152	3,809	0.77	5,78,968	0.19	19	10:29	24,947
8	190	6,816	1.38	12,95,040	0.43	19	28:65	55,784
9	209	2,684	0.54	5,60,956	0.19	19	46:97	24,187
10	228	22,041	4.45	50,25,348	1.66	19	61:118	2,16,486
11	266	461	0.09	1,22,626	0.04	19	26:43	5,301
12	285	139	0.03	39,615	0.01	19	9:14	1,691
13	304	43	0.01	13,072	0.00	19	29:43	551
14	342	23	0.00	7,866	0.00	19	18:23	342
15	399	42	0.01	16,758	0.01	19	19:21	722
16	475	26	0.01	12,350	0.00	20	1:1	520
17	665	75	0.02	49,875	0.02	29	1:1	2,175
18	760	23	0.00	17,480	0.01	33	1:1	759
19	798	20	0.00	15,960	0.01	34	1:1	680
20	950	30	0.01	28,500	0.01	41	1:1	1,230
21	1,311	55	0.01	72,105	0.02	56	1:1	3,080
22	1,330	66	0.01	87,780	0.03	57	1:1	3,762
23	1,900	20	0.00	38,000	0.01	82	1:1	1,640
24	13,243	38	0.01	5,03,234	0.17	571	1:1	21,698
25	66,215	20	0.00	13,24,300	0.44	2,853	1:1	57,060
26	6,62,245	24	0.00	1,58,93,880	5.25	28,531	1:1	6,84,744

Allotment to Anchor Investors

The Company and Selling Shareholders have allotted 3,66,69,589 Equity Shares to 110 Anchor Investors, in consultation with the BRLMs. In accordance with the SEBI Regulations, this represents 60% of the QIB Portion before overflow. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	TOTAL
ALLOTMENT	-	1,22,25,151	3,97,347	-	18,54,305	2,21,92,786	3,66,69,589

The IPO Committee of the Company on March 12, 2020 has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice-cum-Refund Intimation are being dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to the Self Certified Syndicate Banks for unblocking of funds, transfer to Public Offer Account have been issued on March 12, 2020 and payment instructions to non-Syndicate brokers have been issued on March 12, 2020. In case the unblocking of funds or credit of Equity Shares is not received within six working days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares Allotted to the successful Allottees have been credited on March 12, 2020 to their respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing applications with BSE and NSE on March 12, 2020. The Company has received listing and trading approvals from BSE and NSE and the trading will commence on March 16, 2020.

Note: All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the Allotment made have been hosted on the website of the Registrar to the Offer, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the first/ sole Bidder, Bid cum Application Form number, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares applied for, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and a copy of the Acknowledgement Slip received from the Designated Intermediary at the address of Registrar to the Offer.

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 4918 6200; **E mail:** sbicard.ipo@linkintime.co.in; **Website:** www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Goplakrishnan
SEBI Registration No: INR000004058

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

For **SBI Cards and Payment Services Limited**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date: March 13, 2020
Place: New Delhi

SBI Cards and Payment Services Limited has filed the Prospectus with the RoC on March 6, 2020. The Prospectus is available on the websites of SEBI, Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, DSP Merrill Lynch Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited and SBI Capital Markets Limited at www.sebi.gov.in, at www.investmentbank.kotak.com, at www.axiscapital.co.in, at www.ml-india.com, at www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback, at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html and at www.sbicaps.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Prospectus, including the section titled **"Risk Factors".**

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 ("**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable United States state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act; or (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

Adfactors/696

www.readwhere.com